संख्या–116 ई–2/तेरह–2014–126/2013

प्रेषक,

मनोज मिश्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग–2 लखनऊ::दिनांक 29 जनवरी,2014

विषयः– वर्ष 2014–15 एवं वर्ष 2015–16 के लिये आबकारी नीति का निर्धारण।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–जी–170/दस–लाइसेंस/367/सुझाव–आबकारी नीति/2014–15, दिनांक 13 दिसम्बर,2013, संख्या–जी–188/दस–लाइसेंस/367/सुझाव–आबकारी नीति/2014–15, दिनांक 10 जनवरी,2014 तथा संख्या–जी–192/दस–लाइसेंस/367/सुझाव–आबकारी नीति/2014–15, दिनांक 14 जनवरी,2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्रों के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2013–14 की समाप्ति से पूर्व, नीति में वृहद् राजस्व निहित होने एवं पूर्व के अनुभवों के दृष्टिगत वर्ष 2014–15 हेतु यथाशीघ्र आबकारी नीति का निर्धारण कर दुकानों का व्यवस्थापन शीघ्रातिशीघ्र कर लिये जाने तथा आगामी वर्ष 2015–16 में भी अधिकाधिक राजस्व प्राप्ति के दृष्टिगत आबकारी अनुज्ञापियों को व्यवसाय में स्थायित्व प्रदान करने, ताकि दुकानों में अधिकाधिक पूंजीनिवेश व उससे अधिकाधिक ब्राण्डस उपलब्धता एवं संसाधन वृद्धि आदि द्वारा आबकारी व्यवसाय एवं राजस्व में वृद्धि हो सके, के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त जनहित में वर्ष 2014–15 के साथ ही वर्ष 2015–16 हेतु भी आबकारी नीति निर्धारण करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णय लिया गया हैः–

(अ) – वर्ष 2014–15 हेतु आबकारी नीति

(1) विशिष्ट मेरठ जोन की फुटकर बिक्री की दुकानों का व्यवस्थापन :–

विशिष्ट जोन मेरठ में स्थित देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों तथा माडल शाप्स के सुगम एवं समयान्तर्गत व्यवस्थापन तथा राजस्व हित में वर्ष 2014–15 के लिये उक्त अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन नवीनीकरण के माध्यम से कराया जायेगा।

नवीनीकरण प्रक्रिया :–

(क) आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कराकर समुचित प्रचार–प्रसार कर देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों तथा माडल शाप्स के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र मांगे जायेंगे।

(ख) विशिष्ट जोन के अनुज्ञापी द्वारा देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर की दुकानों व माडल शाप्स के नवीनीकरण हेतु आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा, जिसके साथ नियमानुसार प्रोसेसिंग फीस हेतु रु0 15000/– का बैंक ड्राफ्ट संलग्न किया जायेगा।

(ग) आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र का परीक्षण कर उक्त दुकानों से मदिरा के विक्रय हेतु एकान्तिक विशेषाधिकार का नवीनीकरण किया जायेगा।

(घ) आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा विशेष जोन मेरठ की उपरोक्त दुकानों के एकान्तिक विशेषाधिकार के नवीनीकरण के पश्चात् अनुज्ञापी द्वारा संबंधित जिले के जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी के समक्ष नियमानुसार प्रासेसिंग फीस, नवीनीकरण फीस, बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस एवं अन्य देय यदि कोई हों, जमा करके निर्धारित व्यवस्था के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दुकानों के अनुज्ञापन नवीनीकृत कराये जायेंगे एवं प्रतिभूति धनराशि भी नियमानुसार समयान्तर्गत जमा करायी जायेगी।

(2) <u>आगरा, वाराणसी, लखनऊ तथा गोरखपुर जोन में देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों तथा माडल शाप का व्यवस्थापनः–</u>

आगरा, लखनऊ, वाराणसी तथा गोरखपुर जोन में स्थित देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों तथा माडल शाप्स के सुगम एवं समयान्तर्गत व्यवस्थापन हेतु राजस्व हित में वर्ष 2014–15 के लिये उक्त अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन नवीनीकरण के माध्यम से पारदर्शिता के साथ कराया जायेगा।

(3) वर्ष 2014–15 हेतु अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन/नवीनीकरण हेतु प्रतिबंध व शर्ते निम्नानुसार हैः–

1 <u>देशी शराबः–</u>

1.1 <u>आवेदन व प्रोसेंसिंग फीस एवं नवीनीकरण शुल्कः–</u>

वर्ष 2013–14 हेतु निर्धारित दुकान आवंटन/नवीनीकरण संबंधी आवेदन व प्रोसेंसिंग फीस रू0 7,000/– को रू0 1,000/– बढ़ाकर वर्ष 2014–15 के लिए रु0 8000/– प्रति आवेदन निर्धारित किया जाता है। शासनादेश सं0 3174 ई–2/तेरह–2010–141/2007 दिनांक 03 फरवरी, 2011 के अनुसार आवेदन पत्रों की प्रोसेसिंग फीस पर नियमानुसार वैट भी देय है। अतः वर्ष 2014–15 हेतु प्रोसेसिंग फीस पर तत्समय निर्धारित दर पर वैट तथा नियमानुसार देय अन्य करों की वसूली भी अतिरिक्त रुप से पूर्ववत् की जायेगी।

वर्ष 2014–15 के लिए नवीनीकरण शुल्क निम्नवत् लिया जायेगाः–

कमांक	निकाय	वर्ष 2013–14 की निर्धारित दर (रु0 में)	वर्ष 2014–15 हेतु निर्धारित दर (रु0 में)
1	नगर निगम क्षेत्र की दुकानों के लिए	40,000 प्रति दुकान	45,000 प्रति दुकान
2	नगर पालिका क्षेत्र की दुकानों के लिए	35,000 प्रति दुकान	40,000 प्रति दुकान
3	नगर पंचायत क्षेत्र की दुकानों के लिए	25,000 प्रति दुकान	30,000 प्रति दुकान
4	ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों के लिए	15,000 प्रति दुकान	16,000 प्रति दुकान

1.2 <u>देशी शराब का एम.जी.क्यू.ः–</u>

वर्ष 2014–15 में देशी शराब की दुकानों के सुगम एवं समयान्तर्गत व्यवस्थापन हेतु वर्ष 2013–14 के व्यवस्थित एम.जी.क्यू 26.84 करोड़ ब0ली0 पर 06 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिससे वर्ष 2014–15 का एम0जी0क्यू0 लगभग 28.45 करोड़ बल्क लीटर (36 प्रतिशत वी/वी के रूप में) आगणित होगा।

1.3 <u>देशी शराब के एम0जी0क्यू0 का उठान</u> :–

वर्ष 2013–14 की भांति ही वर्ष 2014–15 हेतु यह निर्णय लिया गया है कि देशी शराब दुकान के लिये निर्धारित वार्षिक एम0जी0क्यू0 को इस प्रकार 12 भागों में विभाजित किया जाय कि विभाजित अंश में निहित मात्रा 09 बल्क लीटर पेटियों के रुप में आगणित हो। इस प्रकार की गणना में पेटी से अतिरिक्त मात्रा को माह अप्रैल हेतु बढ़ाकर निर्धारित किया जायेगा। शेष 11 महीनों हेतु एम0जी0क्यू0 का निर्धारण पेटियों में समान रुप से किया जायेगा। प्रतिबंध यह होगा कि माह अप्रैल हेतु निर्धारित एम0जी0क्यू0 अन्य महीनों हेतु निर्धारित मासिक एम0जी0क्यू0 से कम नहीं होगा।

1.4 <u>देशी शराब दुकान की मासिक लाइसेंस फीस की अदायगी</u> :–

देशी शराब दुकान की मासिक लाइसेंस फीस की अदायगी की व्यवस्था वर्ष 2013–14 की भांति वर्ष 2014–15 में भी यथावत् रहेगी।

1.5 <u>25 प्रतिशत वी/वी तीव्रता की विशेष श्रेणी की देशी मदिरा :–</u>

वर्ष 2013–14 में देशी मदिरा की 25 प्रतिशत वी/वी तीव्रता की सृजित विशेष श्रेणी संबंधी व्यवस्था को वर्ष 2014–15 में भी निम्नवत् बनाये रखने का निर्णय लिया गया है :–

1. उक्त विशेष श्रेणी की देशी मदिरा(25% v/v मसाला) की प्रतिफल फीस की दर वर्ष 2014–15 हेतु भी रु0 72 प्रति बल्क लीटर निर्धारित की जायेगी।
2. वर्ष 2013–14 की भांति यह मदिरा देशी शराब की अन्य श्रेणियों के रंग से भिन्न रंग की होगी, जिसका निर्धारण आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा किया जायेगा।
3. वर्ष 2013–14 की भांति इस विशेष श्रेणी की मदिरा के बोतलों पर चस्पा किये जाने वाले लेबिल का रंग/बार्डर का रंग अन्य श्रेणियों की देशी मदिरा के लेबिलों/बार्डर के रंग से भिन्न रंग का होगा, जो आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
4. वर्ष 2013–14 की भांति इस विशेष श्रेणी की देशी मदिरा का उठान दुकान के निर्धारित मासिक एम.जी.क्यू. के अतिरिक्त अनुमन्य होगा।
5. वर्ष 2013–14 की भांति विशेष श्रेणी की यह मदिरा देशी शराब दुकान के मासिक एम.जी.क्यू. के 10 प्रतिशत की सीमा के अन्तर्गत बल्क लीटर में संदर्भगत माह के अंदर ही उठायी जा सकेगी। उक्त मात्रा बल्क लीटर में निर्धारित मासिक एम0जी0क्यू0 का बल्क लीटर में ही 10 प्रतिशत होगी तथा 36 प्रतिशत वी/वी तीव्रता की मदिरा को 25 प्रतिशत में समानुपातिक रुप से परिवर्तित कर उसका 10 प्रतिशत नहीं होगी।
6. वर्ष 2013–14 की भांति इस विशेष श्रेणी की देशी मदिरा के उठान में निहित प्रतिफल शुल्क की धनराशि का समायोजन उक्त दुकान की लाइसेंस फीस के सापेक्ष नहीं किया जायेगा।
7. वर्ष 2013–14 की भांति इस विशेष श्रेणी की देशी मदिरा पर बेसिक लाइसेंस फीस देय नहीं होगी।

1.6 <u>देशी शराब की श्रेणियां, गुणवत्ता, मूल्य निर्धारण :–</u>

वर्ष 2013–14 में देशी शराब की तीव्रता के आधार पर प्रचलित निम्नलिखित चारों श्रेणियों को वर्ष 2014–15 में भी बनाये रखने का निर्णय लिया गया है:–

1–28 प्रतिशत वी/वी (सादा व मसाला)
2–36 प्रतिशत वी/वी (मसाला)
3–42.8 प्रतिशत वी/वी (मसाला)
4– 25 प्रतिशत वी/वी (मसाला) (विशेष श्रेणी)

वर्ष 2013–14 की भांति वर्ष 2014–15 में भी 36 प्रतिशत वी/वी श्रेणी की देशी मदिरा के रुप में एम.जी.क्यू. का निर्धारण किया जायेगा और 36 प्रतिशत वी/वी श्रेणी की मदिरा हेतु निर्धारित बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस की दर के अनुसार देशी शराब दुकान की बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस का निर्धारण किया जायेगा। 36 प्रतिशत वी/वी श्रेणी की देशी मदिरा हेतु निर्धारित प्रतिफल फीस की दर के समानुपातिक 28 प्रतिशत वी/वी व 42.8 प्रतिशत वी/वी श्रेणी की देशी मदिरा हेतु प्रतिफल फीस की दर निर्धारित की जायेगी। इस प्रकार उपरोक्त 36 प्रतिशत वी/वी, 42.8 प्रतिशत वी/वी व 28 प्रतिशत वी/वी तीनों श्रेणियों की देशी मदिरा के उठान में निहित प्रतिफल शुल्क की धनराशि के अनुसार देशी शराब दुकान की लाइसेंस फीस की अदायगी की जायेगी। 25 प्रतिशत वी/वी विशेष श्रेणी की मदिरा के उठान में निहित प्रतिफल शुल्क की धनराशि का समायोजन देशी शराब दुकान की लाइसेंस फीस के सापेक्ष नहीं किया जायेगा।

वर्ष 2013–14 की भांति देशी मदिरा की तीव्रता की उपरोक्त चारों श्रेणियों के लिये वर्ष 2014–15 हेतु आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 की स्वीकृति से, भिन्न–भिन्न रंगों के कैप्सूल व लेबुलों के बार्डर निर्धारित प्रतिबंधों के साथ बनाये रखे जाने तथा वर्ष 2013–14 की भांति वर्ष 2014–15 में भी प्रदेश में केवल ई0एन0ए0 से निर्मित देशी मदिरा का विक्रय किये जाने का निर्णय लिया गया है।

वर्ष 2014–15 हेतु उक्त श्रेणियों के अधिकतम थोक व अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य इस हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 28–11–2013 के कार्यवृत्त संलग्नक–1 के अनुसार उसमें वर्णित शर्तों के अधीन होंगे।

1.7 देशी शराब की बेसिक लाइसेंस फीसः–

वर्ष 2013–14 हेतु निर्धारित देशी शराब की बेसिक लाइसेंस फीस रु0 23 प्रति बल्क लीटर (36 प्रतिशत वी/वी) में रु0 1 प्रति बल्क लीटर की वृद्धि करते हुए वर्ष 2014–15 हेतु बेसिक लाइसेंस फीस रु0 24 प्रति बल्क लीटर (36 प्रतिशत वी/वी) निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

1.8 देशी शराब की अतिरिक्त बेसिक लाइसेंस फीस :–

वर्ष 2013–14 में यह व्यवस्था प्रचलित है कि एम.जी.क्यू. से अधिक देशी शराब की निकासी उठाने पर उक्त अतिरिक्त निकासी पर अतिरिक्त बेसिक लाइसेंस फीस देय होगी एवं इस प्रकार उठायी गयी अतिरिक्त मदिरा में निहित प्रतिफल शुल्क के जमा अधिशेष (Credit balance) का अर्जन भी नहीं होगा। उक्त व्यवस्था को वर्ष 2014–15 में भी यथावत बनाये रखने का निर्णय लिया गया है।

1.9 देशी शराब की लाइसेंस फीस (प्रतिफल फीस):–

वर्ष 2013–14 हेतु रु0 184 प्रति बल्क लीटर (36 प्रतिशत वी/वी) प्रतिफल फीस निर्धारित है। वर्ष 2014–15 के लिए प्रतिफल फीस में रु0 20 प्रति बल्क लीटर की वृद्धि करते हुए रु0 204 प्रति बल्क लीटर (36 प्रतिशत वी/वी के रुप में) रखे जाने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2014–15 हेतु देशी शराब की प्रतिफल फीस की दरें निम्नवत् होंगी :–

क0	तीव्रता	वर्ष 2014–15 हेतु निर्धारित प्रतिफल फीस की दर (रु0 प्रति बल्क लीटर)
1	36 प्रतिशत वी/वी के रुप में	204.00
2	42.8 प्रतिशत वी/वी के रुप में	242.53
3	28 प्रतिशत वी/वी के रुप में	158.67
4	25 प्रतिशत वी/वी (विशेष श्रेणी) के रुप में	72.00

नोट :– वर्ष 2013–14 की भांति 25 प्रतिशत वी/वी तीव्रता की विशेष श्रेणी की देशी मदिरा की निकासी में निहित प्रतिफल शुल्क का समायोजन देशी शराब दुकान की लाइसेंस फीस के सापेक्ष नहीं किया जायेगा।

1.10 देशी शराब दुकानों का वर्ष 2014–15 हेतु व्यवस्थापनः–

(क) आगरा, वाराणसी, लखनऊ तथा गोरखपुर जोन में देशी शराब की दुकानों का व्यवस्थापनः–

देशी शराब की फुटकर बिक्री की वर्ष 2013–14 में संचालित दुकानों, का नवीनीकरण एवं नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन **वर्ष 2014–15** हेतु निम्न प्रतिबंधों के साथ किया जायेगाः–

1– अंतिम व्ययगत मास तक की समस्त देयताएं बेबाक हों।

2– वर्ष 2013–14 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित हो।

3– वर्ष 2014–15 के लिए निर्धारित देयताओं की अदायगी के लिये अनुज्ञापी तत्पर हों।

4– वर्ष 2013–14 के जनपद के वार्षिक व्यवस्थित एम.जी.क्यू. (जिसमें 1 अप्रैल के बाद व्यवस्थित दुकानों के एम.जी.क्यू. में व्ययगत अवधि के एम.जी.क्यू. के बराबर कम किये गये एम.जी.क्यू. को जोड़ते हुए वार्षिक

एम.जी.क्यू. आगणित होगा) में 6 प्रतिशत की वृद्वि कर वर्ष 2014–15 के लिए जनपद का एम.जी.क्यू. निर्धारित किया जायेगा। इस वृद्वि से जनित एम.जी.क्यू. को नवसृजित दुकानों पर नियमानुसार निर्धारित मात्रा में समायोजित करने के बाद यदि एम.जी.क्यू. अवशेष बचता है, तो उसको जनपद की पूर्व से संचालित हो रही दुकानों के एम.जी.क्यू. में समानुपातिक वृद्वि करते हुए समस्त दुकानों पर विभाजित किया जायेगा। यदि किसी जनपद में उपरोक्त वृद्वि से जनित एम.जी.क्यू. नवसृजित की जा रही दुकानों के लिए नियमानुसार निर्धारित हो रहे एम.जी.क्यू. से कम होगा, तो ऐसे जनपद का एम.जी.क्यू. नवसृजित दुकानों के एम.जी.क्यू. की सीमा तक बढ़ा कर निर्धारित किया जा सकेगा, भले ही जनपद के वर्ष 2013–14 के वार्षिक व्यवस्थित एम.जी.क्यू. में 6 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोत्तरी हो जाये। उपरोक्तानुसार वर्ष 2014–15 हेतु निर्धारित एम.जी.क्यू. को दुकानवार/क्षेत्रवार, आबकारी निरीक्षकों द्वारा तथा दुकानवार/क्षेत्रवार/जिलेवार जिला आबकारी अधिकारी द्वारा परीक्षण के उपरान्त उप आबकारी आयुक्त, प्रभार के माध्यम से लाइसेंस प्राधिकारी/जिलाधिकारी से अनुमोदित कराया जायेगा।

5– उपरोक्तानुसार नवीनीकृत न हो सकी दुकानों को वर्ष 2014–15 के लिए निर्धारित एम.जी.क्यू. पर विज्ञापन देकर आवेदन मांग कर व्यवस्थित कराया जायेगा। यदि किसी दुकान हेतु एक ही आवेदन प्राप्त होता है, और नियमानुसार उचित पाया जाता है तो दुकान का आवंटन आवेदक के पक्ष में कर दिया जायेगा। एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में दुकान का आवंटन नियमानुसार सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से किया जायेगा। इसी के साथ नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन भी निकायवार निर्धारित एम.जी.क्यू. पर समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से आवेदन मांगकर सार्वजनिक लाटरी से कराया जायेगा।

6– वर्ष 2013–14 में संचालित हो रही दुकानों के उपरोक्तनुसार भी व्यवस्थित न होने पर इनका व्यवस्थापन सार्वजनिक विज्ञापन देकर वर्ष 2013–14 के वार्षिक व्यवस्थित एम.जी.क्यू. पर आफर मांग कर कराया जायेगा। प्रतिबंध यह रहेगा कि वर्ष 2013–14 के वार्षिक व्यवस्थित एम.जी.क्यू. से कम का आफर स्वीकार नहीं होगा। दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा।

(ख) <u>विशिष्ट जोन मेरठ में देशी शराब की फुटकर बिक्री की दुकानों का व्यवस्थापनः–</u>

विशिष्ट जोन मेरठ में देशी शराब की फुटकर बिक्री की वर्ष 2013–14 में संचालित दुकानों, का नवीनीकरण एवं नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन **वर्ष 2014–15** हेतु निम्न प्रतिबंधों के साथ किये जाने का निर्णय लिया गया है:–

1. विशिष्ट जोन मेरठ में देशी शराब की फुटकर बिक्री की दुकानों का व्यवस्थापन उपरोक्त प्रस्तर–2 (अ)(3)1.10(क) के बिन्दु संख्या–1, 2, 3 एवं 4 में वर्णित प्रक्रिया/प्रतिबंधों के अनुरूप एम0जी0क्यू0 निर्धारित कर किया जायेगा।
2. विशिष्ट जोन मेरठ के वर्ष 2013–14 के अनुज्ञापी को जोन की समस्त देशी शराब की फुटकर बिक्री की दुकानें वर्ष 2014–15 हेतु उपरोक्तानुसार निर्धारित नवीनीकरण फीस, बेसिक लाइसेंस फीस, प्रतिभूति एवं एम.जी.क्यू. पर नवीनीकृत कराना एवं नवसृजित दुकानों के लिए निर्धारित बेसिक लाइसेंस फीस, एम.जी.क्यू. एवं प्रतिभूति के आधार पर अनुज्ञापन प्राप्त करना होगा। किसी भी दुकान का व्यवस्थापन /नवीनीकरण न कराने की दशा में विशिष्ट मेरठ जोन की देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं माडल शाप्स के अनुज्ञापी के रुप में किया गया उसका चयन निरस्तीकरण योग्य होगा, जिसके तारतम्य में उसको प्रदत्त देशी शराब, विदेशी मदिरा,बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं माडल शाप्स के समस्त अनुज्ञापन निरस्तीकरण योग्य होंगे। इस प्रकार निरस्त/रिक्त अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन नियमानुसार किया जायेगा।

1.11 <u>देशी शराब की बोतलों की धारिताः–</u>

वर्ष 2014–15 हेतु 28% v/v व 36% v/v श्रेणी की मदिरा का विक्रय 100, 200, 375 व 750 एम.एल. की धारिता की बोतलों में एवं 42.8% v/v श्रेणी की मदिरा का विक्रय 100, 180, 200, 375 व 750 एम.एल. की धारिता की बोतलों में तथा 25% v/v विशेष श्रेणी की मदिरा का विक्रय केवल 200 एम.एल. के पौवे में ही किया जायेगा।

1.12 देशी शराब की दुकानों का सृजनः–

पूर्व की भांति वर्ष 2014–15 में भी जनस्वास्थ्य, अवैध मदिरा की तस्करी व बिक्री की रोकथाम तथा असेवित क्षेत्रों में स्वच्छ व मानक मदिरा की उपलब्धता हेतु जनहित व राजस्व हित में देशी शराब की वर्तमान व्यवस्थित कुल दुकानों के 15 प्रतिशत नई दुकानों का सृजन आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा 15 प्रतिशत से अधिक की आवश्यकता होने पर नई दुकानों का सृजन शासन की अनुमति से किया जायेगा।

1.13 नवसृजित देशी शराब की दुकानों का एम0जी0क्यू0 निर्धारण :–

वर्ष 2013–14 हेतु नवसृजित देशी शराब की दुकानों के निर्धारित एम.जी.क्यू. में 6 प्रतिशत की वृद्वि करते हुये वर्ष 2014–15 के लिये निम्नवत् एम.जी.क्यू. निर्धारित किया जायेगा :–

क्रम सं0	दुकान की प्रास्थिति	वर्ष 2013–14 का एम.जी. क्यू. ब0ली0 में	वर्ष 2014–15 हेतु निर्धारित जी.क्यू. ब0ली0 में
1	नगर निगम व इसकी सीमा से 03 कि0मी0 की परिधि तक	21000	22500
2	नगर पालिका व इसकी सीमा से 02 कि0मी0 की परिधि तक	15000	16000
3	नगर पंचायत व इसकी सीमा से 01 कि0मी0 की परिधि तक	9000	9500
4	ग्रामीण	5000	5500

देशी शराब की समस्त दुकानों (नवसृजित सहित) की प्रास्थिति का निर्धारण नियमानुसार किया जायेगा। इस संबंध में आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा समय–समय पर प्रसारित परिपत्रों में दिये गये निर्देशों का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1.14 देशी शराब की थोक आपूर्तिः–

वर्ष 2013–14 की देशी मदिरा की थोक आपूर्ति की व्यवस्था को यथावत बनाये रखते हुये वर्ष 2013–14 हेतु व्यवस्थित प्रदेश के समस्त सी0एल0–1बी अनुज्ञापनों का वर्ष 2014–15 हेतु नवीनीकरण किया जायेगा।

(क) सी0एल0–1बी अनुज्ञापन हेतु देयताएं :–

वर्ष 2014–15 हेतु प्रति अनुज्ञापन देयताएं एवं अदायगी की प्रक्रिया निम्नानुसार की जायेगी :–

मद का नाम	वर्ष 2014–15
नवीनीकरण फीस	रु0 4.00 लाख
लाइसेंस फीस	रु0 12.00 करोड़
प्रतिभूति धनराशि	रु0 1.20 करोड़

(एक मुश्त आवेदन के समय)

अदायगी : लाइसेंस फीस की अदायगी निम्नानुसार करायी जायेगीः–

आवेदन के समय	रु0 4.00 करोड़
दिनांक 30.06.14 तक	रु0 4.00 करोड़
दिनांक 30.09.14 तक	रु0 4.00 करोड़

(ख) सी0एल0–1सी अनुज्ञापनः–

वर्ष 2014–15 के सी0एल0–1 बी अनुज्ञापी को जोन के प्रत्येक जनपद में वर्ष 2014–15 हेतु सी0एल0–1सी अनुज्ञापन निम्नानुसार देय लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति पर अनिवार्य रुप से नवीनीकरण कराये जाने का निर्णय लिया गया है :–

मद का नाम	वर्ष 2014–15 हेतु निर्धारित देयतायें
नवीनीकरण फीस	रु0 20,000
लाइसेंस फीस	रु0 1.75 लाख
प्रतिभूति धनराशि	रु0 17,500

वर्ष 2013–14 की भांति वर्ष 2014–15 में सी0एल0–1सी अनुज्ञापी प्रदेश की विभिन्न अनुज्ञाधारी देशी मदिरा निर्माता आसवनियों से सीधे मदिरा प्राप्त करेगा। प्रदेश की आसवनियों से मदिरा प्राप्ति में कठिनाई की स्थिति में सी0एल0–1सी अनुज्ञापी आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 की विशेष अनुमति से राज्य के बाहर की आसवनियों से देशी मदिरा आयात कर सकेगा। प्रदेश में आयात की जाने वाली ऐसी मदिरा पर आयातकर्ता अनुज्ञाधारी द्वारा प्रतिफल फीस का अग्रिम भुगतान कर आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 के कार्यालय में स्थित सुरक्षा होलोग्राम आपूर्तक इकाई से सुरक्षा होलोग्राम प्राप्त कर संबंधित आसवनी ले जाकर बोतलों पर चस्पा कराया जायेगा तथा व सुरक्षा होलोग्राम युक्त मदिरा का ही आयात वर्ष 2014–15 में प्रदेश में अनुमन्य किया जायेगा।

1.15 देशी शराब के ब्रान्डों की रजिस्ट्रेशन फीसः–

देशी शराब के ब्रान्डों की रजिस्ट्रेशन फीस वर्ष 2013–14 हेतु देय रु0 20000/– प्रति ब्राण्ड से बढ़ाकर वर्ष 2014–15 हेतु रु0 25000 प्रति ब्राण्ड किये जाने का निर्णय लिया गया है।

1.16 देशी शराब के लेबुलों का अनुमोदनः–

देशी मदिरा की बोतलों के लेबुलों पर वर्ष 2013–14 की भॉति वर्ष 2014–15 में भी बैच नम्बर व निर्माण की तिथि एवं आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित अन्य लीजेण्ड अंकित करना अनिवार्य रखे जाने के साथ लेबुलों के अनुमोदन हेतु वर्ष 2013–14 हेतु देय लेबुल अनुमोदन फीस रु0 20000/– प्रति लेबुल से बढ़ाकर वर्ष 2014–15 हेतु रु0 25000/– प्रति लेबुल किये जाने का निर्णय लिया गया है।

1.17 देशी शराब निर्यात पास फीसः–

देशी मदिरा की निर्यात पास फीस वर्ष 2013–14 हेतु रु0 10/– प्रति ए0एल0 निर्धारित को वर्ष 2014–15 में भी यथावत् बनाये रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

1.18 देशी शराब आयात पास फीसः–

इस सम्बन्ध में परम्परागत पूर्व व्यवस्था को यथावत् बनाये रखा जायेगा।

1.19 देशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों की दैनिक लाइसेंस फीसः–

वर्ष 2013–14 में देशी शराब की फुटकर बिक्री की दुकानों की दैनिक बेसिक लाइसेन्स फीस एवं लाइसेन्स फीस (प्रतिफल फीस) दुकान की निर्धारित वार्षिक बेसिक लाइसेंस फीस एवं लाइसेंस फीस (प्रतिफल फीस) का 1/365 भाग लिया जाना निर्धारित है । वर्ष 2014–15 में भी वर्ष 2013–14 की भांति दैनिक व्यवस्थापन सम्पन्न कराया जायेगा। ऐसी दुकानें जो आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित नहीं हो सकेंगी का व्यवस्थापन, सार्वजनिक विज्ञापन प्रकाशित कराने के बाद वर्ष 2014–15 के लिये निर्धारित दैनिक बेसिक लाइसेन्स फीस एवं लाइसेन्स फीस (प्रतिफल फीस) के सापेक्ष जो भी सर्वोच्च आफर प्राप्त हो, उस पर सम्पन्न कराये जाने तथा दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

1.20 देशी शराब की आपूर्तिः–

वर्ष 2013–14 की भांति देशी मदिरा की आपूर्ति वर्ष 2014–15 में भी बोतलों की समस्त निर्धारित धारिताओं में बाजार की मांग के अनुसार कांच/पेट बोतलों में की जायेगी।

2– विदेशी मदिरा

2.1 विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों की वर्ष 2014–15 हेतु लाइसेंस फीस :–

विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों की लाइसेंस फीस के निर्धारण के लिये दुकान की वर्ष 2013–14 की व्यवस्थित लाइसेंस फीस में 15 प्रतिशत की वृद्धि तथा इस वृद्धि के आधार पर आगणित लाइसेंस फीस को अगले स्तर पर 5000 रु0 में राउण्ड आफ करके विदेशी मदिरा दुकान की वर्ष 2014–15 हेतु लाइसेंस फीस का निर्धारण किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2.2 विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों का वर्ष 2014–15 हेतु व्यवस्थापन :–

(क) आगरा, वाराणसी, लखनऊ तथा गोरखपुर जोन में विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन :–

विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की वर्ष 2013–14 में संचालित दुकानों का नवीनीकरण एवं नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन वर्ष 2014–15 हेतु निम्न प्रतिबंधों के साथ किये जाने का निर्णय लिया गया हैः–

1– अंतिम व्ययगत मास तक की समस्त देयताएं बेबाक हों।

2– वर्ष 2013–14 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित हो।

3– वर्ष 2014–15 के लिए निर्धारित देयताओं की अदायगी के लिये अनुज्ञापी तत्पर हों।

4– वर्ष 2014–15 हेतु उपरोक्तानुसार निर्धारित विदेशी मदिरा दुकानों की लाइसेंस फीस को दुकानवार/ क्षेत्रवार, आबकारी निरीक्षकों द्वारा तथा दुकानवार/ क्षेत्रवार/जिलेवार जिला आबकारी अधिकारी द्वारा परीक्षण के उपरान्त उप आबकारी आयुक्त, प्रभार के माध्यम से लाइसेंस प्राधिकारी/जिलाधिकारी से अनुमोदित कराया जायेगा।

5– उपरोक्तानुसार नवीनीकृत न हो सकी दुकानों को वर्ष 2014–15 के लिए निर्धारित लाइसेंस फीस पर विज्ञापन देकर, आवेदन मांग कर व्यवस्थित कराया जायेगा। यदि किसी दुकान पर एक ही आवेदन प्राप्त होता है, और नियमानुसार उचित पाया जाता है तो दुकान का आवंटन आवेदक के पक्ष में कर दिया जायेगा। एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में दुकान का आवंटन नियमानुसार सार्वजनिक

लाटरी के माध्यम से किया जायेगा। इसी के साथ नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन भी निकायवार निर्धारित लाइसेंस फीस पर विज्ञापन के माध्यम से आवेदन मांगकर सार्वजनिक लाटरी से कराया जायेगा।

6– वर्ष 2013–14 में संचालित हो रही दुकानों के उपरोक्तनुसार भी व्यवस्थित न होने पर इनका व्यवस्थापन सार्वजनिक विज्ञापन देकर वर्ष 2013–14 की लाइसेंस फीस पर आफर मांग कर कराया जायेगा। प्रतिबंध यह रहेगा कि वर्ष 2013–14 की लाइसेंस फीस से कम का आफर स्वीकार न होगा। दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा।

(ख) **विशिष्ट मेरठ जोन में विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों का व्यवस्थापनः–**

विशिष्ट जोन मेरठ में विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की वर्ष 2013–14 में संचालित दुकानों, का नवीनीकरण एवं नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन वर्ष 2014–15 हेतु निम्न प्रतिबंधों के साथ किया जायेगाः–

1. विशिष्ट जोन मेरठ में विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों का व्यवस्थापन उपरोक्त प्रस्तर–2(अ)(3) 2.2(क) के बिन्दु संख्या–1, 2, 3 एवं 4 में वर्णित प्रक्रिया/प्रतिबंधों के अनुरूप लाइसेंस फीस निर्धारित करके किया जायेगा।
2. विशिष्ट जोन मेरठ के वर्ष 2013–14 के अनुज्ञापी को जोन की विदेशी मदिरा की समस्त फुटकर बिक्री की दुकानें वर्ष 2014–15 हेतु निर्धारित नवीनीकरण फीस, लाइसेंस फीस व प्रतिभूति धनराशि के आधार पर नवीनीकृत कराना एवं नवसृजित दुकानों के लिए निर्धारित लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति धनराशि के आधार पर अनुज्ञापन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। किसी भी दुकान का व्यवस्थापन/नवीनीकरण न कराने की दशा में मेरठ जोन की देशी शराब, विदेशी मदिरा,बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं माडल शाप्स के अनुज्ञापी के रुप में किया गया उसका चयन निरस्तीकरण योग्य होगा, जिसके तारतम्य में उसको प्रदत्त देशी शराब, विदेशी मदिरा,बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं माडल शाप्स के समस्त अनुज्ञापन निरस्तीकरण योग्य होंगे। इस प्रकार निरस्त/रिक्त अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन नियमानुसार किया जायेगा।

2.3 **विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों हेतु आवेदन एवं प्रोसेसिंग फीस व नवीनीकरण शुल्क :–**

वर्ष 2013–14 में आवेदन व प्रोसेंसिंग फीस रु0 7000/– प्रति आवेदन निर्धारित थी, जिसे रु0 1000/– बढ़ाकर वर्ष 2014–15 के लिए रु0 8000/– प्रति आवेदन निर्धारित किया जाता है। शासनादेश सं0 3174 ई–2/तेरह–2010–141/2007 दिनांक 03 फरवरी, 2011 के अनुसार आवेदन पत्रों की प्रोसेसिंग फीस पर नियमानुसार वैट भी देय है। अतः वर्ष 2014–15 हेतु प्रोसेसिंग फीस पर तत्समय निर्धारित दर पर वैट तथा नियमानुसार देय अन्य करों की वसूली भी अतिरिक्त रुप से पूर्ववत् की जायेगी।

वर्ष 2014–15 के लिए निकायवार निर्धारित नवीनीकरण शुल्क निम्नानुसार होगाः–

कमांक	निकाय	वर्ष 2013–14 की दर (रु0 में)	वर्ष 2014–15 हेतु निर्धारित दर (रु0 में)
1	नगर निगम क्षेत्र की दुकानों के लिए	50,000 प्रति दुकान	55,000 प्रति दुकान
2	नगर पालिका क्षेत्र की दुकानों के लिए	40,000 प्रति दुकान	45,000 प्रति दुकान
3	नगर पंचायत क्षेत्र की दुकानों के लिए	25,000 प्रति दुकान	30,000 प्रति दुकान
4	ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों के लिए	15,000 प्रति दुकान	17,000 प्रति दुकान

2.4 **विदेशी मदिरा की दुकानों का सृजनः–**

वर्ष 2014–15 में जनहित में अवैध मदिरा पर अंकुश रखने व मानक मदिरा उपलब्ध कराने के दृष्टिगत वर्ष 2013–14 की भांति 15 प्रतिशत नई दुकानों के सृजन का अधिकार आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 को रहेगा तथा 15 प्रतिशत से अधिक की मॉग होने पर शासन की स्वीकृति से दुकानों का सृजन किये जाने की व्यवस्था को यथावत् बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।

वर्ष 2013–14 के लिये नवसृजित विदेशी मदिरा दुकानों की निर्धारित लाइसेंस फीस में 15 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये इसे अगले स्तर पर रु0 5000 में राउण्ड आफ करके वर्ष 2014–15 हेतु निम्नवत् लाइसेंस फीस का निर्धारण किया जायेगाः–

क्रम सं0	नवसृजित दुकान की प्रास्थिति	वर्ष 2013–14 की न्यूनतम लाइसेंस फीस	वर्ष 2014–15 हेतु निर्धारित न्यूनतम लाइसेंस फीस
1	नगर निगम व इसकी सीमा से 03 कि0मी0 की परिधि तक	7,40,000/–	8,55,000/–
2	नगर पालिका व इसकी सीमा से 02 कि0मी0 की परिधि तक	2,50,000/–	2,90,000/–
3	नगर पंचायत व इसकी सीमा से 01 कि0मी0 की परिधि तक	1,15,000/–	1,35,000/–
4	ग्रामीण	60,000/–	70,000/–

विदेशी मदिरा की समस्त दुकानों (नवसृजित सहित) की प्रास्थिति का निर्धारण नियमानुसार किया जायेगा। इस संबंध में आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा समय–समय पर प्रसारित परिपत्रों में दिये गये निर्देशों का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2.5 विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों की दैनिक लाइसेंस फीसः–

वर्ष 2013–14 की भांति वर्ष 2014–15 में वार्षिक लाइसेन्स फीस का 1/365 भाग दैनिक लाइसेन्स फीस के रूप में लेकर दैनिक व्यवस्थापन सम्पन्न कराये जाने का निर्णय लिया गया है। ऐसी दुकानें, जो आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित नहीं हो सकेंगी, का व्यवस्थापन सार्वजनिक विज्ञापन प्रकाशित कराने के बाद वर्ष 2014–15 के लिये निर्धारित दैनिक लाइसेन्स फीस के सापेक्ष जो भी सर्वोच्च आफर प्राप्त हो, पर सम्पन्न कराये जाने तथा दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

2.6 विदेशी मदिरा की प्रतिफल फीस एवं एम0आर0पी0 का निर्धारण :–

वर्ष 2013–14 में विदेशी मदिरा की प्रतिफल फीस निर्धारण हेतु एक्स डिस्टिलरी प्राइस की 12 श्रेणियों को घटाकर केवल 07 श्रेणियां रखी गयी थीं। थोक एवं फुटकर अनुज्ञापियों के मार्जिन को युक्ति–युक्त करते हुये एम.आर.पी. निर्धारण के सूत्र को भी संशोधित किया गया था, जिससे एम.आर.पी. नियत्रित रह सके। राजस्व हित में वर्ष 2013–14 की प्रतिफल फीस की दरों में लगभग 15 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये वर्ष 2014–15 हेतु एम.आर.पी. निर्धारण के सूत्र की सभी श्रेणियों के लिये निम्नवत् सूत्र निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया है :–

भारत निर्मित विदेशी मदिरा (आई.एम.एफ.एल.) की प्रतिफल फीस एवं एम0आर0पी0 का निर्धारण

क0 सं0	ई0डी0पी0 की श्रेणी प्रति बोतल (750एम0एल0) (E)	श्रेणी का नाम	सुरक्षा होलोग्राम की श्रेणी	प्रतिफल फीस प्रति बोतल(750एम0एल0) (D)	थोक विक्रेता का मार्जिन(WM)	फुटकर विक्रेता का मार्जिन (RM)	एम.आर.पी. का सूत्र
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0 से 30 तक	इकोनोमी	GGG	ई0डी0पी0 का 720%	इस श्रेणी की अधिकतम ई0डी0पी0 का 12.5% अर्थात रु0 3.75	इस श्रेणी की अधिकतम ई0डी0पी0 का 160% अर्थात रु0 30 का 160%= रु0 48	कालम 2+5+6+7 का योग
2	30 से अधिक 60 तक	मीडियम	FFF	श्रेणी–1 की अधिकतम ई0डी0पी0 हेतु निर्धारित प्रतिफल फीस (रु0 30 का 720%= रु0 216.00) + रु0 30 से अधिक की ई0डी0पी0 का 175%	श्रेणी–1 की अधिकतम मार्जिन (रु0 30 का 12.5%= रु0 3.75) + रु0 30 से अधिक की ई0डी0पी0 का 5%	श्रेणी–1 की अधिकतम मार्जिन (रु0 30 का 160%= रु0 48) + रु0 30 से अधिक की ई0डी0पी0 का 50%	कालम 2+5+6+7 का योग
3	60 से अधिक 100 तक	रेगूलर	EEE	श्रेणी–2 की अधिकतम ई0डी0पी0 हेतु निर्धारित प्रतिफल फीस (रु0 268.50) + रु0 60 से अधिक की ई0डी0पी0 का 175%	श्रेणी–2 की अधिकतम मार्जिन (रु0 5.25) + रु0 60 से अधिक की ई0डी0पी0 का 3%	श्रेणी–2 की अधिकतम मार्जिन (रु0 63) + रु0 60 से अधिक की ई0डी0पी0 का 45%	कालम 2+5+6+7 का योग
4	100 से अधिक 250 तक	सेमी प्रीमियम	DDD	श्रेणी–3 की अधिकतम ई0डी0पी0 हेतु निर्धारित प्रतिफल फीस (रु0 338.50) + रु0 100 से अधिक की ई0डी0पी0 का 150%	श्रेणी–3 की अधिकतम मार्जिन (रु0 6.45) + रु0 100 से अधिक की ई0डी0पी0 का 2.5%	श्रेणी–3 की अधिकतम मार्जिन (रु0 81) + रु0 100 से अधिक की ई0डी0पी0 का 12.5%	कालम 2+5+6+7 का योग
5	250 से अधिक 400 तक	प्रीमियम	CCC	श्रेणी–4 की अधिकतम ई0डी0पी0 हेतु निर्धारित प्रतिफल फीस (रु0 563.50) + रु0 250 से अधिक की ई0डी0पी0 का 40%	श्रेणी–4 की अधिकतम मार्जिन (रु0 10.20) + रु0 250 से अधिक की ई0डी0पी0 का 2%	श्रेणी–4 की अधिकतम मार्जिन (रु0 99.75) + रु0 250 से अधिक की ई0डी0पी0 का 10%	कालम 2+5+6+7 का योग
6	400 से अधिक 600 तक	सुपर प्रीमियम	BBB	श्रेणी–5 की अधिकतम ई0डी0पी0 हेतु निर्धारित प्रतिफल फीस (रु0 623.50) + रु0 400 से अधिक की ई0डी0पी0 का 40%	श्रेणी–5 की अधिकतम मार्जिन (रु0 13.20) + रु0 400 से अधिक की ई0डी0पी0 का 2%	श्रेणी–5 की अधिकतम मार्जिन (रु0 114.75) + रु0 400 से अधिक की ई0डी0पी0 का 7.5%	कालम 2+5+6+7 का योग
7	600 से अधिक	स्काच	AAA	श्रेणी–6 की अधिकतम ई0डी0पी0 हेतु निर्धारित प्रतिफल फीस (रु0 703.50) + रु0 600 से अधिक की ई0डी0पी0 का 30%	श्रेणी–6 की अधिकतम मार्जिन (रु0 17.20) + रु0 600 से अधिक की ई0डी0पी0 का 2%	श्रेणी–6 की अधिकतम मार्जिन (रु0 129.75) + रु0 600 से अधिक की ई0डी0पी0 का 5%	कालम 2+5+6+7 का योग

उपरोक्त सूत्र का सरलीकृत स्वरुप निम्नवत् है :–

भारत निर्मित विदेशी मदिरा (आई.एम.एफ.एल.) की प्रतिफल फीस, मार्जिन एवं एम0आर0पी0 का निर्धारण

क्र0 सं0	ई0डी0पी0 की श्रेणी प्रति बोतल (750एम0एल0) (E)	श्रेणी का नाम	सुरक्षा होलोग्राम की श्रेणी	प्रतिफल फीस प्रति बोतल(750एम0एल0) (D)	थोक विक्रेता का मार्जिन (WM)	फुटकर विक्रेता का मार्जिन (RM)	एम.आर.पी. का सूत्र
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0 से 30 तक	इकोनोमी	GGG	7.20E	3.75	48	कालम 2+5+6+7 का योग
2	30 से अधिक 60 तक	मीडियम	FFF	163.50+1.75E	2.25+0.05E	33+0.50E	कालम 2+5+6+7 का योग
3	60 से अधिक 100 तक	रेगूलर	EEE	163.50+1.75E	3.45+0.03E	36+0.45E	कालम 2+5+6+7 का योग
4	100 से अधिक 250 तक	सेमी प्रीमियम	DDD	188.50+1.50E	3.95+0.025E	68.50+0.125E	कालम 2+5+6+7 का योग
5	250 से अधिक 400 तक	प्रीमियम	CCC	463.50+0.40E	5.20+0.02E	74.75+0.10E	कालम 2+5+6+7 का योग
6	400 से अधिक 600 तक	सुपर प्रीमियम	BBB	463.50+0.40E	5.20+0.02E	84.75+0.075E	कालम 2+5+6+7 का योग
7	600 से अधिक	स्काच	AAA	523.50+0.30E	5.20+0.02E	99.75+0.05E	कालम 2+5+6+7 का योग

1. 750 एम0एल0 धारिता की बोतल हेतु प्रतिफल फीस का आगणन करके अन्य धारिताओं की बोतलों हेतु समानुपातिक रुप से प्रतिफल फीस का आगणन किया जायेगा।
2. 750 एम0एल0 धारिता की बोतल हेतु थोक/फुटकर विक्रेता के मार्जिन का आगणन करके अन्य धारिताओं की बोतलों हेतु समानुपातिक रुप से मार्जिन का आगणन किया जायेगा।
3. 750 एम0एल0 की बोतल के सापेक्ष छोटी धारिताओं में बोतल, लेबुल व पी.पी.कैप के मूल्यों का अधिभार अधिक पड़ने के दृष्टिगत बोतल (750 एम0एल0) की एम0आर0पी0 निर्धारण के लिये आसवनी द्वारा प्रस्तुत एक्स आसवनी मूल्य (ई0डी0पी0) में 375 एम0एल0 की धारिता हेतु रु0 4 तथा अन्य धारिताओं यथा 180 एम0एल0, 90 एम0एल0 व 60एम0एल0 के एम0आर0पी0 निर्धारण हेतु रु0 6, बढ़ाकर किया जाना प्रस्तावित है। अर्थात आसवनी द्वारा प्रस्तुत प्रति बोतल (750 एम0एल0) ई0डी0पी0 में उपरोक्तानुसार रु0 4 /रु0 6 जोड़कर 375 एम0एल0/180 एम0एल0 एवं उससे कम धारिता की बोतलों हेतु समानुपातिक (750 एम0एल0 धारिता की बोतल में बन रही छोटी धारितओं की बोतलों की पूर्ण संख्या के अनुसार) रुप से ई0डी0पी0 का आगणन किया जायेगा।

4. विदेशी मदिरा के अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य को राउन्ड आफ करते हुए 5 के गुणांक में अगले स्तर पर निर्धारित कर अन्तर की धनराशि को अतिरिक्त प्रतिफल फीस के रुप में लिया जायेगा।

2.7 विदेशी मदिरा का ई0एन0ए0 से निर्माणः–

वर्ष 2008–09 की आबकारी नीति से विदेशी मदिरा की सभी श्रेणियों का निर्माण ई0एन0ए0 से करने की अद्यतन प्रचलित व्यवस्था को वर्ष 2014–15 में यथावत् बनाये रखने का निर्णय लिया गया है।

2.8 विदेशी शराब की थोक आपूर्तिः–

(क) एफ0एल0–2 अनुज्ञापनों का नवीनीकरण :–

वर्ष 2013–14 में एफ0एल0–2 अनुज्ञापन से बीयर की थोक बिक्री समाप्त करते हुये इन अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर अनुज्ञापन शुल्क पुनः निर्धारित किया गया था। अतः वर्ष 2013–14 में कार्यरत एफ0एल0–2 अनुज्ञापनों को वर्ष 2014–15 के लिये नवीनीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(ख) एफ0एल0–2 अनुज्ञापन शुल्क :–

वर्ष 2013–14 के लिये निर्धारित लाइसेंस फीस में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर उसे अगले स्तर पर रु0 5000 में राउण्ड आफ करते हुये वर्ष 2014–15 हेतु लाइसेंस फीस का निर्धारण निम्नवत् किये जाने का निर्णय लिया गया हैः–

क्रम संख्या	वर्ष 2013–14 में जनपद में विदेशी मदिरा के फुटकर अनुज्ञापनों से विक्रय होने वाली अनुमानित विदेशी मदिरा की बोतलों (750 एम.एल.) की संख्या	वर्ष 2013–14 की लाइसेन्स फीस (रूपये में)	वर्ष 2014–15 हेतु निर्धारित लाइसेन्स फीस(रूपये में)
1	7,00,000 बोतलों तक	5.50 लाख	6.05 लाख
2	7,00,000 से 15,00,000 बोतल तक	11.00 लाख	12.10 लाख
3	15,00,000 से 25,00,000 बोतल तक	22.00 लाख	24.20 लाख
4	25,00,000 से 30,00,000 बोतल तक	33.00 लाख	36.30 लाख
5	30,00,000 बोतल से अधिक	44.00 लाख	48.40 लाख

स्पष्टीकरण :– 1– उपरोक्तानुसार उपभोग का आगणन मुख्यालय में उपलब्ध अन्तिम मास तक के उपभोग विवरण के आधार पर किया जायेगा।

2– यदि एफ0एल0–2 अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन मार्च–2014 से पूर्व कराया जाता है तो माह मार्च–2014 में माह फरवरी–2014 तक के उपभोग के आधार पर एफ0एल0–2 अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस का पुनर्निधारण कराया जायेगा और पुनर्निधारण में यदि लाइसेंस फीस में कोई वृद्धि होती है, तो तदनुसार वृद्धि की धनराशि जमा करायी जायेगी, किन्तु पूर्व में निर्धारित लाइसेंस फीस में कोई कमी नहीं की जायेगी।

(ग) एफ0एल0–2 अनुज्ञापनों से अन्य जनपद को विदेशी मदिरा की आपूर्ति हेतु अतिरिक्त लाइसेंस फीस :–

एफ0एल0–2 अनुज्ञापी द्वारा अपने जनपद के अतिरिक्त अन्य जनपद को विदेशी मदिरा की आपूर्ति करने हेतु अतिरिक्त लाइसेंस फीस अदा करने तथा उसे जमा करने की वर्ष 2013–14 में निर्धारित प्रक्रिया को वर्ष 2014–15 के लिये निम्नवत् बनाये रखे जाने का निर्णय लिया गया है :–

1. जिन जनपदों हेतु एफ0एल0–2 अनुज्ञापन व्यवस्थित नहीं हो पाते है, उन जनपदों हेतु विदेशी मदिरा की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिये आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा किसी अन्य जनपद/जनपदों के एफ0एल0–2 अनुज्ञापी को सम्बद्व किया जायेगा।
2. विदेशी मदिरा की आपूर्ति प्राप्त करने वाले जनपद के लिये वर्ष 2014–15 हेतु निर्धारित एफ0एल0–2 अनुज्ञापन की लाइसेंस फीस विदेशी मदिरा की आपूर्ति करने वाले एफ0एल0–2 अनुज्ञापी/अनुज्ञापियों से अतिरिक्त लाइसेंस फीस के रुप में वसूल की जायेगी।
3. उपरोक्त अतिरिक्त लाइसेंस फीस मासिक रुप से जमा करायी जायेगी। मासिक अतिरिक्त लाइसेंस फीस आपूर्ति प्राप्त करने वाले जनपद के लिये एफ0एल0–2 अनुज्ञापन हेतु उपरोक्तानुसार निर्धारित लाइसेंस फीस का 1/12 भाग होगी। आपूर्ति प्राप्त करने वाले जनपद का सम्बद्वीकरण आदेश प्राप्त होने की तिथि से 3 कार्य दिवसों के अंदर आपूर्तिकर्ता एफ0एल0–2 अनुज्ञापी द्वारा उपरोक्त मासिक लाइसेंस फीस जमा की जायेगी। उसके बाद आगामी माह के लिये सम्बद्वीकरण आदेश अग्रेतर प्रभावी रहने की स्थिति में उक्त माह के लिये मासिक लाइसेंस फीस संबंधित माह के प्रथम कार्य दिवस को जमा करायी जायेगी।
4. आपूर्तिकर्ता अनुज्ञापियों द्वारा उक्त निर्धारित लाइसेंस फीस समयान्तर्गत जमा करायी जायेगी एवं संबंधित जिला आबकारी अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि उक्त लाइसेंस फीस मदिरा की निकासी से पूर्व आपूर्तिकर्ता अनुज्ञापी द्वारा जमा कर दी गयी है। जिला आबकारी अधिकारी अतिरिक्त लाइसेंस फीस की जमा की सूचना संबंधित ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति के साथ माह की 05वीं तिथि तक आयुक्तालय तथा संबंधित संयुक्त/उप आबकारी आयुक्त को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
5. आपूर्तिकर्ता एफ0एल0–2 अनुज्ञापी द्वारा उक्त अतिरिक्त लाइसेंस फीस विदेशी मदिरा प्राप्त करने वाले फुटकर अनुज्ञापियों से अतिरिक्त रुप से वसूल नहीं की जायेगी।

(घ) <u>समुद्रपार से आयातित मदिरा/बीयर की थोक बिक्री के एफ0एल0–2डी अनुज्ञापनों का अनुज्ञापन शुल्कः–</u>

एफ0एल0–2डी अनुज्ञापनों का अनुज्ञापन शुल्क वर्ष 2013–14 हेतु रु0 1,00,000 निर्धारित है। राजस्व हित में इस अनुज्ञापन शुल्क में 10 प्रतिशत की वृद्वि करते हुये वर्ष 2014–15 हेतु रु0 1,10,000 प्रति अनुज्ञापन निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2.9 एफ0एल0–9/9ए अनुज्ञापनों के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली विदेशी मदिरा की लाइसेंस फीस एवं प्रतिफल फीस :–

एफ0एल0–9/9ए अनुज्ञापनों के लिये सिविल की आधी लाइसेंस फीस भारत निर्मित विदेशी मदिरा के लिये रु0 18.40 प्रति बोतल (750 एम0एल0) तथा बीयर के लिये रु0 4 प्रति बोतल (650 एम0एल0) वर्ष 2013–14 में निर्धारित की जा चुकी है। वर्ष 2014–15 के लिये विदेशी मदिरा एव बीयर की फुटकर दुकानों हेतु सिविल की लाइसेंस फीस में 15 प्रतिशत की वृद्वि करने का निर्णय लिया गया है। यदि एफ0एल0–9/9ए अनुज्ञापनों की वर्ष 2013–14 की प्रति बोतल भारत निर्मित विदेशी मदिरा व बीयर की लाइसेंस फीस में 15 प्रतिशत की वृद्वि कर दी जाय तो इन अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस में भी सिविल की भांति 15 प्रतिशत की वृद्वि आ जायेगी। यह वृद्वि वर्ष 2013–14 में प्रति बोतल लाइसेंस फीस में की गयी वृद्वि के पैटर्न पर ही होगी। इस प्रकार वर्ष 2014–15 के लिये वर्ष 2013–14 के लिये निर्धारित लाइसेंस फीस रु0 18.40 प्रति बोतल में 15 प्रतिशत की वृद्वि करते हुये रु0 21.16 को राउण्ड आफ करके रु0 21.20 प्रति बोतल (750 एम0एल0) तथा बीयर के लिये निर्धारित प्रति बोतल लाइसेंस फीस रु0 4.00 में 15 प्रतिशत की वृद्वि करते हुये रु0 4.60 प्रति बोतल (650 एम0एल0) निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2.10 एफ0एल0–9ए अनुज्ञापन के अन्तर्गत रियायती रम की ई0डी0पी0 :–

वर्तमान में सिविल आपूर्ति हेतु न्यूनतम श्रेणी की विदेशी मदिरा "इकोनोमी श्रेणी" में विद्यमान है, जिसकी ई0डी0पी0 रु0 0 से 30 तक अनुमन्य है। वर्ष 2013–14 में रियायती रम की आपूर्ति इसी इकोनोमी श्रेणी की विदेशी मदिरा के समतुल्य

ई0डी0पी0 के अनुसार किया जाना अनुमन्य है। इस व्यवस्था को वर्ष 2014–15 हेतु यथावत बनाये रखने का निर्णय लिया गया है।

2.11 भारत निर्मित विदेशी मदिरा का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशनः–

भारत निर्मित विदेशी मदिरा की वर्ष 2013–14 हेतु निर्धारित ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस रू0 50,000/– प्रति ब्राण्ड में रु0 5,000/– की वृद्वि करते हुये वर्ष 2014–15 हेतु ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस रु0 55,000/– प्रति ब्राण्ड निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2.12 अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशनः–

अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा की वर्ष 2013–14 में निर्धारित ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस रु0 20000/– प्रति ब्राण्ड को वर्ष 2014–15 हेतु यथावत बनाये रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

2.13 अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा पर एम0आर0पी0 अंकित किये जाने का प्राविधान :–

अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा की बोतलों पर वर्ष 2013–14 में एम.आर.पी. और अन्य "लीजेण्ड" मुद्रित करने की प्रचलित व्यवस्था को वर्ष 2014–15 हेतु यथावत् बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।

2.14 विदेशी मदिरा का थोक अनुज्ञापन (एफ0एल0–2ए):–

प्रतिरक्षा सेवाओं एवं कतिपय अन्य केन्द्रीय अर्द्व सैनिक बलों को विदेशी मदिरा की थोक आपूर्ति हेतु एफ0एल0–2ए अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाते है। उक्त एफ0एल0–2ए अनुज्ञापन की लाइसेंस फीस वर्ष 2013–14 में रू0 2500 वार्षिक निर्धारित है। इसे वर्ष 2014–15 हेतु यथावत् बनाये रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

2.15 एफ0एल0–1/एफ0एल0–1ए (आसवनी स्तर से विदेशी मदिरा आपूर्ति के थोक अनुज्ञापन) :–

वर्ष 2013–14 हेतु एफ0एल0–1/एफ0एल0–1ए की लाइसेंस फीस रु0 4,00,000/– एवं प्रतिभूति धनराशि रु0 40000/– प्रति अनुज्ञापन निर्धारित है, जिसे वर्ष 2014–15 में यथावत बनाये रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

2.16 बी0डब्लूएफ0एल0–2ए/2बी/2सी/2डी अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस (अन्य प्रान्तों के आसवक/यवासक/द्राक्षासवक एवं एल0ए0बी0 निर्माताओं के लिए) :–

बी0डब्लू0एफ0एल0–2ए/2बी/2सी/2डी अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस हेतु वर्ष 2013–14 में प्रचलित अनुज्ञापन शुल्क दरों को वर्ष 2014–15 में यथावत् बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।

2.17 विदेशी मदिरा के लेबुलों की अनुमोदन फीसः–

विदेशी मदिरा के लेबुलों की वर्ष 2013–14 में निर्धारित अनुमोदन फीस रु0 30000/– प्रति लेबुल में रु0 5000 की वृद्वि करते हुये वर्ष 2014–15 हेतु लेबुल अनुमोदन फीस रु0 35000/– प्रति लेबुल निर्धारित किये जाने का निणर्य लिया गया है।

2.18 विदेशी मदिरा पर आयात अनुज्ञा पत्र फीसः–

बोतलों में आयाातित विदेशी मदिरा पर आयात अनुज्ञा पत्र फीस वर्ष 2013–14 में 4/– रूपये प्रति बल्क लीटर निर्धारित है। इसे वर्ष 2014–15 हेतु यथावत् रखे जाने का निर्णय लिया गया है। विदेशी मदिरा के बल्क में आयात पर (मिलेट्री कैन्टीन या सी0एस0डी0 लाइसेंस धारी को छोड़कर) रु0 3/– प्रति बल्क लीटर आयात अनुज्ञा पत्र फीस वर्ष 2013–14 की भांति वर्ष 2014–15 हेतु यथावत् रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

2.19 विदेशी मदिरा की निर्यात पास फीस (सिविल):–

वर्ष 2013–14 की भांति वर्ष 2014–15 हेतु भी विदेशी मदिरा का बल्क में निर्यात किये जाने पर निर्यात पास फीस रु0 6/– प्रति बल्क लीटर तथा विदेशी मदिरा का बोतलों में निर्यात किये जाने पर निर्यात पास फीस रु0 3.67/– प्रति ए0एल0 रखे जाने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में भारतीय सेना को आपूर्ति की जाने वाली रियायती रम पर निर्धारित निर्यात पास फीस रुपये 0.72 प्रति ए0एल0 को वर्ष 2014–15 हेतु यथावत बनाये रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

2.20 विदेशी मदिरा की 90 एम0एल0 व 60 एम0एल0 की धारिता में आपूर्ति :–

वर्ष 2013–14 हेतु विदेशी मदिरा की श्रेणियों के पुर्ननिर्धारण के दृष्टिगत 90 एम0एल0 की धारिता की बोतलों में विदेशी मदिरा की बिक्री वर्ष 2013–14 में रेगुलर व उससे ऊपर की श्रेणियों में शीशे की बोतलों के साथ–साथ "सिरोंग पैक" में तथा 60 एम0एल0 धारिता की बोतलों की बिक्री सेमी प्रीमियम व उससे ऊपर की श्रेणियों में अनुमन्य की गयी है। इस व्यवस्था को वर्ष 2014–15 में यथावत बनाये रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

2.21 बार /क्लब लाइसेंस :–

वर्ष 2013–14 हेतु विभिन्न प्रकार के बार अनुज्ञापनों की निर्धारित लाइसेंस फीस में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर 1000 रुपये में राउण्ड आफ कर पूर्व प्रदत्त सुविधाओं के साथ वर्ष 2014–15 के लिये निम्नवत् लाइसेंस फीस निर्धारित की जाती है :–

निश्चित फीस प्रणाली (रुपये में)		
होटल/रेस्टोरेन्ट बार/ क्लब परमिट	जनपद गौतमबुद्वनगर एवं जनपद गाजियाबाद सम्पूर्ण जनपद के क्षेत्र में तथा जनपद आगरा, कानपुर नगर, इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद, अलीगढ़, झांसी, सहारनपुर, बुलन्दशहर, मथुरा तथा मुजफ्फरनगर के नगर निगम क्षेत्र/जनपद मुख्यालय के नगर पालिका परिषद क्षेत्र, जिनमें छावनी बोर्ड, नोटीफाइड एरिया एवं विकास प्राधिकरण, यदि कोई हो, के क्षेत्र भी सम्मिलित हैं, तथा उपरोक्त जनपदों के ऐसे क्षेत्रों में स्थित ऐसे नगरीय/ग्रामीण क्षेत्र जो उक्त क्षेत्रों में भले सम्मिलित न हों, किन्तु उन क्षेत्रों से घिरे हुये हों, में स्थित होटल/रेस्टोरेन्ट	स्तम्भ–2 में विनिर्दिष्ट क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र में स्थित होटल/ रेस्टोरेन्ट
(1)	(2)	(3)
(क) एफ0एल0–6(समिश्र) कमरों की संख्या के आधार पर होटलों का वर्गीकरण (एक) 30 कमरों तक	5,78,000	4,62,000
(दो) 30 कमरों से अधिक किन्तु 70 से अनाधिक तक	6,93,000	5,23,000
(दो) 70 कमरों से अधिक किन्तु 100 से अनाधिक तक	7,54,000	6,93,000
(तीन) 100 से अधिक कमरे	8,69,000	7,54,000

(ख) एफ0एल0–6क (समिश्र) (चार व पांच सितारा होटल)	13,86,000	12,71,000
(ग) एफ0एल0–7 के लिए	5,23,000	4,07,000
(घ) एफ0एल0–7ख के लिए	1,76,000	1,21,000
(ङ) एफ0एल0–7सी (क्लब परमिट)		
(एक) 100 सदस्यों तक	1,49,000	1,49,000
(दो) 101 से 500 तक के सदस्यों के लिए	2,04,000	2,04,000
(तीन) 500 से अधिक सदस्यों के लिए	2,31,000	2,31,000

अग्रिम प्रतिबंध यह भी होगा कि किसी भी बार अनुज्ञापन की वर्ष 2014–15 की लाइसेंस फीस उसके द्वारा वर्ष 2013–14 में अदा की गयी लाइसेंस फीस से कम नहीं होगी।

उपरोक्तानुसार लाइसेंस फीस की अदायगी के उपरान्त निम्न सुविधायें वर्ष 2014–15 हेतु अनुमन्य होंगी :–

(1) स्टार होटलों के सभी कमरों में तथा नान स्टार होटलों के केवल ए.सी. कमरों में अन्तःवासियों हेतु मिनी बार की सुविधा।

(2) होटलों में मदिरा पीने के लिए अनुमन्य बार रुम एवं होटल के कमरों के अतिरिक्त अन्य स्थानों यथा कानफ्रेन्स रुम, वैंकेटहाल, स्वीमिंग पूल व अन्य किसी स्थल पर अधिकतम 5 अतिरिक्त स्थलों की सीमा के अन्तर्गत अन्तःवासियों हेतु मदिरा पान की सुविधा।

(3) भारत निर्मित विदेशी मदिरा तथा आयातित विदेशी मदिरा की प्रदेश में विक्रय हेतु अनुमन्य ब्राण्डों की 60 एम.एल. की धारिता की बोतलों की होटल के कमरों में उपलब्धता।

(4) ड्राट बीयर एवं बीयर की सभी धारिताओं की बोतलों, केन पैक सहित, उपलब्धता।

(5) वाइन की सभी धारिताओं की बोतलों की उपलब्धता।

2.22 बार अनुज्ञापनों की कार्यावधि :–

वर्ष 2013–14 में सभी बार अनुज्ञापनों की कार्यावधि प्रत्येक दिनों में 12 बजे दोपहर से रात्रि 12 बजे तक निर्धारित है, साथ ही नगर निगम क्षेत्रों तथा गौतमबुद्वनगर में स्थित बारों से एक लाख पच्चीस हजार रुपये अतिरिक्त वार्षिक फीस लेकर 1.00 बजे रात्रि तक बार में मदिरा का उपभोग अनुमन्य है। इस व्यवस्था को वर्ष 2014–15 में इसे यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

2.23 अकेजनल बार लाइसेंस :–

वर्ष 2013–14 हेतु निर्धारित अकेजनल बार लाइसेंस फीस को वर्ष 2014–15 हेतु यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

2.24 अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा पर परमिट फीस :–

अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा की परमिट फीस वर्ष 2014–15 हेतु निम्नवत् निर्धारित की जाती हैः–

एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य	परमिट फीस
रु0 0 से 600 तक	रु0 940 प्रति बल्क लीटर
रु0 600 से अधिक	रु0 990 प्रति बल्क लीटर

3– वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय

3.1 भारत में निर्मित वाइन पर आयात शुल्क :–

वर्ष 2014–15 हेतु वाइन पर आयात शुल्क वर्ष 2013–14 की भांति रु0 3/– प्रति बल्क लीटर रखा जाता है।

3.2 भारत निर्मित वाइन पर प्रतिफल फीस :–

वर्ष 2013–14 की भांति वर्ष 2014–15 में भारत में निर्मित वाइन पर प्रतिफल फीस न्यूनतम् रू0 66.66 प्रतिलीटर या एम.आर.पी. का 25 प्रतिशत, जो अधिक हो, को यथावत रखा जाता है।

3.3 अन्य देशों से आयातित वाइन पर परमिट फीस :–

वर्ष 2013–14 में निर्धारित अन्य देशों से आयातित वाइन पर परमिट फीस रू0 66.66 प्रतिलीटर या एम.आर.पी. का 25 प्रतिशत, जो अधिक हो, को वर्ष 2014–15 में यथावत रखा जाता है।

3.4 अन्य देशों से आयातित वाइन पर एम.आर.पी. अंकित किया जाना :–

अन्य देशों से आयातित वाइन की बोतलों पर वर्ष 2013–14 में एम.आर.पी. और अन्य "लीजेण्ड" मुद्रित करने की प्रचलित व्यवस्था को वर्ष 2014–15 में भी बनाये रखा जाता है।

3.5 अन्य देशों से आयातित वाइन का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशनः–

वर्ष 2013–14 में निर्धारित अन्य देशों से आयातित वाइन पर अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा की भांति ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन हेतु रु0 20,000/– प्रति ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस को वर्ष 2014–15 में यथावत बनाये रखा जाता है।

3.6 भारतीय वाइन का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन एवं लेबुल अनुमोदनः–

वर्ष 2013–14 में निर्धारित भारत निर्मित वाइन की ब्रान्ड रजिस्ट्रेशन फीस रू0 5000/– एवं लेबुल अनुमोदन फीस भी रू0 5000/– को वर्ष 2014–15 में भी यथावत बनाये रखा जाता है।

3.7 वाइन की बिक्री :–

वर्ष 2013–14 की ही भॉति वर्ष 2014–15 में भी विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों से वाइन की बिक्री करायी जायेगी।

3.8 कम तीव्रता के मादक पेय की बिक्री :–

वर्ष 2013–14 में सेना के अधिकारियों को एफ0एल0–9 अनुज्ञापनों के माध्यम से बीयर की भांति एल.ए.बी. की बिक्री अनुमन्य है। इसे वर्ष 2014–15 में भी यथावत बनाये रखा जाता है।

3.9 कम तीव्रता के मादक पेय का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन एवं लेबुल अनुमोदनः–

वर्ष 2013–14 में निर्धारित कम तीव्रता के मादक पेय के ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन व लेबुल अनुमोदन की फीस क्रमशः रु0 3000/– व रु0 5000/– को वर्ष 2014–15 में यथावत बनाये रखा जाता है।

3.10 कम तीव्रता के मादक पेय , ऐल, पोर्टर, साइडर व अन्य फर्मेन्टेड लिकर पर प्रतिफल फीस :–

वर्ष 2014–15 में भी प्रचलित व्यवस्थानुसार उक्त मादकों के संबंध में ई0डी0पी0 प्राप्त कर बीयर की भांति एम0आर0पी0 व प्रतिफल फीस को निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

4– बीयर

4.1 बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों की वर्ष 2014–15 हेतु लाइसेंस फीस :–

इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2013–14 की भांति ही दुकान की वर्ष 2013–14 की व्यवस्थित लाइसेंस फीस में 15 प्रतिशत की वृद्वि तथा इस वृद्वि के आधार पर आगणित लाइसेंस फीस को अगले स्तर पर 5000 रु0 में राउण्ड आफ करके उक्त बीयर दुकान की वर्ष 2014–15 हेतु लाइसेंस फीस का निर्धारण किया जायेगा।

4.2 बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों का वर्ष 2014–15 हेतु व्यवस्थापन

(क) आगरा, वाराणसी, लखनऊ तथा गोरखपुर जोन में बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों का व्यवस्थापन :–

बीयर की फुटकर बिक्री की वर्ष 2013–14 में संचालित दुकानों, का नवीनीकरण वर्ष 2014–15 हेतु निम्न प्रतिबंधों के साथ किया जायेगा:–

1– अंतिम व्ययगत मास तक की समस्त देयताएं बेबाक हों।

2– वर्ष 2013–14 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित हो।

3– वर्ष 2014–15 के लिए निर्धारित देयताओं की अदायगी के लिये अनुज्ञापी तत्पर हों।

4– वर्ष 2014–15 हेतु निर्धारित उपरोक्तानुसार बीयर दुकानों की लाइसेंस फीस को दुकानवार/ क्षेत्रवार, आबकारी निरीक्षकों द्वारा तथा दुकानवार/ क्षेत्रवार/जिलेवार जिला आबकारी अधिकारी द्वारा परीक्षण के उपरान्त उप आबकारी आयुक्त, प्रभार के माध्यम से लाइसेंस प्राधिकारी/जिलाधिकारी से अनुमोदित कराया जायेगा।

5– उपरोक्तानुसार नवीनीकृत न हो सकी दुकानों को वर्ष 2014–15 के लिए निर्धारित लाइसेंस फीस पर विज्ञापन देकर आवेदन मांग कर व्यवस्थित कराया जायेगा। यदि किसी दुकान पर एक ही आवेदन प्राप्त होता है, और नियमानुसार उचित पाया जाता है तो दुकान का आवंटन आवेदक के पक्ष में कर दिया जायेगा। एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में दुकान का आवंटन नियमानुसार सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से कराया जायेगा। इसी के साथ नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन भी निकायवार निर्धारित लाइसेंस फीस पर विज्ञापन के माध्यम से आवेदन मांगकर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से कराया जायेगा।

6– वर्ष 2013–14 में संचालित हो रही दुकानों के उपरोक्तनुसार भी व्यवस्थित न होने पर इनका व्यवस्थापन सार्वजनिक विज्ञापन देकर वर्ष 2013–14 की लाइसेंस फीस पर आफर मांग कर कराया जायेगा। प्रतिबंध यह रहेगा कि वर्ष 2013–14 की लाइसेंस फीस से कम का आफर स्वीकार न होगा। दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा।

(ख) विशिष्ट मेरठ जोन में बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों का व्यवस्थापनः–

विशिष्ट जोन मेरठ में बीयर की फुटकर बिक्री की वर्ष 2013–14 में संचालित दुकानों, का नवीनीकरण एवं नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन वर्ष 2014–15 हेतु निम्न प्रतिबंधों के साथ किया जायेगा:–

1. विशिष्ट जोन मेरठ में बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों का व्यवस्थापन उपरोक्त प्रस्तर–2(अ)(3)4.2(क) के बिन्दु संख्या–1, 2, 3 एवं 4 में वर्णित प्रक्रिया/प्रतिबंधों के अनुरूप लाइसेंस फीस निर्धारित करके किया जायेगा।

2. विशिष्ट जोन मेरठ के वर्ष 2013–14 के अनुज्ञापी को जोन की बीयर की समस्त फुटकर बिक्री की दुकानें वर्ष 2014–15 हेतु निर्धारित नवीनीकरण फीस, लाइसेंस फीस व प्रतिभूति धनराशि के आधार पर नवीनीकृत कराना एवं नवसृजित दुकानों के लिए निर्धारित लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति धनराशि के आधार पर अनुज्ञापन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। किसी भी दुकान का व्यवस्थापन न कराने की दशा में मेरठ जोन की देशी शराब, विदेशी मदिरा,बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं माडल शाप्स के अनुज्ञापी के रुप में किया गया उसका चयन निरस्तीकरण योग्य होगा, जिसके तारतम्य में उसको प्रदत्त देशी शराब, विदेशी मदिरा,बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं माडल शाप्स के समस्त अनुज्ञापन निरस्तीकरण योग्य होंगे। इस प्रकार निरस्त/रिक्त अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन नियमानुसार किया जायेगा।

4.3 बीयर की फुटकर दुकानों हेतु आवेदन व प्रोसेसिंग फीस एवं नवीनीकरण शुल्क :–

वर्ष 2013–14 में निर्धारित आवेदन व प्रोसेसिंग फीस रु0 7000/– प्रति आवेदन को रु0 1000/– बढ़ाकर वर्ष 2014–15 के लिए रु0 8000/– प्रति आवेदन किया जाता है। शासनादेश सं0 3174 ई–2/तेरह–2010–141/2007 दिनांक 03 फरवरी, 2011 के अनुसार आवेदन पत्रों की प्रोसेसिंग फीस पर नियमानुसार वैट भी देय है। अतः वर्ष 2014–15 हेतु प्रोसेसिंग फीस पर तत्समय निर्धारित दर पर वैट तथा नियमानुसार देय अन्य करों की वसूली भी अतिरिक्त रुप से पूर्ववत् की जायेगी।

बीयर की दुकानों का वर्ष 2013–14 हेतु नवीनीकरण किया गया था। तत्समय निकायवार लिया गया नवीनीकरण शुल्क वर्ष 2014–15 के लिए यथावत् बनाये रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

4.4 बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों का सृजनः–

वर्ष 2014–15 में नई दुकानों के सृजन की आवश्यकता के दृष्टिगत वर्ष 2013–14 की भांति प्रदेश की वर्ष 2013–14 की कुल व्यवस्थित दुकानों के 25 प्रतिशत तक बीयर की नई दुकानों के सृजन का अधिकार आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 को रहेगा तथा 25 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने पर दुकानों का सृजन शासन की अनुमति से किया जायेगा। वर्ष 2014–15 के लिये बीयर की नवसृजित दुकानों की लाइसेंस फीस में रु0 5000/– प्रति दुकान की वृद्धि करते हुये निम्नवत् लाइसेंस फीस निर्धारित की जाती है :–

क्रम सं0	नवसृजित दुकान की प्रास्थिति	वर्ष 2013–14 की न्यूनतम लाइसेंस फीस (रुपये में)	वर्ष 2014–15 हेतु निर्धारित न्यूनतम लाइसेंस फीस (रुपये में)
1	नगर निगम व इसकी सीमा से 03 कि0मी0 की परिधि तक	1,85,000/–	1,90,000/–
2	नगर पालिका व इसकी सीमा से 02 कि0मी0 की परिधि तक	95,000/–	1,00,000/–
3	नगर पंचायत व इसकी सीमा से 01 कि0मी0 की परिधि तक	50,000/–	55,000/–
4	ग्रामीण	45,000/–	50,000/–

बीयर की समस्त दुकानों (नवसृजित सहित) की प्रास्थिति का निर्धारण नियमानुसार किया जायेगा। इस संबंध में आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा समय–समय पर प्रसारित परिपत्रों में दिये गये निर्देशों का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4.5 बीयर की प्रतिफल फीस एवं एम0आर0पी0 :–

वर्ष 2014–15 में प्रतिफल फीस एवं एम.आर.पी. निर्धारण के सूत्र को वर्ष 2013–14 की प्रतिफल फीस की दरों में लगभग 15 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये निम्नानुसार प्रतिफल फीस एवं एम.आर.पी.निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है :–

माइल्ड बीयर की एम.आर.पी. निर्धारण हेतु प्रस्तावित सूत्र (5 प्रतिशत वी/वी या उससे कम अल्कोहल की तीव्रता)

एक्स यवासवनी/ बाण्ड्धारक इकाई/एक्स सी.एस.डी. मूल्य प्रति बोतल 650 एम.एल. (रु0 में) (E)	सुरक्षा होलोग्राम की श्रेणी	प्रतिफल फीस प्रति लीटर (रु0 में)	प्रतिफल फीस प्रति बोतल (650 मि0ली0) (रु0 मे0) **(D)**	थोक बिक्रेता का मार्जिन (प्रति बोतल 650मि.ली)	फुटकर बिक्रेता का मार्जिन (प्रति बोतल 650मि.ली)	अधिकतम फुटकर मूल्य **(P)** (प्रति बोतल 650मि.ली.) **MRP**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0 से 25/– तक	MBE	***	ई0बी0पी0(E) का 121%	इस श्रेणी की अधिकतम ई0बी0पी0 (E) का 5% अर्थात रु0 1.25	इस श्रेणी की अधिकतम ई0बी0पी0 (E) का 54% अर्थात रु0 13.50	कालम 1+4+5+6 का योग

25/– से अधिक	MBR	***	श्रेणी–1 की अधिकतम ई0बी0पी0 (E) के लिये निर्धारित प्रतिफल फीस (रु0 25 का 121% = रु0 30.25) + रु0 25 से अधिक की ई0बी0पी0 का 41%	रु0 1.75	रु0 15.00	कालम 1+4+5+6 का योग
यदि ब्रिवरी/ बान्डधारक द्वारा ई0 बी0 पी0 इस प्रकार निर्धारित/प्रस्तावित की जाती है कि प्रति बोतल (650 मि0ली0) का अधिकतम फुटकर मूल्य रु0 110 से अधिक निर्धारित हो रहा है तो उसपर प्रतिफल फीस एवं मार्जिन आगे कालमों में प्रदर्शित प्रकिया अनुसार देय होगी।	MBP	***	ई0बी0पी0(E) का 98%	रु0 1.75	रु0 15.00	कालम 1+4+5+6 का योग

उपरोक्त सूत्र का सरलीकृत स्वरुप निम्नवत् है :–

एक्स यवासवनी/ बाण्डधारक इकाई/ एक्स सी.एस.डी. मूल्य प्रति बोतल 650 एम.एल. (रु0 में) (E)	सुरक्षा होलोग्राम की श्रेणी	प्रतिफल फीस प्रति लीटर (रु0 में)	प्रतिफल फीस प्रति बोतल (650 मि0ली0) (रु0 में0) **(D)**	थोक बिक्रेता का मार्जिन (प्रति बोतल 650मि.ली)	फुटकर बिक्रेता का मार्जिन (प्रति बोतल 650मि.ली)	अधिकतम फुटकर मूल्य **(P)** (प्रति बोतल 650मि.ली.) **MRP**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0 से 25/– तक	MBE	***	1.21E	1.25	13.50	कालम 1+4+5+6 का योग
25/– से अधिक	MBR	***	20.00+0.41E	1.75	15.00	कालम 1+4+5+6 का योग
यदि ब्रिवरी/ बान्डधारक द्वारा ई0 बी0 पी0 इस प्रकार निर्धारित/प्रस्तावित की जाती है कि प्रति बोतल (650 मि0ली0) का अधिकतम फुटकर मूल्य रु0 110 से अधिक निर्धारित हो रहा है तो उसपर प्रतिफल फीस एवं मार्जिन आगे कालमों में प्रदर्शित प्रकिया अनुसार देय होगी।	MBP	***	0.98E	1.75	15.00	कालम 1+4+5+6 का योग

स्ट्रांग बीयर की एम.आर.पी. निर्धारण हेतु प्रस्तावित सूत्र (5% v/v अल्कोहल की तीव्रता से अधिक परन्तु 8% v/v अल्कोहल की तीव्रता तक) :–

एक्स यवासवनी/ बाण्डधारक इकाई/एक्स सी. एस.डी. मूल्य प्रति बोतल 650 एम.एल. (रु0 में) (E)	सुरक्षा होलोग्राम की श्रेणी	प्रतिफल फीस प्रति लीटर (रु0 में)	प्रतिफल फीस प्रति बोतल (650 मि0ली0) (रु0 में0) **(D)**	थोक बिक्रेता का मार्जिन (प्रति बोतल 650मि.ली)	फुटकर बिक्रेता का मार्जिन (प्रति बोतल 650मि.ली)	अधिकतम फुटकर मूल्य **(P)** (प्रति बोतल 650मि.ली.) **MRP**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0 से 25/– तक	**SBE**	***	ई0बी0पी0(E) का 190%	इस श्रेणी की अधिकतम ई0बी0पी0 (E) का 5% अर्थात रु0 1.25	इस श्रेणी की अधिकतम ई0बी0पी0 (E) का 54% अर्थात रु0 13.50	कालम 1+4+5+6 का योग
25/– से अधिक	**SBR**	***	श्रेणी–1 की अधिकतम ई0बी0पी0 (E) के लिये निर्धारित प्रतिफल फीस (रु0 25 का 190% = रु0 47.50) + रु0 25 से अधिक की ई0बी0पी0 का 18%	रु0 1.75	रु0 15.00	कालम 1+4+5+6 का योग
यदि ब्रिवरी/ बान्डधारक द्वारा ई0 बी0 पी0 इस प्रकार निर्धारित/ प्रस्तावित की जाती है कि प्रति बोतल (650 मि0ली0) का अधिकतम फुटकर मूल्य रु0 120 से अधिक निर्धारित हो रहा है तो उसपर प्रतिफल फीस एवं मार्जिन आगे कालमों में प्रदर्शित प्रकिया अनुसार देय होगी	**SBP**	***	ई0बी0पी0(E) का 139%	रु0 1.75	रु0 15.00	कालम 1+4+5+6 का योग

उपरोक्त सूत्र का सरलीकृत स्वरुप निम्नवत् है :–

एक्स यवासवनी/ बाण्डधारक इकाई/एक्स सी.एस. डी. मूल्य प्रति बोतल 650 एम.एल. (रु0 में) (E)	सुरक्षा होलोग्राम की श्रेणी	प्रतिफल फीस प्रति लीटर (रु0 में)	प्रतिफल फीस प्रति बोतल (650 मि0ली0) (रु0 में0) **(D)**	थोक बिक्रेता का मार्जिन (प्रति बोतल 650मि.ली)	फुटकर बिक्रेता का मार्जिन (प्रति बोतल 650मि.ली)	अधिकतम फुटकर मूल्य **(P)** (प्रति बोतल 650मि.ली.) **MRP**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0 से 25/– तक	SBE	***	1.90E	1.25	13.50	कालम 1+4+5+6 का योग
25/– से अधिक	SBR	***	43.00+0.18E	1.75	15.00	कालम 1+4+5+6 का योग
यदि ब्रिवरी/ बान्डधारक द्वारा ई0 बी0 पी0 इस प्रकार निर्धारित/प्रस्तावित की जाती है कि प्रति बोतल (650 मि0ली0) का अधिकतम फुटकर मूल्य रु0 120 से अधिक निर्धारित हो रहा है तो उसपर प्रतिफल फीस एवं मार्जिन आगे कालमों में प्रदर्शित प्रक्रिया अनुसार देय होगी।	SBP	***	1.39E	1.75	15.00	कालम 1+4+5+6 का योग

1. 650 एम0एल0 धारिता की बोतल हेतु प्रस्तावित सूत्र से प्रतिफल फीस का आगणन करके अन्य धारिताओं की बोतलों/कैन हेतु समानुपातिक रुप से प्रतिफल फीस का आगणन किया जायेगा।
2. 650 एम0एल0 धारिता की बोतल हेतु प्रस्तावित सूत्र से थोक/फुटकर विक्रेता के मार्जिन का आगणन करके अन्य धारिताओं की बोतलों/कैन हेतु समानुपातिक रुप से मार्जिन का आगणन किया जायेगा।
3. बीयर के अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य को राउन्ड आफ करते हुए 5 के गुणांक में अगले स्तर पर निर्धारित कर अन्तर की धनराशि को अतिरिक्त प्रतिफल फीस के रुप में लिया जायेगा।
4. 650 एम0एल0 धारिता की बोतल के सापेक्ष कैन के मूल्यों का अधिभार अधिक पड़ने के दृष्टिगत बोतल (650 एम0एल0) की एम0आर0पी0 निर्धारण के लिये प्रस्तावित एक्स ब्रिबरी मूल्य (ई0बी0पी0) में 500 एम0एल0 की धारिता की कैन के मूल्य निर्धारण हेतु रु0 5 एवं 330 एम0एल0 धारिता की कैन के मूल्य निर्धारण हेतु रु0 4, बढ़ाकर किया जाना प्रस्तावित है।
5. बोतल (650 एम0एल0) की एम0आर0पी0 निर्धारण के लिये ब्रिवरी द्वारा प्रस्तावित एक्स ब्रिवरी मूल्य (ई0बी0पी0) को 500 एम0एल0 धारिता के समानुपातिक आगणित करके आगणित धनराशि में रु0 5 जोड़कर 500 एम0एल0 धारिता की कैन की ई0बी0पी0 आगणित की जायेगी। इसी प्रकार बोतल (650 एम0एल0) की एम0आर0पी0 निर्धारण के लिये प्रस्तावित एक्स ब्रिवरी मूल्य (ई0बी0पी0) को 330 एम0एल0 या उससे कम धारिता के समानुपातिक आगणित करके आगणित धनराशि में रु0 4 जोड़कर 330 एम0एल0 या उससे कम धारिता की कैन की ई0बी0पी0 आगणित की जायेगी।
6. 650 एम0एल0 के बोतल के सापेक्ष छोटी धारिताओं में बोतल, लेबुल व पी.पी.कैप के मूल्यों का अधिभार अधिक पड़ने के दृष्टिगत बोतल (650 एम0एल0) की एम0आर0पी0 निर्धारण के लिये ब्रिवरी द्वारा प्रस्तावित एक्स बिवरी मूल्य (ई0बी0पी0) में 330 एम0एल0 या उससे कम धारिता की बोतल हेतु रु0 4 बढ़ाकर ई0बी0पी0 निर्धारित किया जायेगा। अर्थात ब्रिवरी द्वारा प्रस्तुत प्रति बोतल (650 एम0एल0) ई0बी0पी0 में उपरोक्तानुसार रु0 4 जोड़कर 330 एम0एल0 या उससे कम की धारिता की बोतलों हेतु समानुपातिक रुप से ई0बी0पी0 का आगणन किया जायेगा।
7. यदि कोई ब्रिवरी/बाण्डधारक इकाई 650 एम0एल0 की बोतल में ई0बी0पी0 प्रस्तुत नहीं करती है और केवल 500 एम0एल0 या 330 एम0एल0 धारिता के कैन की ई0बी0पी0 प्रस्तुत करती है, तो उक्त प्रस्तुत ई0बी0पी0 में क्रमशः रु0 5 व रु0 4 घटाकर 650 एम0एल0 बोतल के समानुपातिक ई0बी0पी0 का आगणन करके प्रतिफल फीस एवं थोक/फुटकर विक्रेता का मार्जिन इत्यादि का आगणन किया जायेगा।

4.6 बीयर का थोक लाइसेंस :–

(क) एफ0एल0–2बी अनुज्ञापनों का नवीनीकरण :–

वर्ष 2013–14 में कार्यरत एफ0एल0–2बी अनुज्ञापनों को वर्ष 2014–15 के लिये नवीनीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(ख) एफ0एल0–2बी अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस :–

राजस्व हित में वर्ष 2013–14 के लिये निर्धारित लाइसेंस फीस में 10 प्रतिशत की वृद्घि कर उसे अगले स्तर पर रु0 5000 में राउण्ड आफ करते हुये वर्ष 2014–15 के लिये लाइसेंस फीस निम्नवत् निर्धारित की जाती है :–

क्रम संख्या	वर्ष 2013–14 में जनपद में बीयर के फुटकर अनुज्ञापनों से विक्रय होने वाली अनुमानित बीयर की बोतलों (650 एम0एल0) की संख्या	वर्ष 2013–14 की लाइसेन्स फीस (रूपये में)	वर्ष 2014–15 हेतु निर्धारित लाइसेन्स फीस (रूपये में)
1	10,00,000 बोतलों तक	3.50 लाख	3.85 लाख
2	10,00,000 से अधिक 20,00,000 बोतल तक	7.00 लाख	7.70 लाख
3	20,00,000 से अधिक 30,00,000 बोतल तक	10.50 लाख	11.55 लाख
4	30,00,000 से अधिक 40,00,000 बोतल तक	14.00 लाख	15.40 लाख
5	40,00,000 से अधिक 50,00,000 बोतल तक	17.50 लाख	19.25 लाख
6	50,00,000 बोतल से अधिक	21.00 लाख	23.10 लाख

स्पष्टीकरण :– 1– उपरोक्तानुसार उपभोग का आगणन मुख्यालय में उपलब्ध अन्तिम मास तक के उपभोग विवरण के आधार पर किया जायेगा।

2– यदि एफ0एल0–2बी अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन मार्च–2014 से पूर्व कराया जाता है तो माह मार्च–2014 में माह फरवरी–2014 तक के उपभोग के आधार पर एफ0एल0–2बी अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस का पुनर्निधारण कराया जायेगा और पुनर्निधारण में यदि लाइसेंस फीस में कोई वृद्धि होती है, तो तदनुसार वृद्धि की धनराशि जमा करायी जायेगी, किन्तु पूर्व में निर्धारित लाइसेंस फीस में कोई कमी नहीं की जायेगी।

(ग) **एफ0एल0–2बी अनुज्ञापियों से अन्य जनपद को बीयर की आपूर्ति हेतु अतिरिक्त लाइसेंस फीस** :–

एफ0एल0–2बी अनुज्ञापी द्वारा अपने जनपद के अतिरिक्त अन्य जनपद को बीयर की आपूर्ति करने हेतु अतिरिक्त लाइसेंस फीस अदा करने तथा उसे जमा करने की पूर्व निर्धारित प्रक्रिया को वर्ष 2014–15 के लिये भी निम्नवत् बनाये रखे जाने का निर्णय लिया गया है :–

1. जिन जनपदों हेतु एफ0एल0–2बी अनुज्ञापन व्यवस्थित नहीं हो पाते है, उन जनपदों हेतु बीयर की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिये आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा किसी अन्य जनपद/जनपदों के एफ0एल0–2बी अनुज्ञापी को सम्बद्व किया जायेगा।
2. बीयर की आपूर्ति प्राप्त करने वाले जनपद के लिये वर्ष 2014–15 हेतु निर्धारित एफ0एल0–2बी अनुज्ञापन की वार्षिक लाइसेंस फीस बीयर की आपूर्ति करने वाले एफ0एल0–2बी अनुज्ञापी/अनुज्ञापियों से अतिरिक्त लाइसेंस फीस के रुप में वसूल की जायेगी।
3. उपरोक्त अतिरिक्त लाइसेंस फीस मासिक रुप से जमा करायी जायेगी। मासिक अतिरिक्त लाइसेंस फीस आपूर्ति प्राप्त करने वाले जनपद के एफ0एल0–2बी अनुज्ञापन हेतु उपरोक्तानुसार निर्धारित लाइसेंस फीस का 1/12 भाग होगी। आपूर्ति प्राप्त करने वाले जनपद का सम्बद्वीकरण आदेश प्राप्त होने की तिथि से 3 कार्य दिवसों के अंदर आपूर्तिकर्ता एफ0एल0–2बी अनुज्ञापी द्वारा उपरोक्त मासिक लाइसेंस फीस जमा की जायेगी। उसके बाद आगामी माह के लिये सम्बद्वीकरण आदेश अग्रेतर प्रभावी रहने की स्थिति में उक्त माह के लिये मासिक लाइसेंस फीस संबंधित माह के प्रथम कार्य दिवस को जमा करायी जायेगी।
4. आपूर्तिकर्ता अनुज्ञापियों द्वारा उक्त निर्धारित लाइसेंस फीस समयान्तर्गत जमा करायी जायेगी एवं संबंधित जिला आबकारी अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि उक्त लाइसेंस फीस मदिरा की निकासी से पूर्व आपूर्तिकर्ता अनुज्ञापी द्वारा जमा कर दी गयी है। जिला आबकारी अधिकारी अतिरिक्त लाइसेंस फीस की जमा की सूचना संबंधित ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति के साथ माह की 05वीं तिथि तक आयुक्तालय तथा संयुक्त/उप आबकारी आयुक्त को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

5. आपूर्तिकर्ता एफ0एल0–2बी अनुज्ञापी द्वारा उक्त अतिरिक्त लाइसेंस फीस बीयर प्राप्त करने वाले फुटकर अनुज्ञापियों से अतिरिक्त रुप से वसूल नहीं की जायेगी।

4.7 अन्य देशों से आयातित बीयर का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन :–

वर्ष 2013–14 में निर्धारित अन्य देशों से आयातित बीयर की ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस रू0 10,000/– प्रति ब्राण्ड को वर्ष 2014–15 में भी यथावत् रखा जाता है।

4.8 अन्य देशों से आयातित बीयर की परमिट फीस :–

वर्ष 2014–15 के लिये आयातित बीयर पर प्रतिफल फीस दरें निम्नवत् होंगीः–

कम सं0	अन्य देशों से आयातित बीयर का प्रकार	वर्ष 2013–14 की परमिट फीस की दर (रुपये में) प्रति 650 एम. एल. की बोतल	वर्ष 2014–15 हेतु निर्धारित परमिट फीस की दर (रुपये में) प्रति 650 एम.एल. की बोतल
1	5 प्रतिशत वी/वी तीव्रता तक	**30.00**	**35.00**
2	5 प्रतिशत वी/वी तीव्रता से अधिक एवं 8 प्रतिशत वी/वी तीव्रता तक	**40.00**	**46.00**

4.9 भारत निर्मित बीयर का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन :–

वर्ष 2013–14 में निर्धारित भारत निर्मित बीयर की ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस रु0 20000/– प्रति ब्राण्ड में रु0 5000/– की वृद्धि करते हुये इसे वर्ष 2014–14 हेतु रु0 25000/– प्रति ब्राण्ड किया जाता है।

4.10 अन्य देशों से आयातित बीयर की एम0आर0पी0 अंकित किया जाना :–

अन्य देशों से आयातित बीयर की बोतलों पर वर्ष 2013–14 में एम.आर.पी. और अन्य "लीजेण्ड" मुद्रित करने हेतु प्रभावी/प्रचलित व्यवस्था को वर्ष 2014–15 हेतु यथावत् बनाये रखा जाता है।

4.11 बीयर व एल0ए0बी0 पर निर्यात शुल्क :–

वर्ष 2013–14 में निर्धारित बीयर एवं कम तीव्रता के मादक पेय पर निर्यात शुल्क 1/– प्रति बल्क लीटर को वर्ष 2014–15 में यथावत् रखा जाता है।

4.12 बीयर, पोर्टर, साइडर, ऐल एवं कम तीव्रता के मादक पेय पर आयात शुल्कः–

वर्ष 2013–14 में निर्धारित फ्लेश पाश्चुराइजेशन की प्रकिया से निर्मित ड्राट बीयर पर आयात शुल्क रू0 1/– प्रति बल्क लीटर तथा ड्राट बीयर को छोड़कर अन्य बीयर पोर्टर, साइडर, ऐल एवं कम तीव्रता के मादक पेय पर आयात शुल्क रु0 3 प्रति बल्क लीटर को वर्ष 2014–15 में भी यथावत बनाये रखा जाता है।

4.13 बीयर के लेबुलों का अनुमोदन :–

वर्ष 2013–14 में निर्धारित बीयर के लेबुलों की अनुमोदन फीस रु0 रु0 10000/– प्रति लेबुल में रु0 5000/– की वृद्धि करते हुये इसे वर्ष 2014–14 हेतु रु0 15000/– प्रति लेबुल किया जाता है।

4.14 बीयर की फुटकर दुकानों की दैनिक लाइसेंस फीस :–

वर्ष 2013–14 की भांति वर्ष 2014–15 में बीयर की फुटकर दुकानों की दैनिक लाइसेन्स फीस दुकान की निर्धारित वार्षिक लाइसेन्स फीस का 1/365 भाग लेकर दैनिक व्यवस्थापन सम्पन्न कराया जायेगा। वर्ष 2014–15 में ऐसी दुकानें, जो आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित नहीं हो सकेंगी, का व्यवस्थापन सार्वजनिक

विज्ञापन प्रकाशित कराने के बाद वर्ष 2014–15 के लिये निर्धारित दैनिक लाइसेन्स फीस के सापेक्ष जो भी सर्वोच्च आफर प्राप्त हो, पर सम्पन्न कराया जायेगा। दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा।

5 माडल शाप्स

5.1 माडल शाप्स की लाइसेंस फीसः–

वर्ष 2013–14 की लाइसेंस फीस में 15 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये वर्ष 2014–15 हेतु माडल शाप्स की लाइसेंस फीस व प्रतिभूति धनराशि का निर्धारण निम्नवत् किये जाने का निर्णय लिया गया हैः–

निकाय	लाइसेंस फीस (रूपये में)	प्रतिभूति धनराशि (रूपये में)
1. नगर निगमों एवं नोएडा के लिये (ग्रेटर नोएडा एवं झांसी को छोड़कर)	34.50 लाख	3.50 लाख
2. अन्य स्थानों पर स्थित माडल शाप्स के लिये (ग्रेटर नोएडा एवं झांसी सहित)	12.65 लाख रूपये या ऐसे नगर की विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर दुकानों की तत्समय निर्धारित/व्यवस्थित सर्वोच्च लाइसेंस फीस को मिलाकर प्राप्त धनराशि के समतुल्य लाइसेंस फीस, जो अधिक हो, परन्तु यह फीस 34.50 लाख रूपये से अधिक नहीं होगी ।	1.75 लाख

उपरोक्त के अतिरिक्त माडल शाप्स पर मदिरा पान की सुविधा वर्ष 2014–15 हेतु अनुमन्य करने की फीस गत वर्ष की भांति रु0 100000 वर्ष या वर्ष के भाग के लिये होगा।

5.2 वर्ष 2014–15 हेतु माडल शाप्स का व्यवस्थापनः–

(क) आगरा, वाराणसी, लखनऊ तथा गोरखपुर जोन में माडल शाप्स का व्यवस्थापन :–

वर्ष 2013–14 में संचालित माडल शाप्स का नवीनीकरण वर्ष 2014–15 हेतु निम्न प्रतिबंधों के साथ किया जायेगाः–

1– अंतिम व्ययगत मास तक की समस्त देयताएं बेबाक हों।

2– वर्ष 2013–14 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित हो।

3– वर्ष 2014–15 के लिए निर्धारित देयताओं की अदायगी के लिये अनुज्ञापी तत्पर हों।

4– वर्ष 2014–15 हेतु निर्धारित उपरोक्तानुसार माडल शाप्स की लाइसेंस फीस को दुकानवार/ क्षेत्रवार, आबकारी निरीक्षकों द्वारा तथा दुकानवार/ क्षेत्रवार/जिलेवार जिला आबकारी अधिकारी द्वारा परीक्षण के उपरान्त उप आबकारी आयुक्त, प्रभार के माध्यम से लाइसेंस प्राधिकारी/जिलाधिकारी से अनुमोदित कराया जायेगा।

5– उपरोक्तानुसार नवीनीकृत न हो सकी माडल शाप्स को वर्ष 2014–15 के लिए निर्धारित लाइसेंस फीस पर विज्ञापन के माध्यम से आवेदन मांग कर व्यवस्थित कराया जायेगा। यदि किसी माडल शाप पर एक ही आवेदन प्राप्त होता है, और नियमानुसार उचित पाया जाता है तो माडल शाप का आवंटन आवेदक के पक्ष में कर दिया जायेगा। एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में माडल शाप्स का आवंटन नियमानुसार सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से कराया जायेगा। इसी के साथ नवसृजित माडल शाप्स का

व्यवस्थापन भी निर्धारित लाइसेंस फीस पर विज्ञापन के माध्यम से आवेदन मांगकर सार्वजनिक लाटरी से कराया जाना प्रस्तावित है।

6– वर्ष 2013–14 में संचालित हो रही माडल शाप्स के उपरोक्तनुसार भी व्यवस्थित न होने पर इनका व्यवस्थापन सार्वजनिक विज्ञापन देकर वर्ष 2013–14 की लाइसेंस फीस पर आफर मांग कर कराया जाना प्रस्तावित है। प्रतिबंध यह रहेगा कि वर्ष 2013–14 की लाइसेंस फीस से कम का आफर स्वीकार न होगा। दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा।

(ख) **विशिष्ट मेरठ जोन में माडल शाप्स का व्यवस्थापनः–**

विशिष्ट जोन मेरठ में माडल शाप्स की वर्ष 2013–14 में संचालित दुकानों, का नवीनीकरण एवं नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन वर्ष 2014–15 हेतु निम्न प्रतिबंधों के साथ किया जायेगाः–

1. विशिष्ट जोन मेरठ में माडल शाप्स का व्यवस्थापन उपरोक्त प्रस्तर–2(अ)(3) 5.2(क) के बिन्दु संख्या–1, 2, 3 एवं 4 में वर्णित प्रकिया/प्रतिबंधों के अनुरूप लाइसेंस फीस निर्धारित करके किया जायेगा।
2. विशिष्ट मेरठ जोन के वर्ष 2013–14 के अनुज्ञापी को जोन की समस्त माडल शाप्स के अनुज्ञापन वर्ष 2014–15 हेतु निर्धारित नवीनीकरण फीस, लाइसेंस फीस व प्रतिभूति धनराशि के आधार पर नवीनीकृत कराना एवं नवसृजित माडल शाप्स के लिए निर्धारित लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति धनराशि के आधार पर अनुज्ञापन प्राप्त करना होगा। किसी भी माडल शाप्स का व्यवस्थापन न कराने की दशा में विशिष्ट मेरठ जोन की देशी शराब, विदेशी मदिरा,बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं माडल शाप्स के अनुज्ञापी के रुप में किया गया उसका चयन निरस्तीकरण योग्य होगा, जिसके तारतम्य में उसको प्रदत्त देशी शराब, विदेशी मदिरा,बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं माडल शाप्स के समस्त अनुज्ञापन निरस्तीकरण योग्य होंगे। इस प्रकार निरस्त/रिक्त अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन नियमानुसार किया जायेगा।

5.3 **माडल शाप्स की आवेदन व प्रोसेसिंग फीस एवं नवीनीकरण शुल्क** :–

वर्ष 2013–14 हेतु निर्धारित दुकान आवंटन/नवीनीकरण संबंधी आवेदन व प्रोसेसिंग फीस रु0 8000/– प्रति आवेदन पत्र को रु0 1000/– बढ़ाकर वर्ष 2014–15 के लिए रु0 9000/– प्रति आवेदन पत्र निर्धारित किया जाता है। शासनादेश सं0 3174 ई–2/तेरह–2010–141/2007 दिनांक 03 फरवरी, 2011 के अनुसार आवेदन पत्रों/प्रोसेसिंग फीस पर नियमानुसार वैट भी देय है। अतः वर्ष 2014–15 हेतु प्रोसेसिंग फीस पर तत्समय निर्धारित दर पर वैट तथा नियमानुसार देय अन्य करों की वसूली भी अतिरिक्त रुप से पूर्ववत् की जायेगी।

वर्ष 2014–15 हेतु माडल शाप्स का नवीनीकरण शुल्क निम्नवत् निर्धारित किया जाता हैः–

कमांक	निकाय	वर्ष 2013–14 की निर्धारित दर (रुपये में)	वर्ष 2014–15 हेतु निर्धारित दर (रुपये में)
1	नगर निगम क्षेत्र की दुकानों के लिए	50,000 प्रति दुकान	60,000 प्रति दुकान
2	नगर पालिका क्षेत्र की दुकानों के लिए	40,000 प्रति दुकान	50,000 प्रति दुकान
3	नगर पंचायत क्षेत्र की दुकानों के लिए	25,000 प्रति दुकान	30,000 प्रति दुकान
4	ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों के लिए	15,000 प्रति दुकान	20,000 प्रति दुकान

5.4 **माडल शाप्स का सृजन** :–

वर्ष 2013–14 की भांति वर्ष 2014–15 में भी प्रदेश की वर्ष 2013–14 हेतु व्यवस्थित माडल शाप्स के 15 प्रतिशत माडल शाप के सृजन का अधिकार आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 को रहेगा एवं 15 प्रतिशत से अधिक आवश्यकता होने पर दुकानों का सृजन शासन की अनुमति से किया जायेगा।

जिलाधिकारी/ लाइसेंस प्राधिकारी से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर वर्ष के दौरान कभी भी माडल शाप का सृजन व व्यवस्थापन कराया जा सकने की वर्तमान व्यवस्था को वर्ष 2014–15 हेतु यथावत बनाये रखा जाता है।

5.5 माडल शाप्स की दैनिक लाइसेंस फीस :–

माडल शाप्स के दैनिक व्यवस्थापन की व्यवस्था न होने के कारण हो रही कठिनाई के दृष्टिगत माडल शाप्स के दैनिक व्यवस्थापन की प्रक्रिया निम्नवत् निर्धारित की जाती है :–

वर्ष 2014–15 में माडल शाप्स की दैनिक लाइसेन्स फीस दुकान की निर्धारित वार्षिक लाइसेन्स फीस का 1/365 भाग होगी। वर्ष 2014–15 में ऐसी दुकानें, जो आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित नहीं हो सकेंगी, का व्यवस्थापन सार्वजनिक विज्ञापन प्रकाशित कराने के बाद वर्ष 2014–15 के लिये निर्धारित दैनिक लाइसेन्स फीस के सापेक्ष जो भी सर्वोच्च आफर प्राप्त हो, पर सम्पन्न कराया जाना प्रस्तावित है। दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा

6– विदेशी मदिरा के "प्रीमियम रिटेल वेण्डस" का सृजन एवं व्यवस्थापन :–

वर्ष 2013–14 में ऐसे कामर्शियल काम्पलैक्स जिन्हें सामान्य बोलचाल की भाषा में शापिंग माल कहा जाता है, में राज्य द्वारा केवल विशेष रुप से निर्धारित श्रेणियों, धारिता तथा पात्रों में ही विदेशी मदिरा के विक्रय के लिये प्रीमियम रिटेल वैण्डस खोले जाने की व्यवस्था को समाप्त किये जाने तथा इन अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन हेतु प्राख्यापित उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा के प्रीमियम रिटेल वैण्डस के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2013 का निरसन/समाप्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।

7– भांग

7.1 भांग की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन :–

भांग की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन वर्ष 2013–14 की भॉति उत्तर प्रदेश आबकारी लाइसेंस (टेण्डर एवं नीलामी) नियमावली, 1991 के प्राविधानानुसार वर्ष 2014–15 हेतु भी किया जायेगा। भांग के लिये गत वर्ष की भांति निर्धारित एम.जी.क्यू. पर रू0 20/– प्रति किलोग्राम की दर से बेसिक लाइसेंस फीस देय होगी तथा एम.जी.क्यू. से अतिरिक्त भांग की निकासी उठाये जाने पर रू0 20/– प्रति किलोग्राम की दर से प्रतिफल फीस देय होगी।

7.2 भांग के निर्यात पर निर्यात फीस :–

वर्ष 2013–14 की भांति वर्ष 2014–15 हेतु भी भांग के निर्यात पर रु0 4/– प्रति किलोग्राम की दर से निर्यात फीस निर्धारित की जाती है।

8– अन्य

8.1 कतिपय नियमावलियों /विज्ञप्तियों में संशोधन :–

(क) वर्ष 2014–15 की नीति के अनुसार यथासमय वांछित नई नियमावलियों का सृजन एवं प्रचलित नियमावलियों/ विज्ञप्तियों में संशोधन भी किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(ख) माडल शाप की नियमावली में संशोधन :– देशी शराब, विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर बिक्री की नियमावलियों में निम्न व्यवस्था प्रतिपादित है :–

" यदि लाइसेंस किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया हो तो उसके मृत्यु की दशा में उसका/उसके विधिक वारिस यदि अन्यथा पात्र हों, लाइसेंस की शेष अवधि के लिये अनुज्ञापनधारी बने रह सकते हैं। अग्रेतर प्रतिबंध यह है कि यदि संयुक्त रुप से दो भागीदारों द्वारा लाइसेंस प्राप्त किया गया हो तो किसी एक भागीदार की मृत्यु की स्थिति में जीवित व्यक्ति मृतक के विधिक वारिस के साथ यदि अन्यथा पात्र हो, अनुज्ञापनधारी बना रहेगा या दोनों भागीदारों की मृत्यु की दशा में उसके विधिक वारिस, यदि अन्यथा पात्र हो, अनुज्ञापनधारी बने रह सकते

हैं। दोनों भागीदारों के विधिक उत्तरदायित्वों में कोई भेद नहीं किया जायेगा और दोनों सम्मिलित रुप से तथा अलग–अलग उत्तरदायी होंगे।"

माडल शाप की नियमावली में उपरोक्त व्यवस्था न होने के कारण मध्य–सत्र में अनुज्ञापी की मृत्यु होने की दशा में माडल शाप के संचालन में कठिनाई होती है। अतः उपरोक्त व्यवस्था को उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा की माडल शाप के लिये फुटकर अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2003 में शामिल किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(ग) बीयर की फुटकर नियमावली में संशोधनः– माडल शाप तथा विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की नियमावली में व्यवस्था है कि यदि किसी विदेशी मदिरा दुकान का व्यवस्थापन 30 सितम्बर के बाद किया जाता है, तो लाइसेंस फीस, वर्ष के लिये लाइसेंस फीस के रुप में नियत धनराशि का आधी होगी। यदि मध्य सत्र में किसी कारणवश माडल शाप तथा विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों का अनुज्ञापन निरस्त किया जाता है और उक्त दुकानों के पुनर्व्यवस्थापन की स्थिति उत्पन्न होती है, तो इस व्यवस्था के कारण वित्तीय वर्ष के छः माह बाद अर्थात 30 सितम्बर के बाद माडल शाप तथा विदेशी मदिरा की दुकानों की लाइसेंस फीस सम्पूर्ण वर्ष के लिये निर्धारित लाइसेंस फीस की आधी हो जाती है और आधी लाइसेंस फीस पर दुकानों का व्यवस्थापन सुगमता पूर्वक हो जाता है। यह व्यवस्था बीयर की फुटकर बिक्री की नियमावली में न होने के कारण 30 सितम्बर के बाद बीयर दुकानों के पुनर्व्यवस्थापन में कठिनाई होती है। इस कारण बीयर दुकान को दैनिक आधार पर चलवाना पड़ता है। उदाहरणस्वरुप वर्तमान वित्तीय वर्ष में इसी कारण जनपद मथुरा की बीयर दुकान गोवर्धन नं0–1 का पुनर्व्यवस्थापन नहीं हो पा रहा है और उक्त दुकान को दैनिक आधार पर चलवाना पड़ रहा हैं। अतः माडल शाप तथा विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों की उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार उत्तर प्रदेश आबकारी (बीयर के फुटकर विक्रय के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2001 में संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(घ) पी0डी0–15, पी0डी0–16, बी–7 तथा बी–8 बाण्ड के प्रारुप में संशोधन :– पी0डी0–15 तथा पी0डी0–16 बाण्डों के अन्तर्गत आसवनियों से स्प्रिट की निकासी बन्धान्तर्गत (Underbond) की जाती है। इसी प्रकार बी–7 तथा बी–8 बाण्डों के अन्तर्गत यवासवनियों से बीयर की निकासी बन्धान्तर्गत (Underbond) की जाती है। उक्त बाण्डों के अधीन प्रेषित किये जाने वाले मदिरा/बीयर के परेषणों में यदि निर्धारित सीमा से अधिक मार्गनयन छीजन होता है, तो अतिशय मार्गनयन छीजन में निहित प्रतिफल शुल्क की धनराशि बाण्ड की शर्तो के अधीन प्रेषक बाण्डधारक आसवनियों/यवासवनियों से वसूल की जाती है। पूर्व में यह धनराशि अभिकर के रुप में वसूल की जाती थी, किन्तु कतिपय विधिक कारणों से वर्तमान में उक्त धनराशि प्रतिफल शुल्क के रुप में वसूल की जाती है। उपरोक्त बाण्डों के प्रारुपों में अभी अभिकर(Duty) शब्द पड़े हुये है। अतः उक्त बाण्डों के प्रारुपों में अभिकर(Duty) शब्द के स्थान पर प्रतिफल शुल्क (Consideration fee) शब्द प्रतिस्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

8.2 वर्ष के मध्य में आबकारी नीति में व्यावहारिक विचलनों के संबंध में :–

आबकारी नीति की मा0 मंत्रिमण्डल से स्वीकृति के उपरान्त क्रियान्वयन किये जाने पर यदाकदा कतिपय व्यावहारिक कठिनाइयां उत्पन्न होतीं है। इन कठिनाइयों के समाधान एवं प्रक्रिया के सरलीकरण की व्यवस्था के लिए वर्ष 2013–14 की भांति वर्ष 2014–15 हेतु भी निम्नवत् प्रतिनिधायन किये जाने का निर्णय लिया गया हैः–

"आबकारी नीति की मा0 मंत्रिमण्डल से स्वीकृति के उपरान्त क्रियान्वयन व राजस्व प्राप्ति में यदाकदा आने वाली कठिनाइयों के समाधान/निवारण एवं प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु आबकारी नीति में सामयिक/ व्यावहारिक/विधिक दृष्टि से किसी परिवर्तन हेतु आबकारी आयुक्त से प्राप्त/संस्तुत प्रकरणों पर गुणावगुण के आधार पर विचार कर संस्तुति करने के लिये अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसके प्रमुख सचिव, वित्त विभाग एवं प्रमुख सचिव, न्याय विभाग सदस्य तथा प्रमुख सचिव/सचिव, आबकारी विभाग समिति के सदस्य/संयोजक हैं, को अधिकृत करने तथा समिति की संस्तुति पर मा0 आबकारी मंत्री जी के माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा निर्णय लिया जायेगा।"

8.3 पैन नं0 का प्रस्तुतीकरणः–

वर्ष 2013–14 की भांति वर्ष 2014–15 हेतु मदिरा की दुकानों के आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ दिये जाने वाले शपथ पत्र में यह अभिकथन करना अनिवार्य होगा कि वह चयनित हो जाने पर 03 माह के अंदर आयकर विभाग द्वारा निर्गत पैन कार्ड नं0 प्रस्तुत कर देगा।

8.4 विभिन्न अनुज्ञापनों पर अवशेष स्टाक का निस्तारणः–

वर्ष 2013–14 की समाप्ति पर जनपदों के विभिन्न अनुज्ञापनों पर दिनांक 31–03–2014 को बिक्री अवधि की समाप्ति पर अनुज्ञापी द्वारा अवशेष स्टाक की ब्राण्ड वार घोषणा जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष दिनांक 01–04–2014 को दोपहर 12.00 बजे तक की जायेगी।

वित्तीय वर्ष 2013–14 की समाप्ति पर विदेशी मदिरा/बीयर की फुटकर विक्रय की दुकानों, माडल शाप्स तथा एफ0एल0–2/2बी/2डी पर अवशेष विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन इत्यादि के अवशेष स्टाक का निस्तारण निम्नवत् किया जायेगा :–

1. जिन ब्राण्डों का पंजीकरण वर्ष 2014–15 हेतु करा लिया जाता है, उन ब्राण्डों पर प्रतिफल फीस की धनराशि तदनुसार आगणित करने पर यदि प्रतिफल फीस में वृद्वि होती है तो अन्तर की धनराशि जमा करायी जायेगी तथा उक्त स्टाक पर डिफरेन्सियल होलोग्राम एवं नई एम0आर0पी0 के स्टिकर चस्पा कराकर विक्रय किया जायेगा।
2. जिन ब्राण्डों का पंजीकरण वर्ष 2014–15 हेतु नहीं कराया जाता है, उन ब्राण्डों की प्रतिफल फीस/एम0आर0पी0 उनकी वर्ष 2013–14 के लिये घोषित ई0डी0पी0 पर वर्ष 2014–15 के नये सूत्र के अनुसार निर्धारित की जायेगी। ऐसी स्थिति में अवशेष स्टाक का निस्तारण निम्नवत् किया जायेगा।
   - 2.1 उपरोक्तानुसार प्रतिफल फीस का आगणन करने पर यदि प्रतिफल फीस एवं एम0आर0पी0 दोनों में वृद्वि होती है, तो प्रतिफल फीस के अन्तर की धनराशि जमा कराकर उक्त स्टाक पर डिफरेन्सियल होलोग्राम एवं नई एम0आर0पी0 के स्टिकर चस्पा कराकर विक्रय किया जायेगा।
   - 2.2 उपरोक्तानुसार प्रतिफल फीस का आगणन करने पर यदि प्रतिफल फीस में वृद्वि होती है किन्तु एम0आर0पी0 में वृद्वि नहीं होती है, तो प्रतिफल फीस के अन्तर की धनराशि जमा कराकर तथा अन्तर की धनराशि के समतुल्य एम0आर0पी0 में वृद्वि करके उक्त स्टाक पर डिफरेन्सियल होलोग्राम एवं नई एम0आर0पी0 के स्टिकर चस्पा कराकर विक्रय किया जायेगा।
   - 2.3 उपरोक्तानुसार प्रतिफल फीस का आगणन करने पर यदि प्रतिफल फीस में कमी होती है किन्तु एम0आर0पी0 में वृद्वि होती है, तो वर्ष 2013–14 की एम0आर0पी0 पर ही बिक्री की जायेगी।
   - 2.4 उपरोक्तानुसार प्रतिफल फीस का आगणन करने पर यदि प्रतिफल फीस एवं एम0आर0पी0 दोनों में कमी होती है तो वर्ष 2013–14 की एम0आर0पी0 पर ही बिक्री की जायेगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त अवशेष स्टाक के निस्तारण की अन्य व्यवस्था आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 के निर्देशानुसार की जायेगी।

9. वर्ष 2014–15 के लिये अनुमानित राजस्वः–

उक्तानुसार वर्ष 2014–15 के लिये निर्धारित आबकारी नीति के आधार पर अनुमानित राजस्व का विवरण निम्नवत् हैः–

क्रमांक	मद	अनुमानित राजस्व प्राप्ति (करोड़ रु0 में) वर्ष 2013–14	प्रस्तावित लगभग सुनिश्चित राजस्व वृद्वि (करोड़ रु0 में) वर्ष 2014–15	कुल अनुमानित राजस्व प्राप्ति (करोड़ रु0 में) वर्ष 2014–15 (कालम 3+4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	देशी शराब– प्रतिफल फीस, लाइसेंस फीस व अन्य प्राप्तियॉ	5875.00	944.21	6819.21
2	विदेशी मदिरा– प्रतिफल फीस, लाइसेंस फीस व अन्य प्राप्तियॉ	4100.00	584.97	4684.97

3	बीयर – प्रतिफल फीस,लाइसेंस फीस व अन्य प्राप्तियॉ	1250.00	190.05	1440.05
4	अन्य मद–शीरे पर प्रशासनिक शुल्क, आसवनी /ब्रिबरी की लाइसेंस फीस, आयात– निर्यात फीस, फार्मेसियों से प्राप्तियां एवं भांग की विडमनी इत्यादि	650.00	--	650.00
	योग	11875.00	1719.23	13594.23

उक्त लगभग सुनिश्चित राजस्व प्राप्तियों रुपये 13594.00 करोड़ के अतिरिक्त प्रभावी प्रवर्तन कार्य व मदिरा के उपभोग में वृद्वि आदि से उपरोक्तानुसार लगभग रु0 650.00 करोड़ अतिरिक्त राजस्व वृद्वि संभावित है। इस प्रकार उक्त के आधार पर वर्ष 2014–15 हेतु कुल रुपये 13594+650.00=14244 करोड़ की राजस्व प्राप्तियां संभावित है। मार्केट फोर्सेस के मदिरा के व्यापार में प्रतिस्पर्धात्मक होने की सम्भावना के दृष्टिगत नीति के सफल कियान्वयन एवं अधिक प्रभावी प्रवर्तन कार्य के द्वारा लगभग रू0 250 करोड़ अतिरिक्त राजस्व प्राप्त किया जा सकता है। अतः वर्ष 2014–15 हेतु आबकारी राजस्व का लक्ष्य रू0 14,500 करोड़ निर्धारत किया जाता है।

(ब)– वर्ष 2015–16 हेतु आबकारी नीति

वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु आबकारी नीति का कियान्वयन शासन की पूर्वानुमति से यथासमय निम्नलिखित प्रकिया अनुसार कराये जाने का निर्णय लिया गया हैः–

(1) विशिष्ट मेरठ जोन की फुटकर बिकी की दुकानों का व्यवस्थापन :–

विशिष्ट जोन मेरठ में स्थित देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर बिकी की दुकानों तथा माडल शाप्स के सुगम एवं समयान्तर्गत व्यवस्थापन तथा राजस्व हित में वर्ष 2015–16 के लिये उक्त अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन नवीनीकरण के माध्यम से कराने का निर्णय लिया गया है।

नवीनीकरण प्रकिया :–

(क) आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कराकर समुचित प्रचार–प्रसार कर देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर बिकी की दुकानों तथा माडल शाप्स के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र मांगे जायेंगे।

(ख) विशिष्ट जोन के अनुज्ञापी द्वारा देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर की दुकानों व माडल शाप्स के नवीनीकरण हेतु आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा, जिसके साथ नियमानुसार प्रोसेसिंग फीस हेतु रु0 20000/– का बैंक ड्राफ्ट संलग्न किया जायेगा।

(ग) आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र का परीक्षण कर उक्त दुकानों से मदिरा के विकय हेतु एकान्तिक विशेषाधिकार का नवीनीकरण किया जायेगा।

(घ) आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा विशेष जोन मेरठ की उपरोक्त दुकानों के एकान्तिक विशेषाधिकार के नवीनीकरण के पश्चात् अनुज्ञापी द्वारा संबंधित जिले के जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी के समक्ष नियमानुसार प्रासेसिंग फीस, नवीनीकरण फीस, बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस एवं अन्य देय यदि कोई हों, जमा करके निर्धारित व्यवस्था के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दुकानों के अनुज्ञापन नवीनीकृत कराये जायेंगे एवं प्रतिभूति धनराशि भी नियमानुसार समयान्तर्गत जमा करायी जायेगी।

(2) **<u>आगरा, वाराणसी, लखनऊ तथा गोरखपुर जोन में देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों तथा माडल शाप का व्यवस्थापनः–</u>**

आगरा, लखनऊ, वाराणसी तथा गोरखपुर जोन में स्थित देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों तथा माडल शाप्स के सुगम एवं समयान्तर्गत व्यवस्थापन हेतु राजस्व हित में वर्ष 2015–16 के लिये उक्त अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन नवीनीकरण के माध्यम से पारदर्शिता के साथ कराने का निर्णय लिया गया है।

(3) वर्ष 2015–16 हेतु अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन/नवीनीकरण हेतु प्रतिबंध व शर्ते निम्नवत् रखने का निर्णय लिया गया हैः–

1 देशी शराबः–

1.1 आवेदन व प्रोसेसिंग फीस एवं नवीनीकरण शुल्कः–

वर्ष 2014–15 हेतु निर्धारित दुकान आवंटन/नवीनीकरण संबंधी आवेदन व प्रोसेसिंग फीस रु0 8000/– प्रति आवेदन पत्र को रु0 1000/– बढ़ाकर वर्ष 2015–16 के लिए रु0 9000/– प्रति आवेदन करने का निर्णय लिया गया है। शासनादेश सं0 3174 ई–2/तेरह–2010–141/2007 दिनांक 03 फरवरी, 2011 के अनुसार आवेदन पत्रों की प्रोसेसिंग फीस पर नियमानुसार वैट भी देय है। अतः 2015–16 हेतु प्रोसेसिंग फीस पर तत्समय निर्धारित दर पर वैट तथा नियमानुसार देय अन्य करों की वसूली भी अतिरिक्त रुप से पूर्ववत् की जायेगी।

देशी शराब की दुकानों का वर्ष 2013–14 में नवीनीकरण किया गया था। तत्समय निकायवार लिया गया नवीनीकरण शुल्क, वर्ष 2014–15 की दर एवं वर्ष 2015–16 के लिए नवीनीकरण शुल्क निम्नवत् निर्धारित किया जायेगाः–

क0	निकाय	वर्ष 2013–14 की दर(रु0 में)	वर्ष 2014–15हेतु दर (रु0 में)	वर्ष 2015–16हेतुदर (रु0 में)
1	नगर निगम क्षेत्र की दुकानों के लिए	40,000 प्रति दुकान	45,000 प्रति दुकान	50,000 प्रति दुकान
2	नगर पालिका क्षेत्र की दुकानों के लिए	35,000 प्रति दुकान	40,000 प्रति दुकान	45,000 प्रति दुकान
3	नगर पंचायत क्षेत्र की दुकानों के लिए	25,000 प्रति दुकान	30,000 प्रति दुकान	35,000 प्रति दुकान
4	ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों के लिए	15,000 प्रति दुकान	16,000 प्रति दुकान	17,000 प्रति दुकान

1.2 देशी शराब का एम.जी.क्यू.:–

वर्ष 2014–15 के आगणित/निर्धारित एम.जी.क्यू. 28.45 करोड़ बल्क लीटर (36 प्रतिशत वी/वी के रुप में) पर वर्ष 2015–16 में 8 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी, जिससे वर्ष 2015–16 हेतु 30.73 करोड़ बल्क लीटर एम.जी.क्यू. (36 प्रतिशत वी/वी के रुप में) आगणित होगा।

1.3 देशी शराब के एम0जी0क्यू0 का उठान :–

वर्तमान में व्यवस्था है कि देशी शराब दुकान के लिये निर्धारित वार्षिक एम0जी0क्यू0 को इस प्रकार 12 भागों में विभाजित किया जाय कि विभाजित अंश में निहित मात्रा 09 बल्क लीटर पेटियों के रुप में आगणित हो। इस प्रकार की गणना में पेटी से अतिरिक्त मात्रा को माह अप्रैल हेतु बढ़ाकर निर्धारित किया जायेगा। शेष 11 महीनों हेतु एम0जी0क्यू0 का निर्धारण पेटियों में समान रुप से किया जायेगा। प्रतिबंध यह होगा कि माह अप्रैल हेतु निर्धारित एम0जी0क्यू0 अन्य महीनों हेतु निर्धारित मासिक एम0जी0क्यू0 से कम नहीं होगा। उपरोक्त व्यवस्था को वर्ष 2015–16 हेतु यथावत बनाये रखा जायेगा।

1.4 देशी शराब दुकान की मासिक लाइसेंस फीस की अदायगी :–

देशी शराब दुकान की मासिक लाइसेंस फीस की अदायगी के संबंध में वर्ष 2013–14 में प्रचलित व वर्ष 2014–15 हेतु अनुमन्य व्यवस्था को वर्ष 2015–16 में भी नियमानुसार निम्नवत् व्यवस्था बनाये रखने का निर्णय लिया गया हैः–

(क) अनुज्ञापी को, माह की अंतिम तिथि तक लाइसेंस फीस की मासिक किश्त जमा करनी होगी, परन्तु उसके द्वारा उठायी गयी देशी शराब में निहित प्रतिफल शुल्क को नियमावली के उपबंधों के अनुसार लाइसेंस फीस की मासिक किश्त में समायोजित किया जायेगा।

(ख) अनुज्ञापी अगले माह की पहली तारीख के सायं 5.00 बजे तक स्वंय पर देय लाइसेंस फीस की गणना व अपने द्वारा उठायी गयी देशी शराब व जमा की गयी लाइसेंस फीस का विवरण देते हुये अपना लेखा और लाइसेंस फीस पासबुक सत्यापन हेतु जिला आबकारी अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(ग) अनुज्ञापी द्वारा उठायी गयी देशी शराब में निहित प्रतिफल शुल्क के सम्यक् समायोजन के पश्चात् लाइसेंस फीस में कोई कमी होने की स्थिति में जिला आबकारी अधिकारी लाइसेंस फीस की परादेय अवशेष (Outstanding Balance) धनराशि को अनुज्ञापी द्वारा जमा प्रतिभूति धनराशि में से समायोजित कर लेगा एवं अविलम्ब विधिसम्मत् प्रक्रियानुसार प्रतिभूति धनराशि में आई कमी को नकद जमा कराने हेतु लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञापी को नोटिस देकर उसे यथावश्यकता सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये प्रतिभूति धनराशि जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। इस समस्त कार्यवाही की अधिकतम समय सीमा माह के प्रारम्भ से 10 कार्य दिवस होगी। नियमानुसार अपेक्षित प्रतिभूति धनराशि की प्रतिपूर्ति न करने की दशा में नियत अवधि व्यतीत हो जाने पर प्रश्नगत अनुज्ञापन लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।

(घ) मासान्त के पश्चात् आगामी माह में देशी शराब की मात्रा उठाकर प्रतिभूति धनराशि की कमी की पूर्ति अनुमन्य नहीं होगी।

1.5 <u>25 प्रतिशत वी/वी तीव्रता की विशेष श्रेणी की देशी मदिरा :-</u>

सीमावर्ती राज्यो से मदिरा की अवैध तस्करी, अवैध मद्य निष्कर्षण एवं अवैध मदिरा की बिक्री उपभोग, जनहानि की रोकथाम तथा मद्यसेवी वर्ग को अपेक्षाकृत सस्ते दामों पर वैध व मानक मदिरा उपलब्ध कराने हेतु व्यापक जनहित/राजस्व हित में वर्ष 2013–14 में संचालित तथा वर्ष 2014–15 हेतु प्रभावी देशी मदिरा की 25 प्रतिशत वी/वी तीव्रता की सृजित विशेष श्रेणी संबंधी व्यवस्था को यथावत् वर्ष 2015–16 में भी निम्नवत् बनाये रखे जाने का निर्णय लिया गया है :–

1. उक्त विशेष श्रेणी की देशी मदिरा(25% v/v मसाला) की प्रतिफल फीस की दर वर्ष 2014–15 की भांति वर्ष 2015–16 हेतु भी रु0 72 प्रति बल्क लीटर निर्धारित होगी।

2. यह मदिरा पूर्ववत् देशी शराब की अन्य श्रेणियों के रंग से भिन्न रंग की होगी, जिसका निर्धारण आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा किया जायेगा।

3. प्रचलित व्यवस्थानुसार इस विशेष श्रेणी की मदिरा के बोतलों पर चस्पा किये जाने वाले लेबिल का रंग/बार्डर का रंग अन्य श्रेणियों की देशी मदिरा के लेबिलों/बार्डर के रंग से भिन्न रंग का होगा, जो आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

4. प्रचलित व्यवस्था की भांति इस विशेष श्रेणी की देशी मदिरा का उठान दुकान के निर्धारित मासिक एम.जी.क्यू. के अतिरिक्त अनुमन्य होगा।

5. प्रचलित व्यवस्था की भांति विशेष श्रेणी की यह मदिरा देशी शराब दुकान के मासिक एम.जी.क्यू. के 10 प्रतिशत की सीमा के अन्तर्गत बल्क लीटर में संदर्भगत माह के अंदर ही उठायी जा सकेगी। उक्त मात्रा बल्क लीटर में निर्धारित मासिक एम0जी0क्यू0 का बल्क लीटर में ही 10 प्रतिशत होगी तथा 36 प्रतिशत वी/वी तीव्रता की मदिरा को 25 प्रतिशत में समानुपातिक रुप से परिवर्तित कर उसका 10 प्रतिशत नहीं होगी।

6. प्रचलित व्यवस्थानुसार इस विशेष श्रेणी की देशी मदिरा के उठान में निहित प्रतिफल शुल्क की धनराशि का समायोजन उक्त दुकान की लाइसेंस फीस के सापेक्ष नहीं किया जायेगा।

7. प्रचलित व्यवस्थानुसार इस विशेष श्रेणी की देशी मदिरा पर बेसिक लाइसेंस फीस पूर्ववत् देय नहीं होगी।

1.6 <u>देशी शराब की श्रेणियां, गुणवत्ता, मूल्य निर्धारण :-</u>

देशी शराब की तीव्रता के आधार पर वर्ष 2013–14 में प्रचलित निम्नलिखित चार श्रेणियों को वर्ष 2014–15 की भांति वर्ष 2015–16 में भी प्रचलित रखे जाने का निर्णय लिया गया है:–

1–28 प्रतिशत वी/वी (सादा व मसाला)

2–36 प्रतिशत वी/वी (मसाला)

3–42.8 प्रतिशत वी/वी (मसाला)

4– 25 प्रतिशत वी/वी (मसाला) (विशेष श्रेणी)

वर्ष 2013–14 एवं वर्ष 2014–15 की भांति वर्ष 2015–16 में भी 36 प्रतिशत वी/वी श्रेणी की देशी मदिरा के रुप में एम.जी.क्यू. का निर्धारण किया जायेगा और 36 प्रतिशत वी/वी श्रेणी की मदिरा हेतु निर्धारित बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस की दर के अनुसार देशी शराब दुकान की बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस का निर्धारण किया जायेगा। 36 प्रतिशत वी/वी श्रेणी की देशी मदिरा हेतु निर्धारित प्रतिफल फीस की दर के समानुपातिक 28 प्रतिशत वी/वी व 42.8 प्रतिशत वी/वी श्रेणी की देशी मदिरा हेतु प्रतिफल फीस की दर निर्धारित की जायेगी। इस प्रकार उपरोक्त 36 प्रतिशत वी/वी, 42.8 प्रतिशत वी/वी व 28 प्रतिशत वी/वी तीनों श्रेणियों की देशी मदिरा के उठान में निहित प्रतिफल शुल्क की धनराशि के अनुसार देशी शराब दुकान की लाइसेंस फीस की अदायगी की जायेगी। 25 प्रतिशत वी/वी विशेष श्रेणी की मदिरा के उठान में निहित प्रतिफल शुल्क की धनराशि का समायोजन देशी शराब दुकान की लाइसेंस फीस के सापेक्ष नहीं किया जायेगा।

वर्ष 2013–14 एवं वर्ष 2014–15 की भांति देशी मदिरा की तीव्रता की उपरोक्त चारों श्रेणियों के लिये वर्ष 2015–16 हेतु आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 की स्वीकृति से, भिन्न–भिन्न रंगों के कैप्सूल व लेबुलों के बार्डर निर्धारित प्रतिबंधों के साथ बनाये रखे जाने तथा वर्ष 2013–14 एवं वर्ष 2014–15 की भांति वर्ष 2015–16 में भी प्रदेश में केवल ई0एन0ए0 से निर्मित देशी मदिरा का विक्रय किये जाने का निर्णय लिया गया है।

वर्ष 2015–16 हेतु उक्त श्रेणियों के अधिकतम थोक व अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य इस हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 28–11–2013 के कार्यवृत्त संलग्नक–1 के अनुसार उसमें वर्णित शर्तों के अधीन होंगे।

1.7 देशी शराब की बेसिक लाइसेंस फीसः–

वर्ष 2014–15 के लिये निर्धारित बेसिक लाइसेंस फीस की दर रु0 24 प्रति बल्क लीटर में रु0 1 की वृद्धि करते हुये वर्ष 2015–16 हेतु इसे रू0 25/– प्रति बल्क लीटर निर्धारित किया जायेगा।

1.8 देशी शराब की अतिरिक्त बेसिक लाइसेंस फीस :–

वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में यह व्यवस्था है कि एम.जी.क्यू. से अधिक देशी शराब की निकासी उठाने पर उक्त अतिरिक्त निकासी पर अतिरिक्त बेसिक लाइसेंस फीस देय होगी एवं इस प्रकार उठायी गयी अतिरिक्त मदिरा में निहित प्रतिफल शुल्क के जमा अधिशेष (Credit balance) का अर्जन भी नहीं होगा। उक्त प्रचलित व्यवस्था को वर्ष 2015–16 में भी यथावत बनाये रखने का निर्णय लिया गया है।

1.9 देशी शराब की लाइसेंस फीस (प्रतिफल फीस):–

वर्ष 2014–15 के लिये निर्धारित प्रतिफल फीस रु0 204 प्रति बल्क लीटर में रु0 23 प्रति बल्क लीटर की वृद्वि कर वर्ष 2015–16 हेतु इसे रु0 227 प्रति बल्क लीटर निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है। तत्पश्चात् वर्ष 2015–16 हेतु देशी शराब की प्रतिफल फीस की दरें निम्नवत् होंगी :–

क0सं0	तीव्रता	वर्ष 2015–16 हेतु प्रस्तावित प्रतिफल फीस की दर (रु0 प्रति बल्क लीटर)
1	36 प्रतिशत वी/वी के रुप में	**227.00**
2	42.8 प्रतिशत वी/वी के रुप में	**269.88**
3	28 प्रतिशत वी/वी के रुप में	**176.55**
4	25 प्रतिशत वी/वी के रुप में (विशेष श्रेणी)	**72.00**

नोट :– वर्ष 2013–14 एवं वर्ष 2014–15 की भांति वर्ष 2015–16 में भी 25 प्रतिशत वी/वी तीव्रता की विशेष श्रेणी की देशी मदिरा की निकासी में निहित प्रतिफल शुल्क का समायोजन देशी शराब दुकान की लाइसेंस फीस के सापेक्ष नहीं किया जायेगा।

1.10 देशी शराब दुकानों का वर्ष 2015–16 हेतु व्यवस्थापनः–

(क) आगरा, वाराणसी, लखनऊ तथा गोरखपुर जोन में देशी शराब की दुकानों का व्यवस्थापनः–

देशी शराब की फुटकर बिक्री की वर्ष 2014–15 में संचालित दुकानों, का नवीनीकरण एवं नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन वर्ष 2015–16 हेतु निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन किये जाने का निर्णय लिया गया है :–

1– अंतिम व्ययगत मास तक की समस्त देयताएं बेबाक हों।

2– वर्ष 2014–15 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित हो।

3– वर्ष 2015–16 के लिए निर्धारित देयताओं की अदायगी के लिये अनुज्ञापी तत्पर हों।

4– वर्ष 2014–15 के जनपद के वार्षिक व्यवस्थित एम.जी.क्यू. (जिसमें 1 अप्रैल के बाद व्यवस्थित दुकानों के एम.जी.क्यू. में व्ययगत अवधि के एम.जी.क्यू. के बराबर कम किये गये एम.जी.क्यू. को जोड़ते हुए वार्षिक एम.जी.क्यू. आगणित होगा) में 8 प्रतिशत की वृद्धि कर वर्ष 2015–16 के लिए जनपद का एम.जी.क्यू. निर्धारित किया जायेगा। इस वृद्धि से जनित एम.जी.क्यू. को नवसृजित दुकानों पर नियमानुसार निर्धारित मात्रा में समायोजित करने के बाद यदि एम.जी.क्यू. अवशेष बचता है, तो उसको जनपद की पूर्व से संचालित हो रही दुकानों के एम.जी.क्यू. में समानुपातिक वृद्धि करते हुए समस्त दुकानों पर विभाजित किया जायेगा। **यदि किसी जनपद में उपरोक्त वृद्वि से जनित एम.जी.क्यू. नवसृजित की जा रही दुकानों के लिए नियमानुसार निर्धारित हो रहे एम.जी.क्यू. से कम होगा, तो ऐसे जनपद का एम.जी.क्यू. नवसृजित दुकानों के एम.जी.क्यू. की सीमा तक बढ़ा कर निर्धारित किया जा सकेगा, भले ही जनपद के वर्ष 2014–15 के वार्षिक व्यवस्थित एम.जी.क्यू. में 8 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोत्तरी हो जाये।** उपरोक्तानुसार वर्ष 2015–16 हेतु निर्धारित एम.जी.क्यू. को दुकानवार/ क्षेत्रवार, आबकारी निरीक्षकों द्वारा तथा दुकानवार/ क्षेत्रवार/जिलेवार जिला आबकारी अधिकारी द्वारा परीक्षण के उपरान्त उप आबकारी आयुक्त, प्रभार के माध्यम से लाइसेंस प्राधिकारी/जिलाधिकारी से अनुमोदित कराया जायेगा।

5– उपरोक्तानुसार नवीनीकृत न हो सकी दुकानों को वर्ष 2015–16 के लिए निर्धारित एम.जी.क्यू. पर विज्ञापन देकर आवेदन मांग कर व्यवस्थित कराया जायेगा। यदि किसी दुकान हेतु एक ही आवेदन प्राप्त होता है, और नियमानुसार उचित पाया जाता है तो दुकान का आवंटन आवेदक के पक्ष में कर दिया जायेगा। एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में दुकान का आवंटन नियमानुसार सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से किया जायेगा। इसी के साथ नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन भी निकायवार निर्धारित एम.जी. क्यू. पर विज्ञापन के माध्यम से आवेदन मांगकर सार्वजनिक लाटरी से कराया जायेगा।

6– वर्ष 2014–15 में संचालित हो रही दुकानों के उपरोक्तनुसार भी व्यवस्थित न होने पर इनका व्यवस्थापन सार्वजनिक विज्ञापन देकर वर्ष 2014–15 के वार्षिक व्यवस्थित एम.जी.क्यू. पर आफर मांग कर कराया जायेगा। प्रतिबंध यह रहेगा कि वर्ष 2014–15 के वार्षिक व्यवस्थित एम.जी.क्यू. से कम का आफर स्वीकार नहीं होगा। दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा।

(ख) विशिष्ट जोन मेरठ में देशी शराब की फुटकर बिक्री की दुकानों का व्यवस्थापनः–

विशिष्ट जोन मेरठ में देशी शराब की फुटकर बिक्री की वर्ष 2014–15 में संचालित दुकानों, का नवीनीकरण एवं नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन वर्ष 2015–16 हेतु निम्नलिखित प्रतिबंधों के साथ किये जाने का निर्णय लिया गया हैः–

1. विशिष्ट जोन मेरठ में देशी शराब की फुटकर बिक्री की दुकानों का व्यवस्थापन उपरोक्त प्रस्तर–2 (ब)(3)1.10(क) के बिन्दु संख्या–1, 2, 3 एवं 4 में वर्णित प्रक्रिया/प्रतिबंधों के अनुरूप एम0जी0क्यू0 निर्धारित कर किया जायेगा।

2. विशिष्ट जोन मेरठ के वर्ष 2014–15 के अनुज्ञापी को जोन की समस्त देशी शराब की फुटकर बिक्री की दुकानें वर्ष 2015–16 हेतु उपरोक्तानुसार निर्धारित नवीनीकरण फीस, बेसिक लाइसेंस फीस, प्रतिभूति एवं एम.जी.क्यू. पर नवीनीकृत कराना एवं नवसृजित दुकानों के लिए निर्धारित बेसिक लाइसेंस फीस, एम.जी. क्यू एवं प्रतिभूति के आधार पर अनुज्ञापन प्राप्त करना होगा। किसी भी दुकान का व्यवस्थापन /नवीनीकरण न कराने की दशा में विशिष्ट मेरठ जोन की देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं माडल शाप्स के अनुज्ञापी के रुप में किया गया उसका चयन निरस्तीकरण योग्य होगा, जिसके तारतम्य में उसको प्रदत्त देशी शराब, विदेशी मदिरा,बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं माडल शाप्स के समस्त अनुज्ञापन निरस्तीकरण योग्य होंगे। इस प्रकार निरस्त/रिक्त अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन नियमानुसार किया जायेगा।

1.11 देशी शराब की बोतलों की धारिता:–

वर्ष 2013–14 एवं वर्ष 2014–15 में 28% v/v व 36% v/v श्रेणी की मदिरा का विक्रय 100, 200, 375 व 750 एम.एल. की धारिता की बोतलों में तथा 42.8% v/v श्रेणी की मदिरा का विक्रय 100,180, 200, 375 व 750 एम.एल. की धारिता की बोतलों में अनुमन्य है। 25% v/v विशेष श्रेणी की मदिरा का विक्रय केवल 200 एम.एल. के पौवे में ही अनुमन्य है। इस व्यवस्था को वर्ष 2015–16 में भी यथावत् बनाये रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

1.12 देशी शराब की दुकानों का सृजन:–

वर्ष 2015–16 में आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 को देशी शराब की वर्ष 2014–15 में व्यवस्थित कुल दुकानों के 15 प्रतिशत दुकानों के सृजन का अधिकार रहेगा तथा 15 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने पर नई दुकानों का सृजन शासन की अनुमति से किया जायेगा।

1.13 नवसृजित देशी शराब की दुकानों का एम0जी0क्यू0 निर्धारण :–

वर्ष 2014–15 हेतु नवसृजित देशी शराब की दुकानों के निर्धारित एम.जी.क्यू. में लगभग 8 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये वर्ष 2015–16 के लिये नवसृजित की जाने वाली दुकानों के लिये निम्नवत् एम.जी.क्यू. निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है :–

क्रम सं0	दुकान की प्रास्थिति	वर्ष 2013–14 में एम.जी.क्यू. ब0ली0 में	वर्ष 2014–15 हेतु निर्धारित एम.जी.क्यू. ब0ली0 में	वर्ष 2015–16 हेतु निर्धारित एम.जी.क्यू. ब0ली0 में
1	नगर निगम व इसकी सीमा से 03 कि0मी0 की परिधि तक	21000	22500	24500
2	नगर पालिका व इसकी सीमा से 02 कि0मी0 की परिधि तक	15000	16000	17500
3	नगर पंचायत व इसकी सीमा से 01 कि0मी0 की परिधि तक	9000	9500	10500
4	ग्रामीण	5000	5500	6000

देशी शराब की समस्त दुकानों (नवसृजित सहित) की प्रास्थिति का निर्धारण नियमानुसार किया जायेगा। इस संबंध में आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा समय–समय पर प्रसारित परिपत्रों में दिये गये निर्देशों का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1.14 देशी शराब की थोक आपूर्तिः–

वर्ष 2013–14 की देशी मदिरा की थोक आपूर्ति की व्यवस्था को यथावत बनाये रखते हुये वर्ष 2014–15 हेतु व्यवस्थित प्रदेश के समस्त सी0एल0–1बी अनुज्ञापनों का वर्ष 2015–16 हेतु नवीनीकरण निम्नवत् किये जाने का निर्णय लिया गया है :–

(क) सी0एल0–1बी अनुज्ञापन हेतु देयताएं :–

वर्ष 2015–16 हेतु प्रति अनुज्ञापन देयताएं एवं अदायगी की प्रकिया निम्नानुसार की जायेगी :–

मद का नाम	**वर्ष 2015–16**
नवीनीकरण फीस	रु0 4.50 लाख
लाइसेंस फीस	रु0 13.25 करोड़
प्रतिभूति धनराशि	रु0 1.33 करोड़

(एक मुश्त आवेदन के समय)

अदायगी :– लाइसेंस फीस की अदायगी वर्ष 2014–15 की भांति वर्ष 2015–16 हेतु निम्नानुसार करायी जायेगी :–

आवेदन के समय	रु0 4.75 करोड़
जून –2015 तक	रु0 4.25 करोड़
सितम्बर–2015तक	रु0 4.25 करोड़

(ख) सी0एल0–1सी अनुज्ञापनः–

वर्ष 2015–16 के सी0एल0–1 बी अनुज्ञापी द्वारा जोन के प्रत्येक जनपद में वर्ष 2015–16 हेतु सी0एल0–1सी अनुज्ञापन निम्नानुसार देय लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति पर अनिवार्य रुप से नवीनीकरण कराया जायेगा। वर्ष 2014–15 की देयताएं व वर्ष 2015–16 हेतु प्रति अनुज्ञापन देयताएं निम्नवत् निर्धारित होंगीः–

मद का नाम	वर्ष 2014–15 की देयतायें	वर्ष 2015–16 हेतु निर्धारित
नवीनीकरण फीस	रु0 20,000	रु0 25,000
लाइसेंस फीस	रु0 1.75 लाख	रु0 2.00 लाख
प्रतिभूति धनराशि	रु0 17,500	रु0 20,000

वर्ष 2013–14 एवं वर्ष 2014–15 हेतु निर्धारित व्यवस्था की भांति वर्ष 2015–16 में भी सी0एल0–1सी अनुज्ञापी प्रदेश की विभिन्न अनुज्ञाधारी देशी मदिरा निर्माता आसवनियों से सीधे मदिरा प्राप्त करेगा। प्रदेश की आसवनियों से मदिरा प्राप्ति में कठिनाई की स्थिति में सी0एल0–1सी अनुज्ञापी आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 की विशेष अनुमति से राज्य के बाहर की आसवनियों से देशी मदिरा आयात कर सकेगा। प्रदेश में आयात की जाने वाली ऐसी मदिरा पर आयातकर्ता अनुज्ञाधारी द्वारा प्रतिफल फीस का अग्रिम भुगतान कर आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 के कार्यालय में स्थित सुरक्षा होलोग्राम आपूर्तक इकाई से सुरक्षा होलोग्राम प्राप्त कर संबंधित आसवनी ले जाकर बोतलों पर चस्पा कराया जायेगा तथा वर्ष 2014–15 की भांति सुरक्षा होलोग्राम युक्त मदिरा का ही आयात वर्ष 2015–16 में प्रदेश में किया जायेगा।

1.15 देशी शराब के ब्रान्डों की रजिस्ट्रेशन फीसः–

2014–15 हेतु निर्धारित देशी शराब के ब्रान्डों की रजिस्ट्रेशन फीस रु0 25000 प्रति ब्राण्ड से बढ़ाकर वर्ष 2015–16 हेतु रु0 30000 प्रति ब्राण्ड किये जाने का निर्णय लिया गया है।

1.16 देशी शराब के लेबुलों का अनुमोदनः–

देशी मदिरा की बोतलों के लेबुलों पर वर्ष 2014–15 की व्यवस्था की भांति वर्ष 2015–16 में भी बैच नम्बर व निर्माण की तिथि एवं आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित अन्य लीजेण्ड अंकित करना अनिवार्य रखे जाने के साथ लेबुलों के अनुमोदन हेतु वर्ष 2014–15 हेतु निर्धारित लेबुल अनुमोदन फीस रु0 25000/– प्रति लेबुल से बढ़ाकर वर्ष 2015–16 हेतु रु0 30000 प्रति लेबुल किये जाने का निर्णय लिया गया है।

1.17 देशी शराब निर्यात पास फीसः–

वर्ष 2013–14 एवं वर्ष 2014–15 हेतु निर्धारित देशी मदिरा की निर्यात पास फीस रु0 10/– प्रति ए0एल0 को वर्ष 2015–16 में भी यथावत् बनाये रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

1.18 देशी शराब आयात पास फीसः–

इस सम्बन्ध में परम्परागत पूर्व व्यवस्था को यथावत् बनाये रखने का निर्णय लिया गया है।

1.19 देशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों की दैनिक लाइसेंस फीसः–

वर्ष 2013–14 में देशी शराब की फुटकर बिक्री की दुकानों की दैनिक बेसिक लाइसेन्स फीस एवं लाइसेन्स फीस (प्रतिफल फीस) दुकान की निर्धारित वार्षिक बेसिक लाइसेंस फीस एवं लाइसेंस फीस (प्रतिफल फीस) का 1/365 भाग लिया जाना निर्धारित है। वर्ष 2015–16 में भी वर्ष 2013–14 एवं वर्ष 2014–15 की भांति दैनिक व्यवस्थापन सम्पन्न कराया जाने का निर्णय लिया गया है। ऐसी दुकानें, जो आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित नहीं हो सकेंगी, का व्यवस्थापन सार्वजनिक विज्ञापन प्रकाशित कराने के बाद वर्ष 2015–16 के लिये निर्धारित दैनिक बेसिक लाइसेन्स फीस एवं लाइसेन्स फीस (प्रतिफल फीस) के सापेक्ष जो भी सर्वोच्च आफर प्राप्त हो, उस पर सम्पन्न कराया जायेगा तथा दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा।

1.20 देशी शराब की आपूर्तिः–

देशी मदिरा की आपूर्ति वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 की भांति वर्ष 2015–16 में भी बोतलों की समस्त निर्धारित धारिताओं में बाजार की मांग के अनुसार कांच/पेट बोतलों में किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2 विदेशी मदिरा

2.1 विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों की वर्ष 2015–16 हेतु लाइसेंस फीस :–

वर्ष 2014–15 में विदेशी मदिरा की दुकानों की लाइसेंस फीस में 15 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इसी की भांति वर्ष 2015–16 में भी विदेशी मदिरा दुकान की वर्ष 2014–15 की व्यवस्थित लाइसेंस फीस में 15 प्रतिशत की वृद्धि तथा इस वृद्धि के आधार पर आगणित लाइसेंस फीस को अगले स्तर पर 5000 रु0 में राउण्ड आफ करके विदेशी मदिरा दुकानों की वर्ष 2015–16 हेतु लाइसेंस फीस का निर्धारण किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2.2 विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों का वर्ष 2015–16 हेतु व्यवस्थापनः–

(क) आगरा, वाराणसी, लखनऊ तथा गोरखपुर जोन में विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन :–

विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की वर्ष 2014–15 में संचालित दुकानों का नवीनीकरण एवं वर्ष 2015–16 हेतु नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन निम्न प्रतिबंधों के साथ किये जाने का निर्णय लिया गया हैः–

1– अंतिम व्ययगत मास तक की समस्त देयताएं बेबाक हों।

2– वर्ष 2014–15 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित हो।

3– वर्ष 2015–16 के लिए निर्धारित देयताओं की अदायगी के लिये अनुज्ञापी तत्पर हों।

4– वर्ष 2015–16 हेतु उपरोक्तानुसार निर्धारित विदेशी मदिरा दुकानों की लाइसेंस फीस को दुकानवार/ क्षेत्रवार, आबकारी निरीक्षकों द्वारा तथा दुकानवार/ क्षेत्रवार/जिलेवार जिला आबकारी अधिकारी द्वारा परीक्षण के उपरान्त उप आबकारी आयुक्त, प्रभार के माध्यम से लाइसेंस प्राधिकारी/जिलाधिकारी से अनुमोदित कराया जायेगा।

5– उपरोक्तानुसार नवीनीकृत न हो सकी दुकानों को वर्ष 2015–16 के लिए निर्धारित लाइसेंस फीस पर विज्ञापन देकर, आवेदन मांग कर व्यवस्थित कराया जायेगा। यदि किसी दुकान पर एक ही आवेदन प्राप्त होता है, और नियमानुसार उचित पाया जाता है तो दुकान का आवंटन आवेदक के पक्ष में कर दिया जायेगा। एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में दुकान का आवंटन नियमानुसार सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से किया जायेगा। इसी के साथ नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन भी निकायवार निर्धारित लाइसेंस फीस पर विज्ञापन के माध्यम से आवेदन मांगकर सार्वजनिक लाटरी से कराया जायेगा।

6– वर्ष 2014–15 में संचालित हो रही दुकानों के उपरोक्तनुसार भी व्यवस्थित न होने पर इनका व्यवस्थापन सार्वजनिक विज्ञापन देकर वर्ष 2014–15 की लाइसेंस फीस पर आफर मांग कर कराया जायेगा। प्रतिबंध यह रहेगा कि वर्ष 2014–15 की लाइसेंस फीस से कम का आफर स्वीकार न होगा। दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा।

(ख) <u>विशिष्ट मेरठ जोन में विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों का व्यवस्थापनः–</u>

विशिष्ट जोन मेरठ में विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की वर्ष 2014–15 में संचालित दुकानों, का नवीनीकरण एवं वर्ष 2015–16 हेतु नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन निम्न प्रतिबंधों के साथ किये जाने का निर्णय लिया गया हैः–

1. विशिष्ट जोन मेरठ में विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों का व्यवस्थापन उपरोक्त प्रस्तर–2(ब)(3)2.2(क) के बिन्दु संख्या–1, 2, 3 एवं 4 में वर्णित प्रक्रिया/प्रतिबंधों के अनुरूप लाइसेंस फीस निर्धारित करके किया जायेगा।
2. विशिष्ट जोन मेरठ के वर्ष 2014–15 के अनुज्ञापी को जोन की विदेशी मदिरा की समस्त फुटकर बिक्री की दुकानें वर्ष 2015–16 हेतु निर्धारित नवीनीकरण फीस, लाइसेंस फीस व प्रतिभूति धनराशि के आधार पर नवीनीकृत कराना एवं नवसृजित दुकानों के लिए निर्धारित लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति धनराशि के आधार पर अनुज्ञापन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। किसी भी दुकान का व्यवस्थापन/नवीनीकरण न कराने की दशा में मेरठ जोन की देशी शराब, विदेशी मदिरा,बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं माडल शाप्स के अनुज्ञापी के रुप में किया गया उसका चयन निरस्तीकरण योग्य होगा, जिसके तारतम्य में उसको प्रदत्त देशी शराब, विदेशी मदिरा,बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं माडल शाप्स के समस्त अनुज्ञापन निरस्तीकरण योग्य होंगे। इस प्रकार निरस्त/रिक्त अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन नियमानुसार किया जायेगा।

2.3 <u>विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों हेतु आवेदन व प्रोसेसिंग फीस एवं नवीनीकरण शुल्क :–</u>

वर्ष 2014–15 हेतु निर्धारित आवेदन व प्रासेसिंग फीस में रु0 8000/– में रू0 1000/– की वृद्धि करते हुए वर्ष 2015–16 हेतु इसे रु0 9000/– प्रति आवेदन निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

शासनादेश सं0 3174 ई–2/तेरह–2010–141/2007 दिनांक 03 फरवरी, 2011 के अनुसार आवेदन पत्रों की प्रोसेसिंग फीस पर नियमानुसार वैट भी देय है। अतः वर्ष 2015–16 हेतु प्रोसेसिंग फीस पर तत्समय निर्धारित दर पर वैट तथा नियमानुसार देय अन्य करों की वसूली भी अतिरिक्त रुप से पूर्ववत् की जायेगी।

वर्ष 2014–15 हेतु विदेशी मदिरा की दुकानों का निकायवार नवीनीकरण शुल्क तथा वर्ष 2015–16 के लिए आगणित नवीनीकरण शुल्क का विवरण निम्नवत् होगाः–

क्रमांक	निकाय	वर्ष 2014–15 की दर (रुपये में)	वर्ष 2015–16 हेतु दर (रुपये में)
1	नगर निगम क्षेत्र की दुकानों के लिए	55,000 प्रति दुकान	60,000 प्रति दुकान
2	नगर पालिका क्षेत्र की दुकानों के लिए	45,000 प्रति दुकान	50,000 प्रति दुकान

3	नगर पंचायत क्षेत्र की दुकानों के लिए	30,000 प्रति दुकान	35,000 प्रति दुकान
4	ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों के लिए	17,000 प्रति दुकान	19,000 प्रति दुकान

2.4 विदेशी मदिरा की दुकानों का सृजनः–

वर्ष 2015–16 में जनहित में अवैध मदिरा पर अंकुश रखने व मानक मदिरा उपलब्ध कराने के दृष्टिगत वर्ष 2013–14 की भांति वर्ष 2014–15 की व्यवस्थित दुकानों की कुल संख्या के 15 प्रतिशत तक नई दुकानों के सृजन का अधिकार आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 को रहेगा तथा 15 प्रतिशत से अधिक की मॉग होने पर शासन की स्वीकृति से दुकानों का सृजन किये जाने की व्यवस्था को यथावत् बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।

वर्ष 2014–15 के लिये नवसृजित विदेशी मदिरा दुकानों की निर्धारित लाइसेंस फीस में 15 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये इसे अगले स्तर पर रु0 5000 में राउण्ड आफ करके वर्ष 2015–16 के लिये लाइसेंस फीस का निम्नवत् निर्धारण किये जाने का निर्णय लिया गया है :–

क0	नवसृजित दुकान की प्रास्थिति	वर्ष 2014–15 हेतु निर्धारित न्यूनतम लाइसेंस फीस	वर्ष 2015–16 हेतु निर्धारित न्यूनतम लाइसेंस फीस
1	नगर निगम व इसकी सीमा से 03 कि0मी0 की परिधि तक	8,55,000/–	9,85,000/–
2	नगर पालिका व इसकी सीमा से 02 कि0मी0 की परिधि तक	2,90,000/–	3,35,000/–
3	नगर पंचायत व इसकी सीमा से 01 कि0मी0 की परिधि तक	1,35,000/–	1,60,000/–
4	ग्रामीण	70,000/–	85,000/–

विदेशी मदिरा की समस्त दुकानों (नवसृजित सहित) की प्रास्थिति का निर्धारण नियमानुसार किया जायेगा। इस संबंध में आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा समय–समय पर प्रसारित परिपत्रों में दिये गये निर्देशों का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2.5 विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों की दैनिक लाइसेंस फीसः–

विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों की दैनिक लाइसेन्स फीस दुकान की निर्धारित वार्षिक लाइसेन्स फीस का 1/365 भाग लेकर वर्ष 2015–16 में भी दैनिक व्यवस्थापन पूर्व की भांति सम्पन्न कराया जायेगा। अतः वर्ष 2013–14 व 2014–15 की भांति वर्ष 2015–16 में भी ऐसी दुकानें, जो आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित नहीं हो सकेंगी, का व्यवस्थापन सार्वजनिक विज्ञापन प्रकाशित कराने के बाद वर्ष 2015–16 के लिये निर्धारित दैनिक लाइसेन्स फीस के सापेक्ष जो भी सर्वोच्च आफर प्राप्त हो, पर सम्पन्न कराये जाने तथा दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जाने का निर्णय लिया गया है।

2.6 विदेशी मदिरा की प्रतिफल फीस एवं एम0आर0पी0 का निर्धारण :–

वर्ष 2015–16 के लिये वर्ष 2014–15 की प्रतिफल फीस, थोक/फुटकर विक्रेता के लाभांश के सूत्र में सभी श्रेणियों की प्रतिफल फीस की दरों में लगभग 15 प्रतिशत की वृद्वि करते हुये निम्नानुसार सूत्र निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है :–

भारत निर्मित विदेशी मदिरा (आई.एम.एफ.एल.) की प्रतिफल फीस एवं एम0आर0पी0 का निर्धारण

क्र0 सं0	ई0डी0पी0 की श्रेणी प्रति बोतल (750एम0एल0) (E)	श्रेणी का नाम	सुरक्षा होलोग्राम की श्रेणी	प्रतिफल फीस प्रति बोतल(750एम0एल0) (D)	थोक विक्रेता का मार्जिन(WM)	फुटकर विक्रेता का मार्जिन (RM)	एम.आर.पी. का सूत्र
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0 से 30 तक	इकोनोमी	GGG	ई0डी0पी0 का 830%	इस श्रेणी की अधिकतम ई0डी0पी0 का 12.5% अर्थात रु0 3.75	इस श्रेणी की अधिकतम ई0डी0पी0 का 180% अर्थात रु0 30 का 180%= रु0 54	कालम 2+5+6+7 का योग
2	30 से अधिक 60 तक	मीडियम	FFF	श्रेणी–1 की अधिकतम ई0डी0पी0 हेतु निर्धारित प्रतिफल फीस (रु0 30 का 830%= रु0 249.00) + रु0 30 से अधिक की ई0डी0पी0 का 205%	श्रेणी–1 की अधिकतम मार्जिन (रु0 30 का 12.5%= रु0 3.75) + रु0 30 से अधिक की ई0डी0पी0 का 5%	श्रेणी–1 की अधिकतम मार्जिन (रु0 30 का 180%= रु0 54) + रु0 30 से अधिक की ई0डी0पी0 का 50%	कालम 2+5+6+7 का योग
3	60 से अधिक 100 तक	रेगूलर	EEE	श्रेणी–2 की अधिकतम ई0डी0पी0 हेतु निर्धारित प्रतिफल फीस (रु0 310.50) + रु0 60 से अधिक की ई0डी0पी0 का 200%	श्रेणी–2 की अधिकतम मार्जिन (रु0 5.25) + रु0 60 से अधिक की ई0डी0पी0 का 3%	श्रेणी–2 की अधिकतम मार्जिन (रु0 69) + रु0 60 से अधिक की ई0डी0पी0 का 45%	कालम 2+5+6+7 का योग
4	100 से अधिक 250 तक	सेमी प्रीमियम	DDD	श्रेणी–3 की अधिकतम ई0डी0पी0 हेतु निर्धारित प्रतिफल फीस (रु0 390.50) + रु0 100 से अधिक की ई0डी0पी0 का 180%	श्रेणी–3 की अधिकतम मार्जिन (रु0 6.45) + रु0 100 से अधिक की ई0डी0पी0 का 2.5%	श्रेणी–3 की अधिकतम मार्जिन (रु0 87) + रु0 100 से अधिक की ई0डी0पी0 का 12.5%	कालम 2+5+6+7 का योग
5	250 से अधिक 400 तक	प्रीमियम	CCC	श्रेणी–4 की अधिकतम ई0डी0पी0 हेतु निर्धारित प्रतिफल फीस (रु0 660.50) + रु0 250 से अधिक की ई0डी0पी0 का 50%	श्रेणी–4 की अधिकतम मार्जिन (रु0 10.20) + रु0 250 से अधिक की ई0डी0पी0 का 2%	श्रेणी–4 की अधिकतम मार्जिन (रु0 105.75) + रु0 250 से अधिक की ई0डी0पी0 का 10%	कालम 2+5+6+7 का योग
6	400 से अधिक 600 तक	सुपर प्रीमियम	BBB	श्रेणी–5 की अधिकतम ई0डी0पी0 हेतु निर्धारित प्रतिफल फीस (रु0 735.50) + रु0 400 से अधिक की ई0डी0पी0 का 40%	श्रेणी–5 की अधिकतम मार्जिन (रु0 13.20) + रु0 400 से अधिक की ई0डी0पी0 का 2%	श्रेणी–5 की अधिकतम मार्जिन (रु0 120.75) + रु0 400 से अधिक की ई0डी0पी0 का 7.5%	कालम 2+5+6+7 का योग

क्र0 सं0	ई0डी0पी0 की श्रेणी प्रति बोतल (750एम0एल0) (E)	श्रेणी का नाम	सुरक्षा होलोग्राम की श्रेणी	प्रतिफल फीस प्रति बोतल(750एम0एल0) (D)	थोक विक्रेता का मार्जिन(WM)	फुटकर विक्रेता का मार्जिन (RM)	एम.आर.पी. का सूत्र
7	600 से अधिक	स्काच	AAA	श्रेणी–6 की अधिकतम ई0डी0पी0 हेतु निर्धारित प्रतिफल फीस (रु0 815.50) + रु0 600 से अधिक की ई0डी0पी0 का 30%	श्रेणी–6 की अधिकतम मार्जिन (रु0 17.20) + रु0 600 से अधिक की ई0डी0पी0 का 2%	श्रेणी–6 की अधिकतम मार्जिन (रु0 135.75) + रु0 600 से अधिक की ई0डी0पी0 का 5%	कालम 2+5+6+7 का योग

उपरोक्त सूत्र का सरलीकृत स्वरुप निम्नवत् है :–

भारत निर्मित विदेशी मदिरा (आई.एम.एफ.एल.) की प्रतिफल फीस, मार्जिन एवं एम0आर0पी0 का निर्धारण

क्र0 सं0	ई0डी0पी0 की श्रेणी प्रति बोतल (750एम0एल0) (E)	श्रेणी का नाम	सुरक्षा होलोग्राम की श्रेणी	प्रतिफल फीस प्रति बोतल (750एम0एल0) (D)	थोक विक्रेता का मार्जिन (WM)	फुटकर विक्रेता का मार्जिन (RM)	एम.आर.पी. का सूत्र
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0 से 30 तक	इकोनोमी	GGG	8.30E	3.75	54	कालम 2+5+6+7 का योग
2	30 से अधिक 60 तक	मीडियम	FFF	187.50+2.05E	2.25+0.05E	39+0.50E	कालम 2+5+6+7 का योग
3	60 से अधिक 100 तक	रेगूलर	EEE	190.50+2.00E	3.45+0.03E	42+0.45E	कालम 2+5+6+7 का योग
4	100 से अधिक 250 तक	सेमी प्रीमियम	DDD	210.50+1.80E	3.95+0.025E	74.50+0.125E	कालम 2+5+6+7 का योग
5	250 से अधिक 400 तक	प्रीमियम	CCC	535.50+0.50E	5.20+0.02E	80.75+0.10E	कालम 2+5+6+7 का योग
6	400 से अधिक 600 तक	सुपर प्रीमियम	BBB	575.50+0.40E	5.20+0.02E	90.75+0.075E	कालम 2+5+6+7 का योग
7	600 से अधिक	स्काच	AAA	635.50+0.30E	5.20+0.02E	105.75+0.05E	कालम 2+5+6+7 का योग

1. 750 एम0एल0 धारिता की बोतल हेतु प्रतिफल फीस का आगणन करके अन्य धारिताओं की बोतलों हेतु समानुपातिक रुप से प्रतिफल फीस का आगणन किया जायेगा।
2. 750 एम0एल0 धारिता की बोतल हेतु थोक/फुटकर विक्रेता के मार्जिन का आगणन करके अन्य धारिताओं की बोतलों हेतु समानुपातिक रुप से मार्जिन का आगणन किया जायेगा।

3. 750 एम0एल0 की बोतल के सापेक्ष छोटी धारिताओं में बोतल, लेबुल व पी.पी.कैप के मूल्यों का अधिभार अधिक पड़ने के दृष्टिगत बोतल (750 एम0एल0) की एम0आर0पी0 निर्धारण के लिये आसवनी द्वारा प्रस्तुत एक्स आसवनी मूल्य (ई0डी0पी0) में 375 एम0एल0 की धारिता हेतु रु0 4 तथा अन्य धारिताओं यथा 180 एम0एल0, 90 एम0एल0 व 60एम0एल0 के एम0आर0पी0 निर्धारण हेतु रु0 6, बढ़ाकर किया जाना प्रस्तावित है। अर्थात आसवनी द्वारा प्रस्तुत प्रति बोतल (750 एम0एल0) ई0डी0पी0 में उपरोक्तानुसार रु0 4/रु0 6 जोड़कर 375 एम0एल0/180 एम0एल0 एवं उससे कम धारिता की बोतलों हेतु समानुपातिक (750 एम0एल0 धारिता की बोतल में बन रही छोटी धारिताओं की बोतलों की पूर्ण संख्या के अनुसार) रुप से ई0डी0पी0 का आगणन किया जायेगा।
4. विदेशी मदिरा के अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य को राउन्ड आफ करते हुए 5 के गुणांक में अगले स्तर पर निर्धारित कर अन्तर की धनराशि को अतिरिक्त प्रतिफल फीस के रुप में लिया जायेगा।

2.7 विदेशी मदिरा का ई0एन0ए0 से निर्माण :–

वर्ष 2008–09 की आबकारी नीति से विदेशी मदिरा की सभी श्रेणियों का निर्माण ई0एन0ए0 से करने की लागू एवं अद्यतन प्रचलित व्यवस्था को वर्ष 2015–16 में भी बनाये रखने का निर्णय लिया गया है।

2.8 विदेशी शराब की थोक आपूर्तिः–

(क) एफ0एल0–2 अनुज्ञापनों का नवीनीकरण :–

वर्ष 2014–15 में कार्यरत एफ0एल0–2 अनुज्ञापनों का वर्ष 2015–16 हेतु नवीनीकरण किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(ख) एफ0एल0–2 अनुज्ञापन शुल्क :–

वर्ष 2014–15 के लिये निर्धारित लाइसेंस फीस में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर उसे अगले स्तर पर रु0 5000 में राउण्ड आफ करते हुये वर्ष 2015–16 के लिये लाइसेंस फीस का निर्धारण निम्नवत् किया जायेगा :–

क्रम संख्या	अनुज्ञापन वर्ष के ठीक पूर्व के वर्ष में जनपद में विदेशी मदिरा के फुटकर अनुज्ञापनों से विक्रय होने वाली अनुमानित विदेशी मदिरा की बोतलों (750 एम.एल.) की संख्या	वर्ष 2014–15 की निर्धारित लाइसेन्स फीस(रूपये में)	वर्ष 2015–16 हेतु निर्धारित लाइसेन्स फीस (रूपये में)
1	7,00,000 बोतलों तक	6.05 लाख	6.70 लाख
2	7,00,000 से 15,00,000 बोतल तक	12.10 लाख	13.35 लाख
3	15,00,000 से 25,00,000 बोतल तक	24.20 लाख	26.65 लाख
4	25,00,000 से 30,00,000 बोतल तक	36.30 लाख	39.95 लाख
5	30,00,000 बोतल से अधिक	48.40 लाख	53.25 लाख

स्पष्टीकरण :– 1– उपरोक्तानुसार उपभोग का आगणन मुख्यालय में उपलब्ध अन्तिम मास तक के उपभोग विवरण के आधार पर किया जायेगा।

2– अनुज्ञापन वर्ष का तात्पर्य उस वर्ष से है, जिस वित्तीय वर्ष के लिये अनुज्ञापन दिया गया है।

3– अनुज्ञापन वर्ष के ठीक पूर्व के वर्ष का तात्पर्य, जिस वित्तीय वर्ष के लिये अनुज्ञापन दिया गया है उसके ठीक पूर्व के वर्ष से है।

4– यदि एफ0एल0–2 अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन मार्च–2015 से पूर्व कराया जाता है तो माह मार्च–2015 में माह फरवरी–2015 तक के उपभोग के आधार पर एफ0एल0–2 अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस का पुनर्निधारण कराया जायेगा और पुनर्निधारण में यदि लाइसेंस फीस में कोई वृद्वि होती है, तो तदनुसार वृद्वि की धनराशि जमा करायी जायेगी, किन्तु पूर्व में निर्धारित लाइसेंस फीस में कोई कमी नहीं की जायेगी।

(ग) **एफ0एल0–2 अनुज्ञापनों से अन्य जनपद को विदेशी मदिरा की आपूर्ति हेतु अतिरिक्त लाइसेंस फीस** :–

एफ0एल0–2 अनुज्ञापी द्वारा अपने जनपद के अतिरिक्त अन्य जनपद को विदेशी मदिरा की आपूर्ति करने हेतु अतिरिक्त लाइसेंस फीस अदा करने तथा उसे जमा करने की वर्ष 2014–15 हेतु निर्धारित निम्नलिखित प्रक्रिया को वर्ष 2015–16 के लिये भी बनाये रखे जाने का निर्णय लिया गया है:–

1. जिन जनपदों हेतु एफ0एल0–2 अनुज्ञापन व्यवस्थित नहीं हो पाते है, उन जनपदों हेतु विदेशी मदिरा की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिये आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा किसी अन्य जनपद/जनपदों के एफ0एल0–2 अनुज्ञापी को सम्बद्व किया जायेगा।
2. विदेशी मदिरा की आपूर्ति प्राप्त करने वाले जनपद के लिये वर्ष 2015–16 हेतु निर्धारित एफ0एल0–2 अनुज्ञापन की लाइसेंस फीस विदेशी मदिरा की आपूर्ति करने वाले एफ0एल0–2 अनुज्ञापी/अनुज्ञापियों से अतिरिक्त लाइसेंस फीस के रुप में वसूल की जायेगी।
3. उपरोक्त अतिरिक्त लाइसेंस फीस मासिक रुप से जमा करायी जायेगी। मासिक अतिरिक्त लाइसेंस फीस आपूर्ति प्राप्त करने वाले जनपद के लिये एफ0एल0–2 अनुज्ञापन हेतु उपरोक्तानुसार निर्धारित लाइसेंस फीस का 1/12 भाग होगी। आपूर्ति प्राप्त करने वाले जनपद का सम्बद्वीकरण आदेश प्राप्त होने की तिथि से 3 कार्य दिवसों के अंदर आपूर्तिकर्ता एफ0एल0–2 अनुज्ञापी द्वारा उपरोक्त मासिक लाइसेंस फीस जमा की जायेगी। उसके बाद आगामी माह के लिये सम्बद्वीकरण आदेश अग्रेतर प्रभावी रहने की स्थिति में उक्त माह के लिये मासिक लाइसेंस फीस संबंधित माह के प्रथम कार्य दिवस को जमा करायी जायेगी।
4. आपूर्तिकर्ता अनुज्ञापियों द्वारा उक्त निर्धारित लाइसेंस फीस समयान्तर्गत जमा करायी जायेगी एवं संबंधित जिला आबकारी अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि उक्त लाइसेंस फीस मदिरा की निकासी से पूर्व आपूर्तिकर्ता अनुज्ञापी द्वारा जमा कर दी गयी है। जिला आबकारी अधिकारी अतिरिक्त लाइसेंस फीस की जमा की सूचना संबंधित ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति के साथ माह की 05वीं तिथि तक आयुक्तालय तथा संबंधित संयुक्त/उप आबकारी आयुक्त को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
5. आपूर्तिकर्ता एफ0एल0–2 अनुज्ञापी द्वारा उक्त अतिरिक्त लाइसेंस फीस विदेशी मदिरा प्राप्त करने वाले फुटकर अनुज्ञापियों से अतिरिक्त रुप से वसूल नहीं की जायेगी।

(घ) <u>समुद्रपार से आयातित मदिरा/बीयर की थोक बिक्री के एफ0एल0–2डी अनुज्ञापनों का अनुज्ञापन शुल्कः–</u>

वर्ष 2014–15 हेतु निर्धारित इस अनुज्ञापन शुल्क रु0 1,10,000/– प्रति अनुज्ञापन में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये वर्ष 2015–16 हेतु इसे रु0 1,21,000/– प्रति अनुज्ञापन निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है।

2.9 <u>एफ0एल0–9/9ए अनुज्ञापनों के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली विदेशी मदिरा की लाइसेंस फीस एवं प्रतिफल फीस :–</u>

वर्ष 2013–14 हेतु एफ0एल0–9/9ए अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस निम्न प्रकार निर्धारित की गयी थी :–

"सी0एस0डी0 को एफ0एल0–9/9ए अनुज्ञापनों के माध्यम से तथा अन्य केन्द्रीय बलों को एफ0एल0–9ए अनुज्ञापनों के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली विदेशी मदिरा/रियायती रम पर लाइसेंस फीस की दर वर्ष 2012–13 में सिविल बिक्री हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस की आधी निर्धारित हैं। अतः वर्ष 2012–13 हेतु विदेशी मदिरा के लिये सिविल हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस की दर रु0 32/– प्रति बोतल में 15% की वृद्धि करते हुये आगणित धनराशि रु0 36.80 की आधी दर अर्थात रु0 18.40/– प्रति बोतल वर्ष 2013–14 हेतु विदेशी मदिरा की लाइसेंस फीस एफ0एल0–9/9ए अनुज्ञापनों हेतु निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार बीयर के लिये सिविल हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस की दर रु0 7/– प्रति बोतल (650 एम0एल0) में 15% की वृद्धि करते हुये आगणित धनराशि रु0 8.05 की आधी दर अर्थात रु0 4/– प्रति बोतल वर्ष 2013–14 हेतु बीयर की लाइसेंस फीस एफ0एल0–9 अनुज्ञापनों हेतु निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है।"

तत्क्रम में वर्ष 2014–15 में वर्ष 2013–14 के लिये विदेशी मदिरा हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस रु0 18.40 में 15 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये इसे राउण्ड आफ करके रु0 21.20 प्रति बोतल (750 एम0एल0) तथा बीयर के लिये वर्ष 2013–14 हेतु निर्धारित प्रति बोतल लाइसेंस फीस रु0 4.00 में 15 प्रतिशत की वृद्धि कर रु0 4.60 प्रति बोतल (650 एम0एल0) निर्धारित किया गया है।

अतः वर्ष 2015–16 के लिये वर्ष 2014–15 की उपरोक्तानुसार निर्धारित लाइसेंस फीस रु0 21.20 प्रति बोतल में 15 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये रु0 24.38 को राउण्ड आफ करके रु0 24.40 प्रति बोतल (750 एम0एल0) तथा बीयर के लिये निर्धारित प्रति बोतल लाइसेंस फीस रु0 4.60 में 15 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये रु0 5.29 को राउण्ड आफ करके रु0 5.30 प्रति बोतल (650 एम0एल0) निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है।

2.10 <u>एफ0एल0–9ए अनुज्ञापन के अन्तर्गत रियायती रम की ई0डी0पी0</u> :–

वर्तमान में सिविल आपूर्ति हेतु न्यूनतम श्रेणी की विदेशी मदिरा "इकोनोमी श्रेणी" में विद्यमान है, जिसकी ई0डी0पी0 रु0 0 से 30 तक अनुमन्य है। वर्ष 2013–14 एवं वर्ष 2014–15 में रियायती रम की आपूर्ति इसी इकोनोमी श्रेणी की विदेशी मदिरा के समतुल्य ई0डी0पी0 के अनुसार किया जाना अनुमन्य है। इस व्यवस्था को वर्ष 2015–16 हेतु भी यथावत बनाये रखने का निर्णय लिया गया है।

2.11 <u>भारत निर्मित विदेशी मदिरा का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशनः–</u>

वर्ष 2014–15 की भारत निर्मित विदेशी मदिरा की ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस रू0 55,000/– प्रति ब्राण्ड में रु0 5,000/– की वृद्धि करते हुये वर्ष 2015–16 हेतु ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस रु0 60,000/– प्रति ब्राण्ड निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2.12 <u>अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशनः–</u>

वर्ष 2013–14 में निर्धारित अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा की ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस प्रति ब्राण्ड रु0 20000/– को वर्ष 2014–15 की भांति वर्ष 2015–16 हेतु भी यथावत बनाये रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

2.13 <u>अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा पर एम0आर0पी0 अंकित किये जाने का प्राविधान</u> :–

अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा की बोतलों पर एम.आर.पी. और अन्य "लीजेण्ड" मुद्रित करने हेतु प्रचलित व्यवस्था को वर्ष 2015–16 हेतु भी यथावत् बनाये रखने का निर्णय लिया गया है।

2.14 <u>विदेशी मदिरा का थोक अनुज्ञापन (एफ0एल0–2ए):–</u>

प्रतिरक्षा सेवाओं एवं अन्य केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों को विदेशी मदिरा की थोक आपूर्ति हेतु एफ0एल0–2ए अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाते है। उक्त एफ0एल0–2ए अनुज्ञापन की लाइसेंस फीस वर्ष 2013–14 एवं वर्ष 2014–15 हेतु रू0 2500 वार्षिक निर्धारित है, जिसे वर्ष 2015–16 हेतु भी यथावत् रखने का निर्णय लिया गया है।

2.15 <u>एफ0एल0–1/एफ0एल0–1ए (आसवनी स्तर से विदेशी मदिरा आपूर्ति के थोक अनुज्ञापन) :–</u>

वर्ष 2013–14 एवं वर्ष 2014–15 हेतु एफ0एल0–1/एफ0एल0–1ए की लाइसेंस फीस रु0 4,00,000/– एवं प्रतिभूति धनराशि रु0 40000/– प्रति अनुज्ञापन निर्धारित है। इस व्यवस्था को वर्ष 2015–16 में भी यथावत बनाये रखने का निर्णय लिया गया है।

2.16 <u>बी0डब्लूएफ0एल0–2ए/2बी/2सी/2डी अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस (अन्य प्रान्तों के आसवक/ यवासक/द्राक्षासवक एवं एल0ए0बी0 निर्माताओं के लिए) :–</u>

बी0डब्लू0 एफ0एल0–2ए/2बी/2सी/2डी अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस वर्ष 2013–14 एवं वर्ष 2014–15 हेतु निम्नवत् निर्धारित है:–

अनुज्ञापन का प्रकार	वर्ष 2013–14 हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस (लाख रुपये में)	वर्ष 2013–14 हेतु निर्धारित प्रतिभूति धनराशि (लाख रुपये में)	अभ्युक्ति
BWFL-2A	5.00	3.00	अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित विदेशी मदिरा की उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु अनुज्ञापन।
BWFL-2B	3.50	1.00	अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित बीयर की उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु अनुज्ञापन।
BWFL-2C	0.50	0.25	अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित वाइन की उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु अनुज्ञापन।
BWFL-2D	0.25	0.10	अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित एल.ए.बी. की उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु अनुज्ञापन।

उपरोक्तानुसार अनुज्ञापन शुल्क को वर्ष 2015–16 हेतु भी यथावत् बनाये रखने का निर्णय लिया गया है।

2.17 विदेशी मदिरा के लेबुलों की अनुमोदन फीसः–

वर्ष 2014–15 हेतु निर्धारित विदेशी मदिरा के लेबुलों की अनुमोदन फीस रु0 35000/– प्रति लेबुल में रु0 5000 की वृद्धि करते हुये वर्ष 2015–16 हेतु रु0 40000/– प्रति लेबुल निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है।

2.18 विदेशी मदिरा पर आयात अनुज्ञा पत्र फीसः–

बोतलों में आयाातित विदेशी मदिरा पर आयात अनुज्ञा पत्र फीस वर्ष 2013–14 एवं वर्ष 2014–15 में 4/– रूपये प्रति बल्क लीटर निर्धारित है। इसे वर्ष 2015–16 हेतु यथावत् रखने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2013–14 एवं वर्ष 2014–15 की भांति विदेशी मदिरा के बल्क में आयात पर (मिलेट्री कैन्टीन या सी0एस0डी0 लाइसेंस धारी को छोड़कर) रु0 3/– प्रति बल्क लीटर आयात अनुज्ञा पत्र फीस को वर्ष 2015–16 हेतु यथावत् रखने का निर्णय लिया गया है।

2.19 विदेशी मदिरा की निर्यात पास फीस (सिविल):–

वर्ष 2015–16 हेतु भी विदेशी मदिरा का बल्क में निर्यात किये जाने पर निर्यात पास फीस वर्ष 2013–14 एवं वर्ष 2014–15 की भांति रु0 6/– प्रति बल्क लीटर तथा विदेशी मदिरा का बोतलों में निर्यात किये जाने पर निर्यात पास फीस रु0 3.67/– प्रति ए0एल0 रखने का निर्णय लिया गया है।

भारतीय सेना को आपूर्ति की जाने वाली रियायती रम पर वर्ष 2013–14 एवं वर्ष 2014–15 हेतु निर्धारित निर्यात पास फीस रुपये 0.72 प्रति ए0एल0 को वर्ष 2015–16 हेतु भी यथावत् बनाये रखने का निर्णय लिया गया है।

2.20 विदेशी मदिरा की 90 एम0एल0 व 60 एम0एल0 की धारिता में आपूर्ति :–

वर्ष 2013–14 एवं वर्ष 2014–15 में विदेशी मदिरा की श्रेणियों के पुर्ननिर्धारण के दृष्टिगत 90 एम0एल0 की धारिता की बोतलों में विदेशी मदिरा की बिक्री रेगुलर व उससे ऊपर की श्रेणियों में शीशे की बोतलों के साथ–साथ "सिरोंग पैक" में तथा 60 एम0एल0 धारिता की बोतलों की बिक्री सेमी प्रीमियम व उससे ऊपर की श्रेणियों में अनुमन्य की गयी है। इसी व्यवस्था को वर्ष 2015–16 में भी यथावत बनाये रखने का निर्णय लिया गया है।

2.21 बार /क्लब लाइसेंस :–

वर्ष 2015–16 के लिये बार अनुज्ञापनों की वर्ष 2014–15 हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये उसे हजार रुपये में राउण्ड आफ करके निम्नवत् निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है :–

निश्चित फीस प्रणाली (रुपये में)		
होटल/रेस्टोरेन्ट बार/ क्लब परमिट	जनपद गौतमबुद्धनगर एवं जनपद गाजियाबाद सम्पूर्ण जनपद के क्षेत्र में तथा जनपद आगरा, कानपुर नगर, इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद, अलीगढ़, झांसी, सहारनपुर, बुलन्दशहर, मथुरा तथा मुजफ़्फ़रनगर के नगर निगम क्षेत्र/जनपद मुख्यालय के नगर पालिका परिषद क्षेत्र, जिनमें छावनी बोर्ड, नोटीफाइड एरिया एवं विकास प्राधिकरण, यदि कोई हो, के क्षेत्र भी सम्मिलित हैं, तथा उपरोक्त जनपदों के ऐसे क्षेत्रों में स्थित ऐसे नगरीय/ग्रामीण क्षेत्र जो उक्त क्षेत्रों में भले सम्मिलित न हों, किन्तु उन क्षेत्रों से घिरे हुये हों, में स्थित होटल/रेस्टोरेन्ट	स्तम्भ–2 में विनिर्दिष्ट क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र में स्थित होटल/ रेस्टोरेन्ट
(1)	(2)	(3)

(क) एफ0एल0–6(समिश्र) कमरों की संख्या के आधार पर होटलों का वर्गीकरण (एक) 30 कमरों तक	6,36,000	5,09,000
(दो) 30 कमरों से अधिक किन्तु 70 से अनाधिक तक	7,63,000	5,76,000
(दो) 70 कमरों से अधिक किन्तु 100 से अनाधिक तक	8,30,000	7,63,000
(तीन) 100 से अधिक कमरे	9,56,000	8,30,000
(ख) एफ0एल0–6क (समिश्र) (चार व पांच सितारा होटल)	15,25,000	13,99,000
(ग) एफ0एल0–7 के लिए	5,76,000	4,48,000
(घ) एफ0एल0–7ख के लिए	1,94,000	1,34,000
(ङ) एफ0एल0–7सी (क्लब परमिट)		
(एक) 100 सदस्यों तक	1,64,000	1,64,000
(दो) 101 से 500 तक के सदस्यों के लिए	2,25,000	2,25,000
(तीन) 500 से अधिक सदस्यों के लिए	2,55,000	2,55,000

अग्रिम प्रतिबंध यह भी होगा कि किसी भी बार अनुज्ञापन की वर्ष 2015–16 की लाइसेंस फीस उसके द्वारा वर्ष 2014–15 में अदा की गयी लाइसेंस फीस से कम नहीं होगी।

उपरोक्तानुसार लाइसेंस फीस की अदायगी के उपरान्त निम्न सुविधायें वर्ष 2015–16 हेतु अनुमन्य रहेंगी :–

(1) स्टार होटलों के सभी कमरों में तथा नान स्टार होटलों के केवल ए.सी. कमरों में अन्तःवासियों हेतु मिनी बार की सुविधा।

(2) होटलों में मदिरा पीने के लिए अनुमन्य बार रुम एवं होटल के कमरों के अतिरिक्त अन्य स्थानों यथा कानफ्रेन्स रुम, वैंकेटहाल, स्वीमिंग पूल व अन्य किसी स्थल पर अधिकतम 5 अतिरिक्त स्थलों की सीमा के अन्तर्गत अन्तःवासियों हेतु मदिरा पान की सुविधा।

(3) भारत निर्मित विदेशी मदिरा तथा आयातित विदेशी मदिरा की प्रदेश में विक्रय हेतु अनुमन्य ब्राण्डों की 60 एम.एल. की धारिता की बोतलों की होटल के कमरों में उपलब्धता।

(4) ड्राट बीयर एवं बीयर की सभी धारिताओं की बोतलों, केन पैक सहित, उपलब्धता।

(5) वाइन की सभी धारिताओं की बोतलों की उपलब्धता।

2.22 <u>बार अनुज्ञापनों की कार्यावधि :–</u>

वर्ष 2013–14 एवं वर्ष 2014–15 में सभी बार अनुज्ञापनों की कार्यावधि प्रत्येक दिनों में 12 बजे दोपहर से रात्रि 12 बजे तक निर्धारित है, साथ ही नगर निगम क्षेत्रों तथा गौतमबुद्वनगर में स्थित बारों से **एक लाख पच्चीस हजार रुपये** अतिरिक्त वार्षिक फीस लेकर 1.00 बजे रात्रि तक बार में मदिरा का उपभोग अनुमन्य होने की व्यवस्था को वर्ष 2015–16 में भी यथावत रखने का निर्णय लिया गया है।

2.23 <u>अकेजनल बार लाइसेंस :–</u>

वर्तमान में जनपदों के कलेक्टर द्वारा विदेशी मदिरा के अकेजनल बार लाइसेंस दिये जाने का प्राविधान है, जिसकी श्रेणियॉ एवं लाइसेंस फीस वर्ष 2013–14 एवं वर्ष 2014–15 हेतु निम्नवत् निर्धारित है:–

अकेजनल बार लाइसेंस फीस की श्रेणी	वर्ष 2013–14 हेतु निर्धारित अकेजनल बार की लाइसेंस फीस
(क) किसी व्यक्ति के अपने घर/ निजी स्थान (Private Place) पर आयोजित समारोह के लिए, जिसमें कोई लाभ अर्जन न हो।	रु0 1000/– प्रति दिन
(ख) किसी क्लब, संस्था, व्यक्ति द्वारा किसी होटल/ रेस्टोरेन्ट/बैंकेट हाल/ रिसोर्टस/फार्म हाउस/बारात घर आदि में गैर वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु आयोजित समारोह के लिये प्रदत्त किये जाने वाले अनुज्ञापन हेतु ।	रु0 3000/– प्रति दिन
(ग) किसी क्लब, संस्था, व्यक्ति द्वारा किसी होटल/ रेस्टोरेन्ट/बैंकेट हाल/ रिसोर्टस/फार्म हाउस/बारात घर आदि में वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु आयोजित समारोह के लिये प्रदत्त किये जाने वाले अनुज्ञापन हेतु ।	रु0 4000/– प्रति दिन
(घ) किसी क्लब, होटल, रेस्टोरेन्ट, बैकेट हाल, रिसोर्टस, फार्म हाउस, बारात घर, संस्था द्वारा किसी वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु आयोजित समारोह के लिए अनुज्ञापन हेतु।	रु0 5000/– प्रति दिन

उक्त अकेजनल बार लाइसेंस फीस को वर्ष 2015–16 हेतु यथावत रखने का निर्णय लिया गया है।

2.24 <u>अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा पर परमिट फीस :–</u>

भारत निर्मित विदेशी मदिरा की स्काच श्रेणी की प्रतिफल फीस में वृद्वि के कारण समानता के दृष्टिगत अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा की परमिट फीस वर्ष 2015–16 हेतु निम्नवत् निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है :–

एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य	वर्ष 2014–15 हेतु निर्धारित परमिट फीस	वर्ष 2015–16 हेतु निर्धारित परमिट फीस
रु0 0 से 600 तक	रु0 940 प्रति ब0 ली0	रु0 1090 प्रति ब0 ली0
रु0 600 से अधिक	रु0 990 प्रति ब0 ली0	रु0 1140 प्रति ब0 ली0

3– <u>वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय</u>

3.1 भारत में निर्मित वाइन पर आयात शुल्क :–

वर्ष 2015–16 हेतु भी भारत में निर्मित वाइन पर आयात शुल्क पूर्व की भांति यथावत् रु0 3/– प्रति बल्क लीटर रखने का निर्णय लिया गया है।

3.2 भारत निर्मित वाइन पर प्रतिफल फीस :–

वर्ष 2013–14 एवं वर्ष 2014–15 में भारत में निर्मित वाइन पर प्रतिफल फीस न्यूनतम् रू0 66.66 प्रतिलीटर या एम.आर.पी. का 25 प्रतिशत जो अधिक हो, निर्धारित है। उक्त प्रतिफल फीस को वर्ष 2015–16 हेतु भी यथावत रखने का निर्णय लिया गया है।

3.3 अन्य देशों से आयातित वाइन पर परमिट फीस :–

वर्ष 2013–14 एवं वर्ष 2014–15 में निर्धारित अन्य देशों से आयातित वाइन पर परमिट फीस रू0 66.66 प्रतिलीटर या एम.आर.पी. का 25 प्रतिशत, जो अधिक हो, को वर्ष 2015–16 हेतु भी यथावत रखने का निर्णय लिया गया है।

3.4 अन्य देशों से आयातित वाइन पर एम.आर.पी. अंकित किया जाना :–

अन्य देशों से आयातित वाइन की बोतलों पर वर्ष 2013–14 में एम.आर.पी. और अन्य "लीजेण्ड" मुद्रित करने हेतु प्रचलित एवं वर्ष 2014–15 हेतु प्रभावी व्यवस्था को वर्ष 2015–16 में यथात् बनाये रखने का निर्णय लिया गया है।

3.5 अन्य देशों से आयातित वाइन का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशनः–

वर्ष 2013–14 एवं वर्ष 2014–15 में अन्य देशों से आयातित वाइन पर विदेशी मदिरा की भांति प्रति ब्राण्ड रुपये 20,000/– रजिस्ट्रेशन फीस निर्धारित है, जिसे वर्ष 2015–16 में भी यथावत बनाये रखने का निर्णय लिया गया है।

3.6 भारतीय वाइन का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन एवं लेबुल अनुमोदनः–

भारत निर्मित वाइन की ब्रान्ड रजिस्ट्रेशन फीस वर्ष 2013–14 एवं वर्ष 2014–15 में रू0 5000/– एवं लेबुल अनुमोदन फीस भी रू0 5000/– निर्धारित है, जिसे वर्ष 2015–16 में भी यथावत रखने का निर्णय लिया गया है।

3.7 वाइन की बिक्री :–

वाइन की बिक्री वर्ष 2013–14 एवं वर्ष 2014–15 में निर्धारित व्यवस्था की भॉति वर्ष 2015–16 में भी विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों से कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

3.8 कम तीव्रता के मादक पेय की बिक्री :–

वर्ष 2013–14 एवं वर्ष 2014–15 में सेना के अधिकारियों को एफ0एल0–9 अनुज्ञापनों के माध्यम से बीयर की भांति एल.ए.बी. की बिक्री अनुमन्य है, जिसे वर्ष 2015–16 में भी यथावत बनाये रखने का निर्णय लिया गया है।

3.9 कम तीव्रता के मादक पेय का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन एवं लेबुल अनुमोदनः–

कम तीव्रता के मादक पेय के ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन व लेबुल अनुमोदन की फीस वर्ष 2013–14 एवं वर्ष 2014–15 में क्रमशः रु0 3000/– व रु0 5000/– निर्धारित है। वर्ष 2015–16 में इनके ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन व लेबुल अनुमोदन फीस को यथावत बनाये रखने का निर्णय लिया गया है।

3.10 कम तीव्रता के मादक पेय , ऐल, पोर्टर, साइडर व अन्य फर्मेन्टेड लिकर पर प्रतिफल फीस :–

उपरोक्त मादकों पर गतवर्षो में बीयर की भांति ही प्रतिफल फीस ली जाती रही है। अतः वर्ष 2014–15 हेतु निर्धारित व्यवस्था की भांति वर्ष 2015–16 में उक्त मादकों के संबंध में भी ई0डी0पी0 प्राप्त कर बीयर की भांति एम0आर0पी0 व प्रतिफल फीस का निर्धारण किये जाने का निर्णय लिया गया है।

4– बीयर

4.1 बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों की वर्ष 2015–16 हेतु लाइसेंस फीस :–

वर्ष 2014–15 हेतु बीयर की दुकानों की लाइसेंस फीस में 15 प्रतिशत की वृद्धि की जा रही है। इसी की भांति बीयर दुकान की वर्ष 2014–15 की व्यवस्थित लाइसेंस फीस में 15 प्रतिशत की वृद्धि तथा इस वृद्धि के आधार पर आगणित लाइसेंस फीस को अगले स्तर पर 5000 रु0 में राउण्ड आफ करके उक्त बीयर दुकान की वर्ष 2015–16 हेतु लाइसेंस फीस का निर्धारण करने का निर्णय लिया गया है।

4.2 बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों का वर्ष 2015–16 हेतु व्यवस्थापन

(क) आगरा, वाराणसी, लखनऊ तथा गोरखपुर जोन में बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों का व्यवस्थापन :–

बीयर की फुटकर बिक्री की वर्ष 2014–15 में संचालित दुकानों, का नवीनीकरण वर्ष 2015–16 हेतु निम्न प्रतिबंधों के साथ किये जाने का निर्णय लिया गया है :–

1– अंतिम व्ययगत मास तक की समस्त देयताएं बेबाक हों।

2– वर्ष 2014–15 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित हो।

3– वर्ष 2015–16 के लिए निर्धारित देयताओं की अदायगी के लिये अनुज्ञापी तत्पर हों।

4– वर्ष 2015–16 हेतु निर्धारित उपरोक्तानुसार बीयर दुकानों की लाइसेंस फीस को दुकानवार/ क्षेत्रवार, आबकारी निरीक्षकों द्वारा तथा दुकानवार/ क्षेत्रवार/जिलेवार जिला आबकारी अधिकारी द्वारा परीक्षण के उपरान्त उप आबकारी आयुक्त, प्रभार के माध्यम से लाइसेंस प्राधिकारी/जिलाधिकारी से अनुमोदित कराया जायेगा।

5– उपरोक्तानुसार नवीनीकृत न हो सकी दुकानों को वर्ष 2015–16 के लिए निर्धारित लाइसेंस फीस पर विज्ञापन देकर आवेदन मांग कर व्यवस्थित कराया जायेगा। यदि किसी दुकान पर एक ही आवेदन प्राप्त होता है, और नियमानुसार उचित पाया जाता है तो दुकान का आवंटन आवेदक के पक्ष में कर दिया जायेगा। एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में दुकान का आवंटन नियमानुसार सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से कराया जायेगा। इसी के साथ नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन भी निकायवार निर्धारित लाइसेंस फीस पर विज्ञाापन के माध्यम से आवेदन मांगकर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से कराया जायेगा।

6– वर्ष 2014–15 में संचालित हो रही दुकानों के उपरोक्तनुसार भी व्यवस्थित न होने पर इनका व्यवस्थापन सार्वजनिक विज्ञापन देकर वर्ष 2014–15 की लाइसेंस फीस पर आफर मांग कर कराया जायेगा। प्रतिबंध यह रहेगा कि वर्ष 2014–15 की लाइसेंस फीस से कम का आफर स्वीकार न होगा। दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा।

(ख) विशिष्ट मेरठ जोन में बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों का व्यवस्थापनः–

विशिष्ट जोन मेरठ में बीयर की फुटकर बिक्री की वर्ष 2014–15 में संचालित दुकानों, का नवीनीकरण एवं नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन **वर्ष 2015–16** हेतु निम्न प्रतिबंधों के साथ किये जाने का निर्णय लिया गया हैः–

1. विशिष्ट जोन मेरठ में बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों का व्यवस्थापन उपरोक्त प्रस्तर–2(ब)(3)4.2(क) के बिन्दु संख्या–1, 2, 3 एवं 4 में वर्णित प्रक्रिया/प्रतिबंधों के अनुरूप लाइसेंस फीस निर्धारित करके किया जायेगा।

2. विशिष्ट जोन मेरठ के वर्ष 2014–15 के अनुज्ञापी को जोन की बीयर की समस्त फुटकर बिक्री की दुकानें वर्ष 2015–16 हेतु निर्धारित नवीनीकरण फीस, लाइसेंस फीस व प्रतिभूति धनराशि के आधार पर नवीनीकृत कराना एवं नवसृजित दुकानों के लिए निर्धारित लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति धनराशि के आधार पर अनुज्ञापन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। किसी भी दुकान का व्यवस्थापन न कराने की दशा में मेरठ जोन की देशी शराब, विदेशी मदिरा,बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं माडल शाप्स के अनुज्ञापी के रुप में किया गया उसका चयन निरस्तीकरण योग्य होगा, जिसके तारतम्य में उसको प्रदत्त देशी शराब, विदेशी मदिरा,बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं माडल शाप्स के समस्त अनुज्ञापन निरस्तीकरण योग्य होंगे। इस प्रकार निरस्त/रिक्त अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन नियमानुसार किया जायेगा।

4.3 बीयर की फुटकर दुकानों हेतु आवेदन व प्रोसेसिंग फीस एवं नवीनीकरण शुल्क :–

वर्ष 2015–16 में वर्ष 2014–15 की निर्धारित प्रासेसिंग फीस रु0 8000/– प्रति आवेदन में रु0 1000/– की वृद्वि करते हुए रु0 9000/– प्रति आवेदन रखने का निर्णय लिया गया है।

शासनादेश सं0 3174 ई–2/तेरह–2010–141/2007 दिनांक 03 फरवरी, 2011 के अनुसार आवेदन पत्रों की प्रोसेसिंग फीस पर नियमानुसार वैट भी देय है। अतः वर्ष 2015–16 हेतु प्रोसेसिंग फीस पर तत्समय निर्धारित दर पर वैट तथा नियमानुसार देय अन्य करों की वसूली भी अतिरिक्त रुप से पूर्ववत् की जायेगी।

बीयर की दुकानों का वर्ष 2013–14 एवं वर्ष 2014–15 हेतु नवीनीकरण किया गया था। वर्ष 2014–15 में निकायवार नवीनीकरण शुल्क तथा वर्ष 2015–16 के लिए निर्धारित नवीनीकरण शुल्क का विवरण निम्नवत् होगाः–

कमांक	निकाय	वर्ष 2014–15 हेतु निर्धारित दर (रुपये में)	वर्ष 2015–16 हेतु निर्धारित दर (रुपये में)
1	नगर निगम क्षेत्र की दुकानों के लिए	45,000 प्रति दुकान	45,000 प्रति दुकान
2	नगर पालिका क्षेत्र की दुकानों के लिए	35,000 प्रति दुकान	35,000 प्रति दुकान
3	नगर पंचायत क्षेत्र की दुकानों के लिए	22,000 प्रति दुकान	22,000 प्रति दुकान
4	ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों के लिए	11,000 प्रति दुकान	11,000 प्रति दुकान

4.4 बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों का सृजनः–

वर्ष 2015–16 में भी नई दुकानों के सृजन की आवश्यकता के दृष्टिगत वर्ष 2014–15 की भांति वर्ष 2014–15 हेतु प्रदेश की कुल व्यवस्थित दुकानों के 25 प्रतिशत तक बीयर की नई दुकानों के सृजन का अधिकार आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 को रहेगा तथा 25 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने पर दुकानों का सृजन शासन की अनुमति से किया जायेगा।

वर्ष 2014–15 के लिये बीयर की नवसृजित दुकानों की लाइसेंस फीस में रु0 5000/– प्रति दुकान की वृद्वि करते हुये वर्ष 2015–16 हेतु निम्नवत् लाइसेंस फीस निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है :–

कम सं0	नवसृजित दुकान की प्रास्थिति	वर्ष 2014–15 की निर्धारित न्यूनतम लाइसेंस फीस	वर्ष 2015–16 हेतु निर्धारित न्यूनतम लाइसेंस फीस
1	नगर निगम व इसकी सीमा से 03 कि0मी0 की परिधि तक	1,90,000/–	1,95,000/–

2	नगर पालिका व इसकी सीमा से 02 कि0मी0 की परिधि तक	1,00,000/–	1,05,000/–
3	नगर पंचायत व इसकी सीमा से 01 कि0मी0 की परिधि तक	55,000/–	60,000/–
4	ग्रामीण	50,000/–	55,000/–

बीयर की समस्त दुकानों (नवसृजित सहित) की प्रास्थिति का निर्धारण नियमानुसार किया जायेगा। इस संबंध में आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा समय–समय पर प्रसारित परिपत्रों में दिये गये निर्देशों का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4.5 बीयर की प्रतिफल फीस एवं एम0आर0पी0 :–

वर्ष 2015–16 हेतु प्रतिफल फीस एवं एम.आर.पी. निर्धारण के वर्ष 2014–15 के तत्संबंधी सूत्र में प्रतिफल फीस की दरों में लगभग 15 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये निम्नानुसार निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है :–

माइल्ड बीयर की एम.आर.पी. निर्धारण हेतु प्रस्तावित सूत्र (5 प्रतिशत वी/वी या उससे कम अल्कोहल की तीव्रता)

एक्स यवासवनी/ बाण्ड्धारक इकाई/एक्स सी.एस.डी. मूल्य प्रति बोतल 650 एम.एल. (रु0 में) (E)	सुरक्षा होलोग्राम की श्रेणी	प्रतिफल फीस प्रति लीटर (रु0 में)	प्रतिफल फीस प्रति बोतल (650 मि0ली0) (रु0 में0) **(D)**	थोक बिक्रेता का मार्जिन (प्रति बोतल 650मि.ली)	फुटकर बिक्रेता का मार्जिन (प्रति बोतल 650मि.ली)	अधिकतम फुटकर मूल्य **(P)** (प्रति बोतल 650मि.ली.) **MRP**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0 से 25/– तक	MBE	***	ई0बी0पी0(E) का 140%	इस श्रेणी की अधिकतम ई0बी0पी0 (E) का 5% अर्थात रु0 1.25	इस श्रेणी की अधिकतम ई0बी0पी0 (E) का 58% अर्थात रु0 14.50	कालम 1+4+5+6 का योग
25/– से अधिक	MBR	***	श्रेणी–1 की अधिकतम ई0बी0पी0 (E) के लिये निर्धारित प्रतिफल फीस (रु0 25 का 140% = रु0 35.00) + रु0 25 से अधिक की ई0बी0पी0 का 47%	रु0 1.75	रु0 16.00	कालम 1+4+5+6 का योग
यदि ब्रिवरी/ बान्ड्धारक द्वारा ई0 बी0 पी0 इस प्रकार निर्धारित/प्रस्तावित की जाती है कि प्रति बोतल (650 मि0ली0) का अधिकतम फुटकर मूल्य रु0 115 से अधिक निर्धारित हो रहा है तो उसपर प्रतिफल फीस एवं मार्जिन आगे कालमों में प्रदर्शित प्रक्रिया अनुसार देय होगी।	MBP	***	ई0बी0पी0(E) का 113%	रु0 1.75	रु0 16.00	कालम 1+4+5+6 का योग

उपरोक्त सूत्र का सरलीकृत स्वरुप निम्नवत् है :–

एक्स यवासवनी/ बाण्ड्धारक इकाई/ एक्स सी.एस.डी. मूल्य प्रति बोतल 650 एम.एल. (रु0 में) **(E)**	सुरक्षा होलोग्राम की श्रेणी	प्रतिफल फीस प्रति लीटर (रु0 में)	प्रतिफल फीस प्रति बोतल (650 मि0ली0) (रु0 में0) **(D)**	थोक बिकेता का मार्जिन (प्रति बोतल 650मि.ली)	फुटकर बिक्रेता का मार्जिन (प्रति बोतल 650मि.ली)	अधिकतम फुटकर मूल्य **(P)** (प्रति बोतल 650मि.ली.) **MRP**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0 से 25/– तक	MBE	***	1.40E	1.25	14.50	कालम 1+4+5+6 का योग
25/– से अधिक	MBR	***	23.25+0.47E	1.75	16.00	कालम 1+4+5+6 का योग
यदि ब्रिवरी/ बान्ड्धारक द्वारा ई0 बी0 पी0 इस प्रकार निर्धारित/प्रस्तावित की जाती है कि प्रति बोतल (650 मि0ली0) का अधिकतम फुटकर मूल्य रु0 115 से अधिक निर्धारित हो रहा है तो उसपर प्रतिफल फीस एवं मार्जिन आगे कालमों में प्रदर्शित प्रकिया अनुसार देय होगी।	MBP	***	1.13E	1.75	16.00	कालम 1+4+5+6 का योग

स्ट्रांग बीयर की एम.आर.पी. निर्धारण हेतु प्रस्तावित सूत्र (5% v/v अल्कोहल की तीव्रता से अधिक परन्तु 8% v/v अल्कोहल की तीव्रता तक) :–

एक्स यवासवनी/ बाण्ड्धारक इकाई/एक्स सी.एस.डी. मूल्य प्रति बोतल 650 एम.एल. (रु0 में) **(E)**	सुरक्षा होलोग्राम की श्रेणी	प्रतिफल फीस प्रति लीटर (रु0 में)	प्रतिफल फीस प्रति बोतल (650 मि0ली0) (रु0 में0) **(D)**	थोक बिकेता का मार्जिन (प्रति बोतल 650मि.ली)	फुटकर बिक्रेता का मार्जिन (प्रति बोतल 650मि.ली)	अधिकतम फुटकर मूल्य **(P)** (प्रति बोतल 650मि.ली.) **MRP**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0 से 25/– तक	**SBE**	***	ई0बी0पी0(E) का 219%	इस श्रेणी की अधिकतम ई0बी0पी0 (E) का 5% अर्थात रु0 1.25	इस श्रेणी की अधिकतम ई0बी0पी0 (E) का 58% अर्थात रु0 14.50	कालम 1+4+5+6 का योग

25/– से अधिक	**SBR**	***	श्रेणी–1 की अधिकतम ई0बी0पी0 (E) के लिये निर्धारित प्रतिफल फीस (रु0 25 का 220% = रु0 54.75) + रु0 25 से अधिक की ई0बी0पी0 का 21%	रु0 1.75	रु0 16.00	कालम 1+4+5+6 का योग
यदि ब्रिवरी/ बान्ड्धारक द्वारा ई0 बी0 पी0 इस प्रकार निर्धारित/प्रस्तावित की जाती है कि प्रति बोतल (650 मि0ली0) का अधिकतम फुटकर मूल्य रु0 130 से अधिक निर्धारित हो रहा है तो उसपर प्रतिफल फीस एवं मार्जिन आगे कालमों में प्रदर्शित प्रकिया अनुसार देय होगी।	**SBP**	***	ई0बी0पी0(E) का 160%	रु0 1.75	रु0 16.00	कालम 1+4+5+6 का योग

उपरोक्त सूत्र का सरलीकृत स्वरुप निम्नवत् है :–

एक्स यवासवनी/ बाण्ड्धारक इकाई/एक्स सी.एस.डी. मूल्य प्रति बोतल 650 एम.एल. (रु0 में) (E)	सुरक्षा होलोग्राम की श्रेणी	प्रतिफल फीस प्रति लीटर (रु0 में)	प्रतिफल फीस प्रति बोतल (650 मि0ली0) (रु0 में0) **(D)**	थोक बिक्रेता का मार्जिन (प्रति बोतल 650मि.ली)	फुटकर बिक्रेता का मार्जिन (प्रति बोतल 650मि.ली)	अधिकतम फुटकर मूल्य **(P)** (प्रति बोतल 650मि.ली.) **MRP**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0 से 25/– तक	SBE	***	2.19E	1.25	14.50	कालम 1+4+5+6 का योग
25/– से अधिक	SBR	***	49.50+0.21E	1.75	16.00	कालम 1+4+5+6 का योग
यदि ब्रिवरी/ बान्ड्धारक द्वारा ई0 बी0 पी0 इस प्रकार निर्धारित/प्रस्तावित की जाती है कि प्रति बोतल (650 मि0ली0) का अधिकतम फुटकर मूल्य रु0 130 से अधिक निर्धारित हो रहा है तो उसपर प्रतिफल फीस एवं मार्जिन आगे कालमों में प्रदर्शित प्रकिया अनुसार देय होगी।	SBP	***	1.60E	1.75	16.00	कालम 1+4+5+6 का योग

1. 650 एम0एल0 धारिता की बोतल हेतु प्रस्तावित सूत्र से प्रतिफल फीस का आगणन करके अन्य धारिताओं की बोतलों/कैन हेतु समानुपातिक रुप से प्रतिफल फीस का आगणन किया जायेगा।
2. 650 एम0एल0 धारिता की बोतल हेतु प्रस्तावित सूत्र से थोक/फुटकर विक्रेता के मार्जिन का आगणन करके अन्य धारिताओं की बोतलों/कैन हेतु समानुपातिक रुप से मार्जिन का आगणन किया जायेगा।

3. बीयर के अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य को राउन्ड आफ करते हुए 5 के गुणांक में अगले स्तर पर निर्धारित कर अन्तर की धनराशि को अतिरिक्त प्रतिफल फीस के रुप में लिया जायेगा।
4. 650 एम0एल0 धारिता की बोतल के सापेक्ष कैन के मूल्यों का अधिभार अधिक पड़ने के दृष्टिगत बोतल (650 एम0एल0) की एम0आर0पी0 निर्धारण के लिये प्रस्तावित एक्स ब्रिबरी मूल्य (ई0बी0पी0) में 500 एम0एल0 की धारिता की कैन के मूल्य निर्धारण हेतु रु0 5 एवं 330 एम0एल0 धारिता की कैन के मूल्य निर्धारण हेतु रु0 4, बढ़ाकर किया जाना प्रस्तावित है।
5. बोतल (650 एम0एल0) की एम0आर0पी0 निर्धारण के लिये ब्रिवरी द्वारा प्रस्तावित एक्स ब्रिवरी मूल्य (ई0बी0पी0) को 500 एम0एल0 धारिता के समानुपातिक आगणित करके आगणित धनराशि में रु0 5 जोड़कर 500 एम0एल0 धारिता की कैन की ई0बी0पी0 आगणित की जायेगी। इसी प्रकार बोतल (650 एम0एल0) की एम0आर0पी0 निर्धारण के लिये प्रस्तावित एक्स ब्रिवरी मूल्य (ई0बी0पी0) को 330 एम0एल0 या उससे कम धारिता के समानुपातिक आगणित करके आगणित धनराशि में रु0 4 जोड़कर 330 एम0एल0 या उससे कम धारिता की कैन की ई0बी0पी0 आगणित की जायेगी।
6. 650 एम0एल0 के बोतल के सापेक्ष छोटी धारिताओं में बोतल, लेबुल व पी.पी.कैप के मूल्यों का अधिभार अधिक पड़ने के दृष्टिगत बोतल (650 एम0एल0) की एम0आर0पी0 निर्धारण के लिये ब्रिवरी द्वारा प्रस्तावित एक्स बिवरी मूल्य (ई0बी0पी0) में 330 एम0एल0 या उससे कम धारिता की बोतल हेतु रु0 4 बढ़ाकर ई0बी0पी0 निर्धारित किया जायेगा। अर्थात ब्रिवरी द्वारा प्रस्तुत प्रति बोतल (650 एम0एल0) ई0बी0पी0 में उपरोक्तानुसार रु0 4 जोड़कर 330 एम0एल0 या उससे कम की धारिता की बोतलों हेतु समानुपातिक रुप से ई0बी0पी0 का आगणन किया जायेगा।
7. यदि कोई ब्रिवरी/बाण्डधारक इकाई 650 एम0एल0 की बोतल में ई0बी0पी0 प्रस्तुत नहीं करती है और केवल 500 एम0एल0 या 330 एम0एल0 धारिता के कैन की ई0बी0पी0 प्रस्तुत करती है, तो उक्त प्रस्तुत ई0बी0पी0 में क्रमशः रु0 5 व रु0 4 घटाकर 650 एम0एल0 बोतल के समानुपातिक ई0बी0पी0 का आगणन करके प्रतिफल फीस एवं थोक/फुटकर विक्रेता का मार्जिन इत्यादि का आगणन किया जायेगा।

4.6 <u>बीयर का थोक लाइसेंस</u> :–

(क) <u>एफ0एल0–2बी अनुज्ञापनों का नवीनीकरण</u> :–

वर्ष 2013–14 की भांति वर्ष 2014–15 में कार्यरत एफ0एल0–2बी अनुज्ञापनों का नवीनीकरण वर्ष 2015–16 के लिये करने का निर्णय लिया गया है।

(ख) <u>एफ0एल0–2बी अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस</u> :–

वर्ष 2014–15 के लिये निर्धारित लाइसेंस फीस में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर उसे अगले स्तर पर रु0 5000 में राउण्ड आफ करते हुये वर्ष 2015–16 के लिये लाइसेंस फीस का निर्धारण निम्नवत् किये जाने का निर्णय लिया गया हैः–

क्रम संख्या	अनुज्ञापन वर्ष के ठीक पूर्व के वर्ष में जनपद में बीयर के फुटकर अनुज्ञापनों से विक्रय होने वाली अनुमानित बीयर की बोतलों (650 एम0एल0) की संख्या	वर्ष 2014–15 की निर्धारित लाइसेन्स फीस (रूपये में)	वर्ष 2015–16 हेतु निर्धारित लाइसेन्स फीस(रूपये में)
1	10,00,000 बोतलों तक	3.85 लाख	4.25 लाख
2	10,00,000 से अधिक 20,00,000 बोतल तक	7.70 लाख	8.50 लाख

3	20,00,000 से अधिक 30,00,000 बोतल तक	11.55 लाख	12.75 लाख
4	30,00,000 से अधिक 40,00,000 बोतल तक	15.40 लाख	16.95 लाख
5	40,00,000 से अधिक 50,00,000 बोतल तक	19.25 लाख	21.20 लाख
6	50,00,000 बोतल से अधिक	23.10 लाख	25.45 लाख

स्पष्टीकरण :– 1– उपरोक्तानुसार उपभोग का आगणन मुख्यालय में उपलब्ध अन्तिम मास तक के उपभोग विवरण के आधार पर किया जायेगा।

2– अनुज्ञापन वर्ष का तात्पर्य उस वर्ष से है, जिस वित्तीय वर्ष के लिये अनुज्ञापन दिया गया है।

3– अनुज्ञापन वर्ष के ठीक पूर्व के वर्ष का तात्पर्य, जिस वित्तीय वर्ष हेतु अनुज्ञापन दिया गया है है, उसके ठीक पूर्व के वित्तीय वर्ष से है।

4– यदि एफ0एल0–2बी अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन मार्च–2015 से पूर्व कराया जाता है तो माह मार्च–2015 में माह फरवरी–2015 तक के उपभोग के आधार पर एफ0एल0–2बी अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस का पुनर्निधारण कराया जायेगा और पुनर्निधारण में यदि लाइसेंस फीस में कोई वृद्वि होती है, तो तदनुसार वृद्वि की धनराशि जमा करायी जायेगी, किन्तु पूर्व में निर्धारित लाइसेंस फीस में कोई कमी नहीं की जायेगी।

4.7 **एफ0एल0–2बी अनुज्ञापियों से अन्य जनपद को बीयर की आपूर्ति हेतु अतिरिक्त लाइसेंस फीस** :–

एफ0एल0–2बी अनुज्ञापी द्वारा अपने जनपद के अतिरिक्त अन्य जनपद को बीयर की आपूर्ति करने हेतु अतिरिक्त लाइसेंस फीस अदा करने तथा उसे जमा करने की वर्ष 2014–15 हेतु निर्धारित प्रकिया को वर्ष 2015–16 के लिये भी निम्नवत् बनाये रखने का निर्णय लिया गया हैः–

1. जिन जनपदों हेतु एफ0एल0–2बी अनुज्ञापन व्यवस्थित नहीं हो पाते है, उन जनपदों हेतु बीयर की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिये आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा किसी अन्य जनपद/जनपदों के एफ0एल0–2बी अनुज्ञापी को सम्बद्व किया जायेगा।
2. बीयर की आपूर्ति प्राप्त करने वाले जनपद के लिये वर्ष 2015–16 हेतु निर्धारित एफ0एल0–2बी अनुज्ञापन की वार्षिक लाइसेंस फीस बीयर की आपूर्ति करने वाले एफ0एल0–2बी अनुज्ञापी/अनुज्ञापियों से अतिरिक्त लाइसेंस फीस के रुप में वसूल की जायेगी।
3. उपरोक्त अतिरिक्त लाइसेंस फीस मासिक रुप से जमा करायी जायेगी। मासिक अतिरिक्त लाइसेंस फीस आपूर्ति प्राप्त करने वाले जनपद के एफ0एल0–2बी अनुज्ञापन हेतु उपरोक्तानुसार निर्धारित लाइसेंस फीस का 1/12 भाग होगी। आपूर्ति प्राप्त करने वाले जनपद का सम्बद्वीकरण आदेश प्राप्त होने की तिथि से 3 कार्य दिवसों के अंदर आपूर्तिकर्ता एफ0एल0–2बी अनुज्ञापी द्वारा उपरोक्त मासिक लाइसेंस फीस जमा की जायेगी। उसके बाद आगामी माह के लिये सम्बद्वीकरण आदेश अग्रेतर प्रभावी रहने की स्थिति में उक्त माह के लिये मासिक लाइसेंस फीस संबंधित माह के प्रथम कार्य दिवस को जमा करायी जायेगी।
4. आपूर्तिकर्ता अनुज्ञापियों द्वारा उक्त निर्धारित लाइसेंस फीस समयान्तर्गत जमा करायी जायेगी एवं संबंधित जिला आबकारी अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि उक्त लाइसेंस फीस मदिरा की निकासी से पूर्व आपूर्तिकर्ता अनुज्ञापी द्वारा जमा कर दी गयी है। जिला आबकारी अधिकारी अतिरिक्त लाइसेंस फीस की जमा की सूचना संबंधित ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति के साथ माह की 05वीं तिथि तक आयुक्तालय तथा संयुक्त/उप आबकारी आयुक्त को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
5. आपूर्तिकर्ता एफ0एल0–2बी अनुज्ञापी द्वारा उक्त अतिरिक्त लाइसेंस फीस बीयर प्राप्त करने वाले फुटकर अनुज्ञापियों से अतिरिक्त रुप से वसूल नहीं की जायेगी।

4.8 <u>अन्य देशों से आयातित बीयर का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन</u> :–

वर्ष 2013–14 एवं वर्ष 2014–15 के लिये निर्धारित अन्य देशों से आयातित बीयर की ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस रू0 10,000/– प्रति ब्राण्ड को वर्ष 2015–16 में यथावत् बनाये रखने का निर्णय लिया गया है।

4.9 <u>अन्य देशों से आयातित बीयर की परमिट फीस</u> :–

वर्ष 2015–16 के लिये आयातित बीयर पर परमिट फीस की दरें निम्नवत् होंगी :–

क्रम सं0	अन्य देशों से आयातित बीयर का प्रकार	वर्ष 2014–15 की परमिट फीस की दर (रु0 में) प्रति 650 एम.एल. की बोतल	वर्ष 2015–16 हेतु निर्धारित परमिट फीस की दर (रु0 में) प्रति 650 एम.एल. की बोतल
1	5 प्रतिशत वी/वी तीव्रता तक	**35.00**	**41.00**
2	5 प्रतिशत वी/वी तीव्रता से अधिक एवं 8 प्रतिशत वी/वी तीव्रता तक	**46.00**	**53.00**

4.10 <u>भारत निर्मित बीयर का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन</u> :–

वर्ष 2014–15 हेतु निर्धारित भारत निर्मित बीयर की ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस रु0 25000/– प्रति ब्राण्ड में रु0 5000/– की वृद्धि करते हुये इसे वर्ष 2015–16 हेतु रु0 30000/– प्रति ब्राण्ड करने का निर्णय लिया गया है।

4.11 <u>अन्य देशों से आयातित बीयर की एम0आर0पी0 अंकित किया जाना</u> :–

अन्य देशों से आयातित बीयर की बोतलों पर वर्ष 2013–14 एवं वर्ष 2014–15 में एम.आर.पी. और अन्य "लीजेण्ड" मुद्रित करने हेतु की गई प्रचलित व्यवस्था को वर्ष 2015–16 हेतु भी यथावत बनाये रखने का निर्णय लिया गया है।

4.12 <u>बीयर व एल0ए0बी0 पर निर्यात शुल्क</u> :–

वर्ष 2013–14 एवं वर्ष 2014–15 हेतु निर्धारित बीयर एवं कम तीव्रता के मादक पेय पर निर्यात शुल्क 1/– प्रति बल्क लीटर को वर्ष 2015–16 में भी यथावत् रखने का निर्णय लिया गया है।

4.13 <u>बीयर, पोर्टर, साइडर, ऐल एवं कम तीव्रता के मादक पेय पर आयात शुल्कः–</u>

वर्ष 2013–14 एवं वर्ष 2014–15 में फ्लेश पाशचुराइजेशन की प्रक्रिया से निर्मित ड्राट बीयर पर आयात शुल्क रू0 1/– प्रति बल्क लीटर तथा ड्राट बीयर को छोड़कर अन्य बीयर पोर्टर, साइडर, ऐल एवं कम तीव्रता के मादक पेय पर आयात शुल्क रु0 3 प्रति बल्क लीटर निर्धारित है। इन दरों को वर्ष 2015–16 में भी यथावत बनाये रखने का निर्णय लिया गया है।

4.14 <u>बीयर के लेबुलों का अनुमोदन</u> :–

वर्ष 2014–15 हेतु निर्धारित बीयर के लेबुलों की अनुमोदन फीस रु0 15000/– प्रति लेबुल में रु0 5000/– की वृद्धि करते हुये इसे वर्ष 2015–16 में रु0 20000/– प्रति लेबुल रखने का निर्णय लिया गया है।

4.15 बीयर की फुटकर दुकानों की दैनिक लाइसेंस फीस :–

वर्ष 2014–15 की भांति वर्ष 2015–16 में भी बीयर की फुटकर दुकानों की दैनिक लाइसेन्स फीस दुकान की निर्धारित वार्षिक लाइसेन्स फीस का 1/365 भाग लेकर दैनिक व्यवस्थापन सम्पन्न कराया जायेगा। अतः वर्ष 2014–15 की भांति वर्ष 2015–16 में भी ऐसी दुकानें, जो आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित नहीं हो सकेंगी, का व्यवस्थापन सार्वजनिक विज्ञापन प्रकाशित कराने के बाद वर्ष 2015–16 के लिये निर्धारित दैनिक लाइसेन्स फीस के सापेक्ष जो भी सर्वोच्च आफर प्राप्त हो, पर सम्पन्न कराया जायेगा तथा दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा।

5 माडल शाप्स

5.1 माडल शाप्स की लाइसेंस फीसः–

वर्ष 2014–15 की लाइसेंस फीस में 15 प्रतिशत की वृद्धि कर अगले स्तर पर रु0 5000 में राउण्ड आफ करते हुये वर्ष 2015–16 में माडल शाप्स की लाइसेंस फीस व प्रतिभूति धनराशि का निर्धारण निम्नवत् किये जाने का निर्णय लिया गया हैः–

निकाय	लाइसेंस फीस (रूपये में)	प्रतिभूति धनराशि (रूपये में)
1. नगर निगमों एवं नोएडा के लिये (ग्रेटर नोएडा एवं झांसी को छोड़कर)	39.70 लाख	4.00 लाख
2. अन्य स्थानों पर स्थित माडल शाप्स के लिये (ग्रेटर नोएडा एवं झांसी सहित)	14.55 लाख रूपये या ऐसे नगर की विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर दुकानों की तत्समय निर्धारित/व्यवस्थित सर्वोच्च लाइसेंस फीस को मिलाकर प्राप्त धनराशि के समतुल्य लाइसेंस फीस, जो अधिक हो, परन्तु यह फीस 39.70 लाख रूपये से अधिक नहीं होगी ।	2.00 लाख

उपरोक्त के अतिरिक्त माडल शाप्स पर मदिरा पान की सुविधा वर्ष 2015–16 हेतु अनुमन्य करने की फीस वर्ष 2013–14 व वर्ष 2014–15 की भांति रु0 100000/–वर्ष या वर्ष के भाग के लिये होगी।

5.2 वर्ष 2015–16 हेतु माडल शाप्स का व्यवस्थापनः–

(क) आगरा, वाराणसी, लखनऊ तथा गोरखपुर जोन में माडल शाप्स का व्यवस्थापन :–

वर्ष 2014–15 में संचालित माडल शाप्स का नवीनीकरण वर्ष 2015–16 हेतु निम्न प्रतिबंधों के साथ किये जाने का निर्णय लिया गया हैः–

1– अंतिम व्ययगत मास तक की समस्त देयताएं बेबाक हों।

2– वर्ष 2014–15 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित हो।

3– वर्ष 2015–16 के लिए निर्धारित देयताओं की अदायगी के लिये अनुज्ञापी तत्पर हों।

4– वर्ष 2015–16 हेतु निर्धारित उपरोक्तानुसार माडल शाप्स की लाइसेंस फीस को दुकानवार/ क्षेत्रवार, आबकारी निरीक्षकों द्वारा तथा दुकानवार/ क्षेत्रवार/जिलेवार जिला आबकारी अधिकारी द्वारा परीक्षण के उपरान्त उप आबकारी आयुक्त, प्रभार के माध्यम से लाइसेंस प्राधिकारी/जिलाधिकारी से अनुमोदित कराया जायेगा।

5– उपरोक्तानुसार नवीनीकृत न हो सकी माडल शाप्स को वर्ष 2015–16 के लिए निर्धारित लाइसेंस फीस पर विज्ञापन के माध्यम से आवेदन मांग कर व्यवस्थित कराया जायेगा। यदि किसी माडल शाप पर एक ही

आवेदन प्राप्त होता है, और नियमानुसार उचित पाया जाता है तो माडल शाप का आवंटन आवेदक के पक्ष में कर दिया जायेगा। एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में माडल शाप्स का आवंटन नियमानुसार सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से कराया जायेगा। इसी के साथ नवसृजित माडल शाप्स का व्यवस्थापन भी निर्धारित लाइसेंस फीस पर विज्ञापन के माध्यम से आवेदन मांगकर सार्वजनिक लाटरी से कराया जाना प्रस्तावित है।

6– वर्ष 2014–15 में संचालित हो रही माडल शाप्स के उपरोक्तनुसार भी व्यवस्थित न होने पर इनका व्यवस्थापन सार्वजनिक विज्ञापन देकर वर्ष 2014–15 की लाइसेंस फीस पर आफर मांग कर कराया जाना प्रस्तावित है। प्रतिबंध यह रहेगा कि वर्ष 2014–15 की लाइसेंस फीस से कम का आफर स्वीकार न होगा। दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा।

(ख) विशिष्ट मेरठ जोन में माडल शाप्स का व्यवस्थापनः–

विशिष्ट जोन मेरठ में माडल शाप्स की वर्ष 2014–15 में संचालित दुकानों, का नवीनीकरण एवं नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन वर्ष 2015–16 हेतु निम्न प्रतिबंधों के साथ किये जाने का निर्णय लिया गया हैः–

1. विशिष्ट जोन मेरठ में माडल शाप्स का व्यवस्थापन उपरोक्त प्रस्तर–2(ब)(3)5.2(क) के बिन्दु संख्या–1, 2, 3 एवं 4 में वर्णित प्रक्रिया/प्रतिबंधों के अनुरूप लाइसेंस फीस निर्धारित करके किया जायेगा।
2. विशिष्ट मेरठ जोन के वर्ष 2014–15 के अनुज्ञापी को जोन की समस्त माडल शाप्स के अनुज्ञापन वर्ष 2015–16 हेतु निर्धारित नवीनीकरण फीस, लाइसेंस फीस व प्रतिभूति धनराशि के आधार पर नवीनीकृत कराना एवं नवसृजित माडल शाप्स के लिए निर्धारित लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति धनराशि के आधार पर अनुज्ञापन प्राप्त करना होगा। किसी भी माडल शाप्स का व्यवस्थापन न कराने की दशा में विशिष्ट मेरठ जोन की देशी शराब, विदेशी मदिरा,बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं माडल शाप्स के अनुज्ञापी के रुप में किया गया उसका चयन निरस्तीकरण योग्य होगा, जिसके तारतम्य में उसको प्रदत्त देशी शराब, विदेशी मदिरा,बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं माडल शाप्स के समस्त अनुज्ञापन निरस्तीकरण योग्य होंगे। इस प्रकार निरस्त/रिक्त अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन नियमानुसार किया जायेगा।

5.3 माडल शाप्स की आवेदन व प्रोसेसिंग फीस एवं नवीनीकरण शुल्क :–

वर्ष 2014–15 हेतु दुकान आवंटन/नवीनीकरण संबंधी आवेदन व प्रोसेंसिंग फीस रु0 9000/– प्रति आवेदन निर्धारित है, जिसे रु0 1000/– बढ़ाकर वर्ष 2015–16 के लिए रु0 10000/– प्रति आवेदन रखने का निर्णय लिया गया है। शासनादेश सं0 3174 ई–2/तेरह–2010–141/2007 दिनांक 03 फरवरी, 2011 के अनुसार आवेदन पत्रों की प्रोसेसिंग फीस पर नियमानुसार वैट भी देय है। अतः वर्ष 2015–16 हेतु प्रोसेसिंग फीस पर तत्समय निर्धारित दर पर वैट तथा नियमानुसार देय अन्य करों की वसूली भी अतिरिक्त रुप से पूर्ववत् की जायेगी।

वर्ष 2015–16 हेतु माडल शाप्स का नवीनीकरण शुल्क निम्नवत् होगा:–

कमांक	निकाय	वर्ष 2014–15 हेतु निर्धारित दर (रु0 में)	वर्ष 2015–16 हेतु निर्धारित दर (रु0 में)
1	नगर निगम क्षेत्र की दुकानों के लिए	60,000 प्रति दुकान	65,000 प्रति दुकान
2	नगर पालिका क्षेत्र की दुकानों के लिए	50,000 प्रति दुकान	55,000 प्रति दुकान
3	नगर पंचायत क्षेत्र की दुकानों के लिए	30,000 प्रति दुकान	35,000 प्रति दुकान
4	ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों के लिए	20,000 प्रति दुकान	25,000 प्रति दुकान

5.4 माडल शाप्स का सृजन :–

वर्ष 2014–15 की भांति वर्ष 2015–16 हेतु भी प्रदेश में वर्ष 2014–15 की व्यवस्थित माडल शाप्स की 15 प्रतिशत माडल शाप के सृजन का अधिकार आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 को रहेगा एवं 15 प्रतिशत से अधिक आवश्यकता होने पर दुकानों का सृजन शासन की अनुमति से किया जायेगा।

जिलाधिकारी/ लाइसेंस प्राधिकारी से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर वर्ष के दौरान कभी भी माडल शाप का सृजन व व्यवस्थापन कराये जा सकने की वर्तमान व्यवस्था को 2015–16 हेतु भी यथावत बनाये रखने का निर्णय लिया गया है।

5.5 माडल शाप की दैनिक लाइसेंस फीसः–

वर्ष 2015–16 हेतु माडल शाप्स की दैनिक लाइसेंस फीस का निर्धारण एवं दैनिक व्यवस्थापन वर्ष 2014–15 की भांति कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

6- भांग

6.1 भांग की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन :–

वर्ष 2013–14 एवं वर्ष 2014–15 हेतु निर्धारित नीति के अनुसार वर्ष 2015–16 हेतु भी भांग की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन उत्तर प्रदेश आबकारी लाइसेंस (टेण्डर एवं नीलामी) नियमावली, 1991 के प्राविधानानुसार करने का निर्णय लिया गया है। भांग के लिये वर्ष 2014–15 के लिये निर्धारित नीति की भांति वर्ष 2015–16 में भी निर्धारित एम.जी.क्यू. पर रू0 20/– प्रति किलोग्राम की दर से बेसिक लाइसेंस फीस लिया जाना तथा एम.जी.क्यू. से अतिरिक्त भांग की निकासी उठाये जाने पर रू0 20/– प्रति किलोग्राम की दर से प्रतिफल फीस लिये जाने का निर्णय लिया गया है।

6.2 भांग के निर्यात पर निर्यात फीसः–

वर्ष 2013–14 व वर्ष 2014–15 की भांति वर्ष 2015–16 हेतु भी भांग के निर्यात पर रु0 4/– प्रति किलोग्राम की दर से निर्यात फीस रखने का निर्णय लिया गया है।

7– अन्य

7.1 कतिपय नियमावलियों /विज्ञप्तियों में संशोधन :–

वर्ष 2015–16 की नीति के अनुसार यथासमय वांछित नई नियमावलियों का सृजन एवं प्रचलित नियमावलियों/ विज्ञाप्तियों में भी संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है।

7.2 वर्ष के मध्य में आबकारी नीति में व्यावहारिक विचलनों के संबंध में :–

आबकारी नीति की मा0 मंत्रिमण्डल से स्वीकृति के उपरान्त क्रियान्वयन किये जाने पर यदाकदा कतिपय व्यावहारिक कठिनाइयां उत्पन्न होतीं है। इन कठिनाइयों के समाधान एवं प्रक्रिया के सरलीकरण की व्यवस्था के लिए वर्ष 2013–14 एवं वर्ष 2014–15 की भांति वर्ष 2015–16 हेतु भी सक्षम स्तर पर निम्नवत् प्रतिनिधायन करने का निर्णय लिया गया हैः–

"आबकारी नीति की मा0 मंत्रिमण्डल से स्वीकृति के उपरान्त क्रियान्वयन व राजस्व प्राप्ति में यदाकदा आने वाली कठिनाइयों के समाधान/निवारण एवं प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु आबकारी नीति में सामयिक/ व्यावहारिक/ विधिक दृष्टि से किसी परिवर्तन हेतु आबकारी आयुक्त से प्राप्त/संस्तुत प्रकरणों पर गुणावगुण के आधार पर विचार कर संस्तुति करने के लिये अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसके प्रमुख सचिव, वित्त विभाग एवं प्रमुख सचिव, न्याय विभाग सदस्य तथा प्रमुख सचिव/सचिव, आबकारी विभाग समिति के सदस्य/संयोजक हैं, को अधिकृत करने तथा समिति की संस्तुति पर मा0 आबकारी मंत्री जी के माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा निर्णय लिये जाने का प्राविधान किया जाता है।"

7.3 पैन नं0 का प्रस्तुतीकरणः–

वर्ष 2013–14 व वर्ष 2014–15 की भांति वर्ष 2015–16 में भी मदिरा की दुकानों के आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ दिये जाने वाले शपथ पत्र में यह अभिकथन करना अनिवार्य होगा कि वह चयनित हो जाने पर 03 माह के अंदर आयकर विभाग द्वारा निर्गत पैन कार्ड नं0 प्रस्तुत कर देगा।

7.4 विभिन्न अनुज्ञापनों पर अवशेष स्टाक का निस्तारणः–

वर्ष 2014–15 की समाप्ति पर जनपदों के विभिन्न अनुज्ञापनों पर दिनांक 31–03–2015 को बिक्री अवधि की समाप्ति पर अनुज्ञापी द्वारा अवशेष स्टाक की ब्राण्ड वार घोषणा जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष दिनांक 01–04–2015 को दोपहर 12.00 बजे तक की जायेगी।

वित्तीय वर्ष 2014–15 की समाप्ति पर विदेशी मदिरा/बीयर की फुटकर विक्रय की दुकानों, माडल शाप्स तथा एफ0एल0–2/2बी/2डी पर अवशेष विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन इत्यादि के अवशेष स्टाक का निस्तारण निम्नवत् प्रक्रियानुसार किया जायेगा :–

1. जिन ब्राण्डों का पंजीकरण वर्ष 2015–16 हेतु करा लिया जाता है, उन ब्राण्डों पर प्रतिफल फीस की धनराशि तदनुसार आगणित करने पर यदि प्रतिफल फीस में वृद्धि होती है तो अन्तर की धनराशि जमा करायी जायेगी तथा उक्त स्टाक पर डिफरेन्सियल होलोग्राम एवं नई एम0आर0पी0 के स्टिकर चस्पा कराकर विक्रय किया जायेगा।
2. जिन ब्राण्डों का पंजीकरण वर्ष 2015–16 हेतु नहीं कराया जाता है, उन ब्राण्डों की प्रतिफल फीस/एम0आर0पी0 उनकी वर्ष 2014–15 के लिये घोषित ई0डी0पी0 पर वर्ष 2015–16 के नये सूत्र के अनुसार निर्धारित की जायेगी। ऐसी स्थिति में अवशेष स्टाक का निस्तारण निम्नवत् किया जायेगा।

2.1 उपरोक्तानुसार प्रतिफल फीस का आगणन करने पर यदि प्रतिफल फीस एवं एम0आर0पी0 दोनों में वृद्धि होती है, तो प्रतिफल फीस के अन्तर की धनराशि जमा कराकर उक्त स्टाक पर डिफरेन्सियल होलोग्राम एवं नई एम0आर0पी0 के स्टिकर चस्पा कराकर विक्रय किया जायेगा।

2.2 उपरोक्तानुसार प्रतिफल फीस का आगणन करने पर यदि प्रतिफल फीस में वृद्धि होती है किन्तु एम0आर0पी0 में वृद्धि नहीं होती है, तो प्रतिफल फीस के अन्तर की धनराशि जमा कराकर तथा अन्तर की धनराशि के समतुल्य एम0आर0पी0 में वृद्धि करके उक्त स्टाक पर डिफरेन्सियल होलोग्राम एवं नई एम0आर0पी0 के स्टिकर चस्पा कराकर विक्रय किया जायेगा।

2.3 उपरोक्तानुसार प्रतिफल फीस का आगणन करने पर यदि प्रतिफल फीस में कमी होती है किन्तु एम0आर0पी0 में वृद्धि होती है, तो वर्ष 2014–15 की एम0आर0पी0 पर ही बिक्री की जायेगी।

2.4 उपरोक्तानुसार प्रतिफल फीस का आगणन करने पर यदि प्रतिफल फीस एवं एम0आर0पी0 दोनों में कमी होती है तो वर्ष 2014–15 की एम0आर0पी0 पर ही बिक्री की जायेगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त अवशेष स्टाक के निस्तारण की अन्य व्यवस्था आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 के निर्देशानुसार की जायेगी।

8. वर्ष 2015–16 के लिये अनुमानित राजस्व :–

उक्तानुसार वर्ष 2015–16 के लिये निर्धारित आबकारी नीति के आधार पर अनुमानित राजस्व का विवरण निम्नवत् हैः–

कमांक	मद	अनुमानित राजस्व प्राप्ति(करोड़ रु0 में) वर्ष 2014–15	प्रस्तावित सुनिश्चित राजस्व वृद्धि (करोड़ रु0 में) वर्ष 2015–16	कुल अनुमानित राजस्व प्राप्ति (करोड़ रु0 में) वर्ष 2015–16 (कालम 3+4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

1	**देशी शराब–** प्रतिफल फीस, लाइसेंस फीस व अन्य प्राप्तियॉ	**6834.91**	**1270.85**	**8105.76**
2	**विदेशी मदिरा–** प्रतिफल फीस, लाइसेंस फीस व अन्य प्राप्तियॉ	**5119.04**	**671.88**	**5790.92**
3	**बीयर –** प्रतिफल फीस,लाइसेंस फीस व अन्य प्राप्तियॉ	**1640.05**	**218.43**	**1858.48**
4	**अन्य मद–**शीरे पर प्रशासनिक शुल्क, आसवनी /ब्रिबरी की लाइसेंस फीस, आयात– निर्यात फीस, फार्मेसियों से प्राप्तियां एवं भांग की विडमनी इत्यादि	**650.00**	—	**650.00**
	योग	**14244.00**	**2161.16**	**16405.16**

उक्त लगभग सुनिश्चित राजस्व प्राप्तियों रू0 16405.16 करोड़ के अतिरिक्त प्रभावी प्रवर्तन कार्य व मदिरा के उपभोग में वृद्धि आदि से लगभग रु0 650.00 करोड़ अतिरिक्त राजस्व वृद्धि की सम्भावना के आधार पर वर्ष 2015–16 हेतु कुल रुपये 16405.16+650.00=17055.16 करोड़ की राजस्व प्राप्तियां संभावित है। मार्केट फोर्सेस के मदिरा के व्यापार में प्रतिस्पर्धात्मक होने की सम्भावना के दृष्टिगत नीति के सफल क्रियान्वयन एवं अधिक प्रभावी प्रवर्तन कार्य के द्वारा लगभग रू0 450 करोड़ अतिरिक्त राजस्व प्राप्त किया जा सकता है। अतः वर्ष 2015–16 हेतु आबकारी राजस्व का लक्ष्य रू0 17,500 करोड़ निर्धारित किया जाता है।

3– अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार निर्धारित राजस्व की प्राप्ति की प्रतिबद्धता के दृष्टिगत आबकारी राजस्व का लक्ष्य निर्धारित करते हुये कार्ययोजना बनाकर निर्धारित लक्ष्यों की शतप्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु सर्वसम्बन्धित अधिकारियों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

यह भी अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु जिन नियमों/अधिसूचनाओं आदि में संशोधन/परिवर्तन/अपमार्जन की कार्यवाही अथवा नये नियम/नियमावलियों तथा अधिसूचनाओं का प्रख्यापन/विखण्डन(समाप्त) किया जाना हो, उनका यथाप्रक्रिया समयान्तर्गत प्रख्यापन कराया जाना प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करायें। यदि किन्हीं नियमों/अधिसूचनाओं आदि का संशोधन/परिवर्तन/अपमार्जन शासन स्तर से किया जाना हो, तो तत्सम्बन्धी प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर (हिन्दी व अंग्रेजी में) शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि आगामी कार्यवाही समय से की जा सके। साथ ही उक्तानुसार वांछित संशोधनों का प्रख्यापन समय से सुनिश्चित कराने हेतु कृपया अपने स्तर पर शीघ्रातिशीघ्र गहन समीक्षा भी करने का कष्ट करें ताकि भविष्य में कोई विधिक कठिनाई उत्पन्न न होने पाये।

भवदीय,

संलग्नक–यथोक्त

(मनोज मिश्र)
विशेष सचिव।